खण्ड-386, अंक-1
बुधवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1910
(23 मार्च, 1988 ई0)

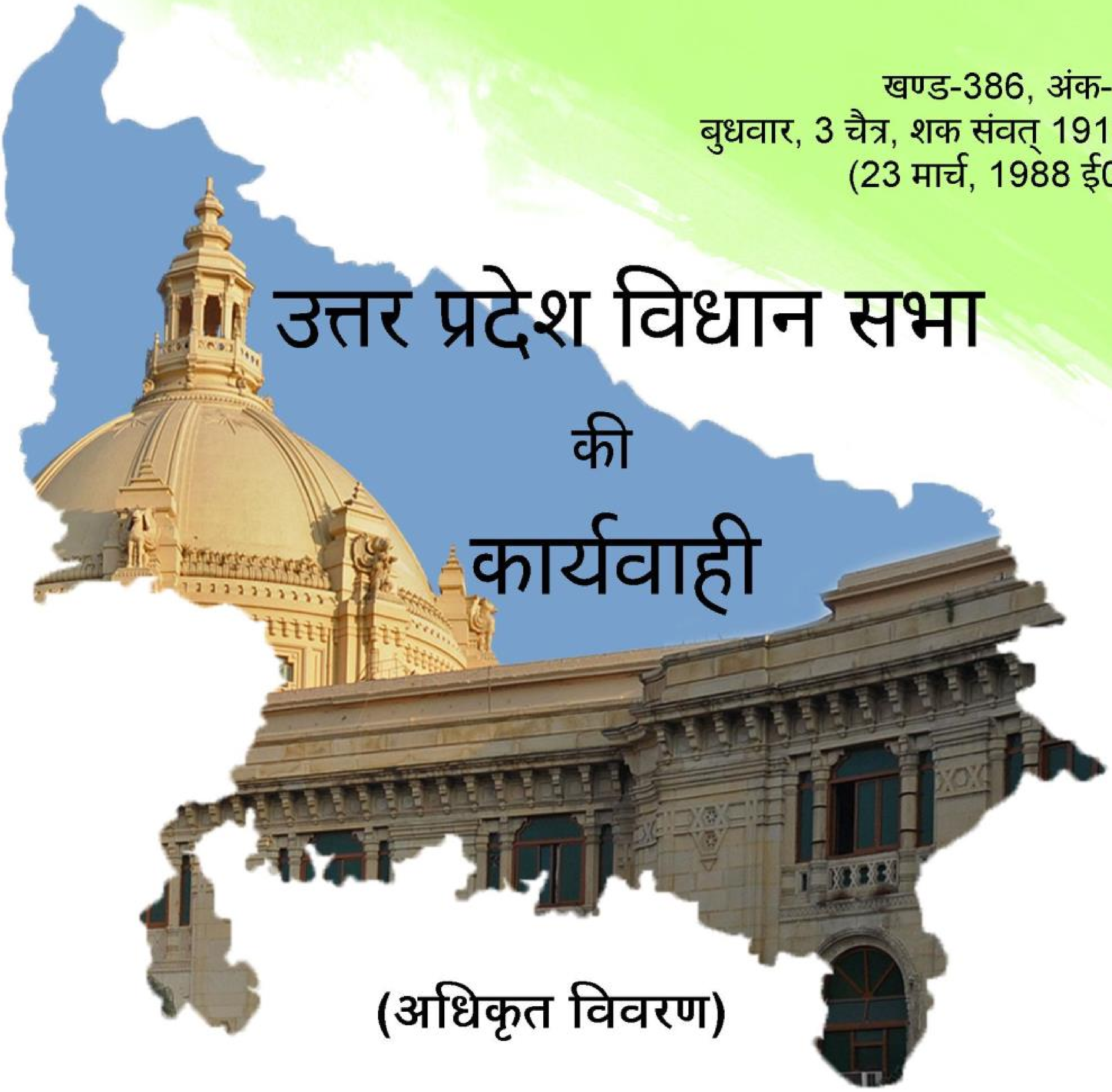

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल, मन्त्रि परिषद्, तथा नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी, अधिष्ठाता मण्डल	क–घ
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1–78
श्री अक्षयबर मल्ल की हत्या के जिम्मेदार दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के विरोध में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सदन के फ्लोर पर धरना	79–98
जिला फैजाबाद के जहांगीरगंज थाने की पुलिस द्वारा भारत बन्द के समय एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की, की गयी पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जिला मैनपुरी की अधूरी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जिला आगरा के थाना मलपुरा के सिपाहियों की रायफलें बदमाशों द्वारा छीने जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जिला सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय की पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
बरेली महानगर की बिहार बस्ती में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जिला गाजियाबाद में ओला-वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जिला उन्नाव के सातन गांव में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	102
मद संख्या 3, 5 और 7 का स्थगन (स्वीकृत)	102
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	102
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान (स्वीकृत)	102–105
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	106
सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए व्यवस्था का प्रश्न ..	107–110
बिसवां सीतापुर में आदमखोर भेड़िए द्वारा दो बच्चों की हत्या से उत्पन्न भय एवं आतंक के सम्बन्ध में वक्तव्य	110
उत्तर प्रदेश जल निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	111
प्रदेश के पत्रकारों के उत्पीड़न पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से सम्पूर्ण प्रदेश के पत्रकारों में व्याप्त उत्तेजना के बारे में वक्तव्य ..	112–113
सत्थियां	114

विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1—श्री वीर बहादुर सिंह—मुख्य मंत्री एवं मंत्री सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योगि, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त न्याय, गन्ना विकास, वन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना पूर्त धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन ।

2—श्री बल्देव सिंह आर्य—वन मंत्री ।

3—श्री लोकपति त्रिपाठी—जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।

4—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—हरिजन कल्याण, समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री ।

5—श्री नरेन्द्र सिंह—कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उद्यान एवं फल उपयोग ।

6—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—ग्राम विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री ।

7—श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य विधान परिषद्)—सहकारिता मंत्री ।

8—श्री सिब्ते रजी (सदस्य विधान परिषद्)—शिक्षा, मुस्लिम वक्फ मंत्री ।

9—श्री गोपीनाथ दीक्षित—गृह मंत्री ।

10—श्री अम्मार रिजवी (सदस्य विधान परिषद्)—संसदीय कार्य मंत्री एवं राजस्व मंत्री ।

11—श्री सईदुल हसन—श्रम, सेवायोजन मंत्री ।

राज्य मंत्री

1—श्री हुकुम सिंह—संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद तथा पशुधन मंत्री ।

2—श्रीमती पद्मा सेठ—नगर विकास, जल सम्पूर्ति एवं नगर भूमि तथा आवास मंत्री।

3—श्री शिव बालक पासी—कृषि मंत्री ।

4—श्री ओम प्रकाश रिछारिया—वित्त तथा नियोजन मंत्री ।

5—श्री गौरी शंकर—राजस्व मंत्री ।

6—श्री मानपाल सिंह—खाद्य तथा रसद मंत्री ।

7—श्री प्रमोद कुमार तिवारी—ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्री ।

8—श्री भोला शंकर मौर्य—सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

9—श्री निसार अहमद अंसारी (सदस्य विधान परिषद्)—लघु उद्योग एवं हथकरघा मंत्री ।

10—श्री राम औतार दीक्षित—पर्वतीय विकास मंत्री ।

11—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—गृह, न्याय एवं जेल मंत्री ।

12—श्री चेतराम गंगवार—प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं ग्राम्य विकास मंत्री ।

13—श्री राम नरेश शुक्ल—सामान्य प्रशासन, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री ।

14—श्री सीताराम निषाद—मत्स्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ।

15—कु0 सरस्वती अम्माल (सदस्य विधान परिषद्0—श्रम मंत्री ।

16—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—शिक्षा मंत्री ।

17—श्री प्रवीण कुमार शर्मा—उच्च शिक्षा मंत्री ।

18—श्रीमती दीपा (सदस्य विधान परिषद्)—पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगि, सांस्कृतिक कार्य तथा सूचना मंत्री ।

19—श्री राम नाथ मुन्शी—आबकारी तथा गन्ना विकास एवं परिवहन मंत्री ।

उप मंत्री

श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा—पर्यटन मंत्री ।

नेता, विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती) ।

2—डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा) ।

3—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर) ।

4—श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली) ।

5—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) ।

6—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (उन्नाव) ।

7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) ।

8—कुंवर रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) ।

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर) ।

10—डा0 शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	महराज सिंह, चौधरी	इटावा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	रामबदन एडवोकेट, श्री	आजमगढ़
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
धनराज यादव, श्री	बस्ती	शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
पद्मा सेठ श्री	सीतापुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
प्रेमपाल सिंह, श्री	एटा	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
फरीद महफूज किदवाई, श्री	बाराबंकी	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बैजनाथ, श्री	देवरिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

अविभाजित प्रदेश

उच्चतर शिक्षा विभाग सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1988 9141

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुख्य मंत्री आवास के समीप गिराये गये भवन का मुआवजा

*1—श्री शारदा नन्द अंचल, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री मनोहर लाल तथा श्री मूलचन्द—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री आवास के बाहर 60 वर्ष से रह रहे (श्री राम दुलारे यादव) का आवास जो चार कमरों का पक्का बना हुआ था, राज्य सम्पत्ति विभाग ने बिना नोटिस दिए 6 अक्टूबर, 1986 को गिरा दिया है? यदि हां, तो मा0 मुख्य मंत्री जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री यादव को इस नुकसान के बदले मुफ्त आवास या जमीन देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री भोलाशंकर मौर्य)—

मुख्य मंत्री आवास के बाहर अनधिकृत रूप से रह रहे राम किशोर, पुत्र राम दुलारे का पक्का आवास विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत 6-10-86 को गिरा दिया गया था।

यह सत्य नहीं है कि श्री यादव उस स्थान पर 60 वर्ष से रह रहे थे।

चूंकि इनका अध्यासन अप्राधिकृत था और विधिक प्रक्रिया द्वारा इनको बेदखल किया गया है इसलिये इन्हें मुफ्त आवास या जमीन देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन के बाहर पुलिस लगी हुई है, इस कारण सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये नहीं आ सके हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको जीरो आवर में उठाइयेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

वह सदन की कार्यवाही में शरीक नहीं हो सके हैं। मैं आप का संरक्षण चाहता हूं। अगर सदस्य कार्यवाही में शरीक नहीं हो सकेंगे, तो उनके अधिकारों का हनन होगा। वहां पर पुलिस छावनी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, उससे सदन को गुमराह किया है। राम दुलारे यादव और राम किशोर दो व्यक्ति हैं और उनके नाम इसका आवंटन है। नियमों के अनुसार आवंटित करा कर राम दयाल 6 वर्ष से रह रहा है। 1952 की वोटर लिस्ट में उसका नाम है और तरीके से नियमित रूप से वह रह रहा था और बिना नोटिस दिये उनके घर को जबरदस्ती गिरा दिया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार गरीबों को मकान देने की व्यवस्था करती है, तो क्या सरकार राम किशोर और राम दयाल को मुफ्त जमीन या मकान देने की व्यवस्था करेगी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जो अनाधिकृत रूप से आकूपेन्ट हैं, उनको कोई मकान या जमीन या उसका मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

माननीय मंत्री जी ने आपने उत्तर में बताया है कि जो अनियमित मकान होते हैं, उनको गिराकर मकान देने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसमें मकान नम्बर भी दर्ज होगा, तो उसे कैसे बेदखल कर दिया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मकान अनियमित बना हुआ था इसलिये बेदखल कर दिया गया।

श्री सुखपाल पाण्डे–

राम दुलारे जिनका मकान बिना नोटिस के गिरा दिया गया वह मकान नजूल के खाता स0 126 एस0 एम0 59 पुस्तक संख्या 282 के क्रम सं0 70 दिनांक 11-2-1987 द्वारा आवंटित किया गया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि आवंटन किस अधिकारी द्वारा रद्द किया गया और उसकी सूचना श्री यादव को दी गयी या नहीं दी गयी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह नजूल की सम्पत्ति नहीं है, राज्य सम्पत्ति विभाग की सम्पत्ति है और इसमें नियमित रूप से प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने नोटिस देकर यह मकान गिराया है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मैंने बताया कि इस तारीख को आवंटित की गई थी या नहीं?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि एलोटेड आवास पर राम दुलारे ने 70 रुपया 45 पैसा नगरमहापालिका को दिनांक 30-9-87 को रसीद संख्या 27 द्वारा किराया जमा किया गया था?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, नगर महापालिका का असेसमेंट या उसका किराया जमा करने का स्वामित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह अनियमित रूप से उसमें रह रहे थे, इसलिये उनको बेदखल किया गया।

श्री मूलचन्द–

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि उनका अनाधिकृत कब्जा था। सन् 52 की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है और सन् 52 से वे उसमें रह रहे हैं और उनको नोटिस देने की बात करते हैं। मान्यवर, नोटिस दिया गया राम किशोर को और मकान गिराया गया राम दुलारे का। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसको नोटिस दिया गया और किसका मकान गिराया गया?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, हमने राम किशोर को नोटिस दिया और राम किशोर का ही मकान गिराया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो जिसका मकान गिराया गया है वह उसमें बहुत दिन से रह रहा था और बिना नोटिस दिए उसे गिरा दिया? वह उसमें 60 वर्ष से रह रहा था उसे आपने बेदखल करवा दिया तो क्या आप उसे मकान दिलाने पर विचार करेंगे या वह बाहर मैदान में ही रहेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो अनअथोराइज्ड अकोपैंट्स होते हैं उनको बेदखल करने के बाद ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि उनको मकान दिया जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जब उनका उस मकान में अनधिकृत कब्जा था और वे उसमें 35 साल से रह रहे थे, उनका उसमें कब्जा था तो राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों ने उनको अब तक क्यों बेदखल नहीं किया ? उनका 35 साल क्यों अनधिकृत कब्जा रहा ? क्या माननीय मंत्री जी राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे कि इतने दिनों तक वे अनधिकृत रूप से उसमें क्यों रहे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आपको कुछ जवाब देना है ?

(मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े नहीं हुये ।)

श्री मैनेजर सिंह–

इनके पास कोई जवाब नहीं है । . . .

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह मकान जिस जमीन पर बना है वह नजूल की जमीन है और नगर महापालिका लखनऊ के खाता संख्या 126 एस0 एम0 पुस्तिका संख्या 282 के क्रम संख्या 70 दिनांक 11-2-77 द्वारा यह जमीन राम दुलारे यादव को आवंटित की गई थी और उसका वह बराबर किराया जमा करता रहा । मैं जानना चाहता हूं कि जो विहित अधिकारी का जिक्र किया गया है उसके लिए राम दुलारे को कोई नोटिस, सूचना अथवा समन दिया गया या नहीं दिया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, राम दुलारे यादव का जिक्र बार-बार किया जाता है । राम दुलारे यादव जो हैं वह राम किशोर के पिता हैं जो एक ही मकान में रहते थे । राम किशोर को नोटिस दिया गया और उन्हें ही बेदखल किया गया ।

श्री अंचल सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि राम दुलारे यादव इस मकान में कब से रह रहे थे, उनको कब नोटिस दिया गया और नोटिस देने में और उनका मकान गिराने में अधिकारियों ने जो विलम्ब किया उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, बेदखली के आदेश 18-8-86 को पारित हुये थे और 6-10-86 को मकान गिराया गया । एक रीजनेबल टाइम उनको दिया गया । इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राम किशोर और राम दुलारे दोनों अलग-अलग हैं और दोनों के नाम से अलग-अलग आवंटन किया गया था और यह दोनों अलग-अलग मकान हैं ? माननीय मंत्री जी की यह तानाशाही मनोवृत्ति का व्यवहार है कि उनको मकान गिरा दिया । इसलिये मैं क्या माननीय मंत्री जी उनको मकान दिलायेंगे या फिर इस अपराध के लिये इस्तीफा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मकान दिलवायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया ।)

मिट्टीपुरवा बाजार, बहराइच में जल निकासी हेतु बनाई गयी नाली में अनियमितता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

*1*2–श्री देवता दीन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टीपुरवा, बाजार, जनपद बहराइच में जल निकासी हेतु बनाई जा रही नाली के कार्य में घोर अनियमितता करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र 21-10-87 से 31-12-87 के बीच जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी हां । शिकायती पत्र दिनांक 22-10-87 व 13-11-87 द्वारा मिट्टीपुरवा बाजार, जनपद बहराइच में जल निकासी हेतु बनाई जा रही नाली के निर्माण में अवमानक सामग्री के प्रयोग की शिकायत की गयी है । निर्माण की स्थलीय जांच दिनांक 2-12-87 को कराई गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि कुछ अवमानक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर पहुंचाई गई थी जिसे विक्रेता को वापस कर दिया गया था । अग्रेतर तकनीकी जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 18-12-87 को अपर जिलाधिकारी (परियोजना) तथा अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) का दल गठित कर दिया गया है । चूंकि जांच प्रारम्भ की जा चुकी है अतः सरकार द्वारा कोई अन्य जांच करना आवश्यक नहीं है ।

श्री देवता दीन–

अध्यक्ष जी हम जानना चाहते हैं उनके पास जैसा कि जांच रिपोर्ट आ गयी है हम 22-10-87 को और 23-10-87 को जब वहां गये उस समय नाली बन रही थी । जब दुबारा मौके पर गये तो उस समय लगभग 3 सौ मीटर नाली बन गयी थी । जब वह बन रही थी तो हमने, प्रधान ने तथा तमाम और लोगों ने शिकायत की कि यह खराब मसाला और मिट्टी लगा रहे हैं उसके बावजूद उन्होंने काम पूरा कर दिया । अब माननीय मंत्री जी का जबाब है कि खराब सामान जो था वह उठा लिया गया है ऐसा नहीं है क्योंकि नाली बन गयी है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शायद माननीय सदस्य उत्तर पूरा समझे नहीं । हमने कहा कि ईंटा जो खराब था उसे वापस करा दिया गया और उसकी एवेज में दूसरा ईंटा लगाया गया । बाकी जो शिकायत है कि बालू खराब था या मिट्टी खराब थी उसके लिये दो अधिकारियों की कमेटी बना दी गयी है एक तो अतिरिक्त जिलाधिकारी परियोजना और दूसरा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण जो इसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे । जब रिपोर्ट आयेगी उसके बाद मुनासिब कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य ने शिकायत की और आपके अधिकारियों ने उसकी जांच की और वहां पर अधोमानक मैटीरियल मिला । तो प्राइमाफेसाई यह साबित हो गया कि प्रश्नगत गूल में अधोमानक मैटीरियल लगा रहे थे और उसकी रिकवरी मौके पर हो गयी । तो आपने संबंधित अधिकारी को जो उसे बना रहे थे को मुअत्तल क्यों नहीं किया ? अब जांच के लिए आपने कहा कि अतिरिक्त जिलाधिकारी नियोजन ग्रामीण अभियंत्रण के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से जांच करायेंगे तो यह तो उसी विभाग के अधिकारी हैं जो लोग उसके लिये जिम्मेदार थे उनसे जांच क्यों करा रहे हैं ? क्या अन्य लोगों से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री बरार जी जिनसे कह दो उनसे जांच करा लेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह बहराइच का अत्यन्त गंभीर मामला है जिनकी एक विधायक ने शिकायत किया और मेरे दल के श्री मयंकर सिंह ने शिकायत किया जिलाधिकारी से और मौके पर काम रोकने के आदेश दिये गये लेकिन अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उनके आदेश को फाड़ कर रद्दी का काम करवाया, तो क्या वहां पूरे विकास कार्यों में जो धांधलेबाजी हो रही है उसको रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

कोई सवाल तो पूछा नहीं, लेक्चर दे दिया ।

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

मान्यवर, उत्तर में बताया कि मौके पर घटिया सामग्री पायी गयी तो जिस अभियंता ने वह सामग्री वहां पहुंचाई, ठेकेदारी से या स्वयं, तो उसके खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, उत्तर में कहा है कि वहां जांच में खराब ईंट पाई गयी, वह वापस हो गयी, इसके लिये अब जांच हो रही है और जांच में किसकी जिम्मेदारी पायी जाती है कि खराब सामान मंगाया तो उस पर जिम्मेदारी फिक्स की जायेगी और तब कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है ।

श्री देवता दीन–

मैं जानना चाहता हूं कि जब इस आदमी को पकड़ा गया और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में 40 लाख रुपये से एक पुल और सड़क बनाने के लिये इसी आदमी को दिया गया है तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मंत्री जी ने माना है कि खराब ईंट लगी तो जब कोई कार्य हो रहा हो तो विभाग का जे0 ई0 वहां रहे, तो इस काम के समय मैं जानना चाहता हूं कि विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी वहां मौजूद था कि नहीं ? यदि था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही किया ? इस मामले में खराब ईंट पायी गयी, तो भविष्य में व्यवस्था करेंगे कि जो काम हों उसमें जे0 ई0 वहां मौजूद रहे, ऐसे आदेश करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, ऐसे तो आदेश है ही कि जे0 ई0 की देखरेख में काम हो । जांच हो रही है जांच रिपोर्ट आ जाये कि किस की गलती से ऐसा हुआ तब कार्यवाही करेंगे, उसके पहले कैसे कार्यवाही करें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत नहरों के रख-रखाव हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था

*1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में सिंचाई विभाग द्वारा इस वर्ष सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत नहरों के रख रखाव तथा सफाई के लिये सामान्य बजट के अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया, परन्तु रामपुर नहर खण्ड को 10-2-88 तक सामान्य बजट के अतिरिक्त सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी ? यदि हां, तो रामपुर नहर खण्ड को धन आवंटित न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी तुरन्त इस त्रुटि के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को दण्डित करने तथा रामपुर नहर खण्ड को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 50 लाख रुपये उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

सूखे से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिये इस वर्ष नहरों के अनुरक्षण एवं रख रखाव के अंतर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त 2 करोड़ 50 लाख रु0 की धनराशि प्रदेश की नहरों की सफाई के लिये स्वीकृत की गई । रामपुर नहर खण्ड, रामपुर की नहरों के रख रखाव तथा अनुरक्षण, जिसमें सफाई कार्य भी सम्मिलित है, के लिये 14 लाख 77 हजार रु0 का प्राक्कलन स्वीकृत था । सूखे के कारण 15 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि 10 फरवरी, 1988 तक आवंटित की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि सूखा के कारण जो विशेष आवंटन होना था, उसमें केवल 1 लाख रुपया अतिरिक्त आवंटित किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सूखे की विशेष धनराशि भारत सरकार से आपको भी सूखा राहत के लिए मिली है तो जो आपने कहा है कि 3 करोड़ 50 लाख राशि खर्च की है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया तो जो सूखा राहत में तमाम धनराशि आपने दी है, उसमें से रामपुर का हिस्सा मात्र 1 लाख क्यों निर्धारित किया, जबकि वहां पर 3 हजार किलोमीटर के करीब चैनल्स हैं ?

श्री सीता राम निषाद–

रामपुर जनपद के रख-रखाव आदि के लिए केवल वहां 14 लाख 77 हजार रुपए का ही प्राक्कलन प्राप्त हुआ था और वह स्वीकार हुआ था और कोई नई आयोजनागत परियोजना इस जनपद के लिए बनाई नहीं गई थी, न प्राप्त हुई थी । केन्द्र सरकार जो सहायता देती है, उसमें एक मानक, एक नीति निर्धारित की गई है कि किस प्रकार के कार्यों के लिए वह दिया जाएगा, इसमें है आयोजनागत परियोजना के रुप में होना चाहिए, इसके अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होना चाहिए, इससे बनी योजना से शीघ्र लाभ होना चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए आदि । रामपुर जनपद के सिंचाई विभाग के अधीन कोई ऐसी आयोजनागत परियोजना नहीं थी, जिससे कि उसको पैसा दिया जाता । ऐसी कोई योजना होती तो जरुर दिया जाता । उसके बावजूद 1 लाख 20 हजार रुपया वहां 15 लाख 80 हजार के अतिरिक्त और आबंटित किया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

सरकार का सूखा राहत कार्यक्रम जो ढ़कोसला था, वह मंत्री जी के उत्तर से साफ हो गया है, और रामपुर जनपद के साथ जो सौतेला व्यवहार किया वह भी साफ हो गया और अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है, जैसा उल्लेख किया कि नई सिंचन क्षमता सृजित होनी चाहिए, मैं रखरखाव की बात कर रहा हूं और वह आयोजनागत व्यय की बात कर रहे हैं, रामपुर जनपद में सैमिक और भाखरा नदी पर जो रेगुलेटर बना हुआ है, वहां सीपेज होकर उसका

पानी नीचे से निकल रहा है, वह किसी समय ध्वस्त हो सकता है । तो रामपुर जनपद की जो कठिनाइयां हैं और 3000 किलोमीटर नहरों की सफाई होती है, उसके लिए पैसा देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं और रामपुर के लिए पैसे का आवंटन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो आपके अधिकारियों ने प्रभावित जिलों की लिस्ट भेजी वह पहले भेज दी और रामपुर से बाद में आया ?

श्री सीताराम निषाद–

जो रामपुर जनपद से मांग की गई थी, उसके अनुसार पैसा दिया गया । माननीय सदस्य ने कुछ नई जानकारी सीपेज वगैरह की दी है, मैं उसको दिखवा लूंगा और उसमें जो मुनासिब कार्यवाही आवश्यक होगी की जाएगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा हुआ ज्यादा पढ़ा और अपनी बुद्धि से कम बताया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखा राहत से संबंधित सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर ने कोई प्रपोजल भेजा था ? अगर भेजा था तो कितने साल पहले भेजा ? और कितने पैसे का था ? दूसरी बात कहां-कहां काम हुए थे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, पहले बता चुका हूं कि मुख्य अभियंता के यहां से जो स्टेटमेंट प्राप्त हुए थे । उसमें 14 लाख 77 हजार रुपये की स्वीकृति हुई थी उसमें कुछ बाढ़. . .

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं सूखे से पहले का पूछ रहा हूं और यह बता क्या रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर तो देने नहीं देते हैं । जब आप प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर भी सुनने की तकलीफ गवारा किया करिए ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, हम सूखा राहत के बारे में पूछते हैं तो यह सामान्य योजना के बारे में बताते हैं । इससे तो आप उत्तर ही न दिलवायें । रोज यही हो रहा है । कोई सही उत्तर नहीं आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित करा दें इनके पास उत्तर नहीं है ।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में नहरों के रखरखाव के लिए सामान्य बजट में 31 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इसमें से 7 करोड़ 75 लाख रुपया नहरों की सफाई के लिए खर्च किया जायेगा । प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए ज्यादा जरूरी समझा गया और सूखे से निपटने के लिए खर्च किया गया । दो करोड़ 50 लाख रुपया का अतिरिक्त आवंटन किया गया उसकी पूरे प्रदेश में जो आवश्यकतायें थीं उसकी पूर्ति करने के लिए खर्च किया गया और सूखे के काम में खर्च किया गया है ।

*2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री हृदय नरायन दीक्षित,
श्री मनोहर लाल तथा
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दिनांक 21-3-88 को नियम 51 के अंतर्गत सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नष्ट राशन कार्डों के स्थान पर नये कार्ड बनाने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या और पुराने राशन कार्डों के नष्ट होने के कारण नये कार्डों के दिये जाने की क्या व्यवस्था है ? क्या जनपद देवरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशन कार्डों के बनाये जाने के लिए सरकार जिला प्रशासन को आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समस्त परिवारों को जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, अथवा जिनके राशन कार्ड पुराने होने के कारण नष्ट हो गये हैं, को नये राशन कार्ड उनकी प्रार्थना पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त जारी करने की व्यवस्था है।

प्रदेश के सभी जनपदों की भांति देवरिया जनपद के भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के आदेश जिला प्रशासन को पहले से ही जारी किये जा चुके हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से सामान्य उपयोग की चीजें मिल सकें इसके लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। हर वर्ष जनगणना के बाद सरकार पूरे प्रदेश में सामूहिक रूप से राशन कार्ड बनवाती थी, लेकिन 1981 के बाद से सरकार ने राशन कार्ड नहीं बनवाये। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है। परिवार बढ़े हैं और राशन कार्ड नहीं बढ़े हैं। गांव के लोग जब राशन कार्ड के लिए बी0 डी0 ओ0 के पास जाते हैं, तो वह तहसील भेज देता है और मंत्री जी कह रहे हैं कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। गांव के लोगों को अनिवार्य रूप से राशन कार्ड मिल सकें इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? यदि कोई व्यवस्था नहीं करने जा रही है तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

इसके लिए व्यवस्था की गयी है और इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मेरी सूचना को सत्य मानकर कि किसी भी जिले में राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, मेरे यहां तासी मिठगल, खेसरहा ब्लाक में बस्ती जिले में राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। मैं वहां डी0 एस0 ओ0 से मिला, जिलाधिकारी से मिला, मेरी उनसे बात हुई। वहां राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी सभी जिलों में राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेंगे और राशन कार्ड उपलब्ध करायेंगे और एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड्स को उपलब्ध करायेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जुलाई, 87 से अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है कि राशन कार्डों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाय। जहां की आपने शिकायत की है और जहां की जानकारी दी है हम वहां की जानकारी प्राप्त करेंगे और अगर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हैं तो उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 87 से अब तक प्रदेश में कितने राशन कार्ड बनाये गये हैं। आपने कहा कि आदेश प्रशासन को दिये जा चुके हैं तो अन्तिम आदेश किस तिथि को दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

जुलाई, 87 में अन्तिम आदेश दिया गया कि अभियान के रूप में यह कार्यक्रम चलाया जाय। जुलाई, 87 से लेकर सितम्बर, 87 तक 42 लाख 45 हजार राशन कार्ड ग्रामीण अंचलों में जारी किये गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि हमारे देवरिया और बलिया में तीन चौथाई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं लेकिन जो निजी दुकानदार हैं उनके पास 100–200 कार्ड पड़े हुए हैं। राशन कार्डों की वितरित करने की व्यवस्था पंचायत सेवकों के माध्यम से की गयी थी और उन लोगों ने प्रधान या उप प्रधान के पास 100-100 कार्ड छोड़ दिये जिससे उनका व्यापक दुरुपयोग हुआ है और निर्बल वर्ग के लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं। तो क्या नमूने के तौर पर बलिया और देवरिया जिले में अधिकारियों के जरिये राशन कार्ड वितरित कराने का कष्ट करेंगे ताकि यह गोलमाल बन्द हो जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है तो इसमें यह प्राविधान है कि कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर राशन कार्ड बनाये जायें लेकिन कहीं-कहीं पर कुटुम्ब रजिस्टर पूरा न होने से लोग वंचित हो जाते हैं। देवरिया के बारे में माननीय सदस्य ने कहा तो देवरिया जनपद के ग्रामीण अंचलों में 4 लाख 95 हजार 267 नए राशन कार्ड बनाये गये हैं। हमारा प्रयास है कि नया नीले रंग का राशन कार्ड छपाया गया है वह हर परिवार को उपलब्ध कर दें । इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही चल रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लम्बी है और गांवों के जो गरीब आदमी हैं उनके पास राशन कार्ड न होने से वह दुकानों से सामान नहीं खरीद पाते हैं अगर इंसपेक्टर किसी दुकान से नाराज है तो भी गरीब आदमी को सामान नहीं मिलता है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी न हो जाय तब तक के लिये प्रशासन या कोई चुना हुआ प्रतिनिधि यह प्रमाणित कर दे कि इस आदमी की 5 यूनिट्स हैं तो उसको सामान दे दिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रक्रिया जटिल नहीं है लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इंस्पेक्टर तो ग्रामीण अंचलों में कहीं आता ही नहीं है। सचिव न्याय पंचायत की सहायता से हमारे जो ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर हैं उनको अधिकार दिया गया है राशन कार्ड बनाने का । तो सप्लाई इंस्पेक्टर बीच में कहीं आता ही नहीं है । जो वहां पर पंचायत सेक्रेटरी है, उसका सहयोग लेकर राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए । पंचायत सेक्रेटरी राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करेगा । जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह ने कहा, जो आपके पास सीमित सामग्री है, उसका बटवारा सुनियोजित करने के लिए राशन कार्ड का होना आवश्यक है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, समयबद्ध बता दें कि राशन कार्ड कितने समय में बन जायगा ।

श्री हुकुम सिंह–

अप्लीकेशन देने के 10 दिन के अन्दर राशन कार्ड बन जायगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह एजेंसी इस वक्त राशन कार्ड बना रही है, वह इस काम को पूरा नहीं कर पा रही है, क्या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेम वर्क इसके लिए बनायेंगे, जिससे यह काम पूरा हो सके ?

श्री हुकुम सिंह–

इस विषय पर सतत चिन्तन चलता रहता है और कोई नया विकल्प हमारे सामने आयेगा, तो अवश्य विचार कर लेंगे ।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने बड़ी मेहरबानी कर दिया कि 4 लाख और कितना राशन कार्ड बनवा दिये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष कितने लाख बच्चे पैदा होते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ से किसी अधिकारी को भेज कर इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि गांवों में राशन कार्ड कितने लोगों के बन चुके हैं और कितने लोगों के राशन कार्ड अभी बनने बाकी हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसकी जांच कराना तो सम्भव नहीं है कि मानीय मूल चन्द कितने बच्चे पैदा करते हैं। 4 लाख 95 हजार 267 राशन कार्ड की जो बात मैंने कही थी, वह केवल जनपद देवरिया के ग्रामीण अंचलों के बारे में कही थी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जुलाई, 87 के बाद माननीय मंत्री ने बताया कि 42 लाख 45 हजार राशन कार्ड अब तक बनाये गये, मान्यवर, प्रदेश के जनसंख्या साढ़े 12 करोड़ से अधिक है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही स्पष्ट है कि प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड नहीं प्राप्त हुए । इसलिए प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सभी परिवारों को राशन कार्ड प्राप्त हो जायं, इसके लिए प्रदेश के सभी ब्लाकों में राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान चलायेंगे । मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश सरकार की तरफ से इस अवधि के भीतर कितने राशन कार्ड छपवाकर जिलों को भेजे गये । वहां पर बी0 डी0 ओ0 और तहसीलदार कहते हैं कि राशन कार्ड नहीं है, इसलिए राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि राशन कार्ड की व्यवस्था सरकार अपने स्तर से करके भेज रही है या वहां पर जिले का किसी मद के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराकर जिला स्तर पर राशन कार्ड छपवाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 42 लाख 45 हजार 111 की जो संख्या थी, उसके बारे में सम्भवतः मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया । मान्यवर, जुलाई 87 से लेकर फरवरी, 88 तक 42 लाख 15 हजार, 111 राशन कार्ड ग्रामीण अंचलों में नया अभियान चलाकर जारी किये गये हैं । 30 नवम्बर, 1987 तक प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 47 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनसे 11 करोड़ 85 लाख यूनिट्स सम्बद्ध हैं । जहां

पर परिवार दो हो गये हैं, वहां पर कठिनाई आती है या राशन कार्ड नष्ट हो गये हैं, तो वहां पर आवश्यकता होती है । जो जनपद हमें जानकारी देता है कि हमें इतने राशन कार्ड की आवश्यकता है, तो उतने राशन कार्ड बनवाये जाते हैं हर जनपदों के लिए जितनी आवश्यकता राशन कार्ड की आती है, उतने राशन कार्ड बनवाये जाते हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेरठ के साम्प्रदायिक दंगों में नष्ट कतिपय लघु उद्योगों को पुनः लगाने की मांग ...

*1—श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में 1987 के माह मई में हुए साम्प्रदायिक दंगों में हैण्डलूम और अन्य लघु उद्योग आग लगने से नष्ट हो गये जिससे उन उद्योगों में लगे हजारों की संख्या में गरीब मजदूर बेकार हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इन मजदूरों को बेकारी और भुखमरी से बचाने के लिए उक्त उद्योगों को पुनः संचालित करने का क्या उपाय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

मेरठ में मई, 1987 में हुए साम्प्रदायिक दंगों से केवल 14 हथकरघा उत्पाद से संबंधित इकाईयों को दंगे से क्षति पहुंची । इन सभी क्षतिग्रस्त इकाईयों को पुनः संचालित करने हेतु राहत के रूप में मुआवजे की धनराशि शासन द्वारा दी जा चुकी है, जिससे इन इकाईयों में उत्पादन कार्य पुनः प्रारम्भ हो गया है । अतः इन उद्योगों में लगे मजदूरों के बेकार हो जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरठ के दंगे में क्या केवल यही हथकरघा की 14 इकाइयां ही क्षतिग्रस्त हुई या और लघु उद्योग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं? यह जो 14 इकाइयां क्षतिग्रस्त हुई उनको जो ऋण या अनुदान आपने देने की बात की है तो इन इकाइयों में कब कितना-कितना अपने अनुदान और ऋण में दिया है और इनमें जो कार्य संचालन हो गया है तो उसमें अग्निकाण्ड के पहले कितने मजदूर कार्यरत थे और अब पुनः संचालित होने पर कितने मजदूर कार्यरत हो गये हैं?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, जो इस वक्त सूचना है उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 14 इकाइयां जो हथकरघा उत्पाद से संबंधित थीं, उनको क्षति हुई और उनको मान्यवर, हर इकाइयों को 25-25 हजार रुपया शासन द्वारा मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है। इसके अलावा जो सूचना प्राप्त प्राप्त हुई है उसके अनुसार लघु उद्योगों को क्षति नहीं पहुंची है।

श्री मौजिर सिंह–

मान्यवर, इन 14 इकाइयों को यह 25-25 हजार रुपया कब कब दिया गया, और कितने मजदूर कार्यरत थे पहले और अब कितने कार्यरत हो गये हैं?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, मेरे पास इन 14 इकाइयों को मुआवजा देने की सूचना है। इन इकाइयों में कितने मजदूर लगे थे, इसकी सूचना नहीं है।

श्री रघुवर दयाल शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 14 इकाइयों के अतिरिक्त लघु उद्योग की कितनी इकाइयां इस दंगे से प्रभावित हुई और इनमें कितने मजदूर बेकार हुए? नं0 1 और नं0 2 मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लघु उद्योग इकाइयों को पुनर्वासित करने में जो 25 हजार रुपये का अंशदान दिया है वह नाकाफी होने के कारण इन 14 इकाइयों में 12 इकाइयां अभी कार्यरत नहीं हुई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस अंशदान को बढ़ाकर बाकी इकाइयों को कार्यरत कराने की कृपा करेंगे?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, प्राप्त सूचना यह है कि इन 14 इकाइयों के अलावा और कोई अन्य लघु उद्योग या इकाइयां दंगे से प्रभावित नहीं हुई हैं। इनको जो मुआवजे की शक्ल में 25 हजार रुपये दिये गये हैं, यह इनको कुल मिलाकर तीन लाख पचास हजार रुपये दिये गये हैं।

श्री रघुवर दयाल शर्मा–

प्रश्न का उत्तर पूरा दीजिए, अंशदान बढ़ायेंगे या नहीं और 12 इकाइयां अभी कार्यरत नहीं हुई हैं तो इनका तो उत्तर दीजिए?

(उत्तर नहीं आया)

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 14 इकाइयों को आपने बताया तो इन इकाइयों के अलावा कौन-कौन से उद्योग थे जिनको नष्ट किया गया था और उनको कितनी क्षति हुई। क्या कुल इनकी तादाद और धन की कितनी क्षति हुई, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, इन 14 इकाइयों के नाम इस प्रकार हैं– मंगू देवी भारत खद्दर भंडार, अपर इंडिया, धीरज, नीरज रस्तोगी, कमल फैक्टरी, आर0 के0 फैक्टरी, सिंघवाल टेक्सटाईल्स, विम्पी टैक्सटाइल्स, लक्ष्मी टैक्सटाइल, ढिल्लन टैक्सटाइल, पूजा प्रिंटिंग फैक्टरी, महेश चन्द्र प्रिन्टर्स, गैराज प्रिंटिंग, मनांज।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 14 यूनिटों को क्षतिपूर्ति कर दी, कम से कम 14 यूनिट मान लीजिए मान्यवर, उसमें कार्यरत जो मजदूर हैं वह बेरोजगार का शिकार हुए, उनका श्रम जाया हुआ। उनकी झोंपड़ी जली, उनका दूसरा जो सामान था वह सब नष्ट हो गया तो प्रभावित जो 14 यूनिटें हैं और जो दूसरी यूनिटें हैं इसमें प्रभावित जो हजारों मजदूर हैं जिनका श्रम जाया हुआ है उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में कुछ मदद करने की कृपा करेंगे, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, इन 14 इकाइयों से संबंधित जो मजदूर थे, वह इन इकाइयों के पुन: चल जाने से काम पर लग गये हैं तो आगे कोई राहत देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बताया कि 14 इकाइयों को क्षति हुई उनको 25-25 हजार रुपये दिये गये थे। मान्यवर, दो करोड़ का कुल लास हुआ और 25-25 हजार रुपये चलाने के लिए दिये गये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस 25-25 हजार के अतिरिक्त बैंकिंग फेसिलिटी कितनी दी गयीं। बैंकों से कितना रुपया किस इकाई को दिलवाया गया?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, यह जितनी इकाइयां क्षतिग्रस्त हुईं, मैंने बताया है कि इन सभी को बैंकों से लोन मिला हुआ था और उनको राहत यह दी गयी है कि ऋण की किश्तें जो देय हो गयी थीं, उसके लिए उन्हें टाइम दे दिया गया है और बाद में वसूली की जायगी। दूसरे मान्यवर, यह अगर बैंकों से और लोन चाहेंगे तो सरकार की उदार नीति है उद्योग को बढ़ाने की, इनको बैंकों से पुन: ऋण प्राप्त हो सकेगा और इसमें इनकी सहायता की जायगी। इनमें जो लोग लगे हुए थे, उनके कर्ज को रिशिड्यूल कराया गया और किश्तें बांध दी गयीं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें कि क्या 14 में से 12 इकाइयां अभी बन्द हैं, चालू नहीं की गयी हैं और यह भी स्पष्ट करें कि आप बड़े साधिकार कहते हैं कि कोई मजदूर बेकार नहीं है, आप यह बताएं कि कितने मजदूर बेकार हुए थे और कितने आज कार्यरत हैं। क्या इसकी सूचना आपके पास है। यह स्पष्ट करें?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, वह यह है कि 14 इकाइयां क्षतिग्रस्त हुई थीं और वे सबकी सब कार्यरत हैं, उनमें जो मजदूर लगे हुए थे, सब काम पर आ गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ये जो 14 इकाइयां हैं, इनके नष्ट होने के पहले जितने मजदूर कार्य कर रहे थे, क्या उन इकाइयों के चालू होने के बाद आज भी उतने ही मजदूर काम कर रहे हैं? यदि नहीं तो क्या मा0 मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जितने मजदूर पहले काम कर रहे थे उनको उन्हीं इकाइयों में काम दिया जायगा?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध है उसके आधार पर जो काम कराया गया, उसकी मजदूरी देने के बाद या इकाइयां चालू हुई और उन्होंने काम करना शुरू किया। यह हमारी जानकारी में नहीं है कि उनमें पहले कितने मजदूर थे और अब कितनों को काम मिल गया।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, आप जो बता रहे हैं, इसके अलावा, यह जो आप बता रहे कि इतनों को क्षति पहुंची है, इसके अलावा और कोई बात जिसकी कि सूचना आपके पास नहीं है?

श्री निसार अहमद अंसारी–

जी नहीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये। इनके पास सूचना नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिये, मैं देख लूंगा।

फैजाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों के किसानों के फसलों की क्षति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

*2–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र लिखकर दिनांक 21-1-88 को सचिव, सिंचाई श्री ए0 के0 दास को यह बताया था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास क्षेत्र मसौधा सुहावल और पुरा, जनपद फैजाबाद में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और माइनर के रखरखाव और सफाई न होने के कारण ग्राम राजेपुर कैल, मदरसा, पिपरातांल, अरुवावां, पलिया गोवा, साहबदी, नजीरपुर आदि तमाम गांवों के किसानों की बोई हुई फसल डूब गयी तथा पानी भरने के कारण किसान अपनी फसल भी नहीं बो पाये? यदि हां, तो दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री सीता राम निषाद–

जी हां ।

प्रश्न में इंगित ग्रामों में बोई हुई फसल को क्षति नहीं हुई । अधिकारियों द्वारा माइनर के रख-रखाव और सफाई में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्नकर्ता माननीय विधायक ने स्वयं अधीक्षण अभियंता, सिंचाई मण्डल, फैजाबाद को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 20-11-87 में अपने निर्वाचन क्षेत्र स्थित विकास खण्ड सुहावल मसौधा में माइनरों की सफाई का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया है और कई वर्षों से कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करने के कारण संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं धन्यवाद दिया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि ग्राम रोजपुर में भदरसा, पिपरातांल आदि गांवों के पचासों काश्तकार हैं जिनकी फसल डूबी है और वे बो नहीं पाए हैं । वहां आज भी मौके पर पानी भरा है । लोग फसल नहीं बो पाए । अधिकारियों ने आपके पास जो रिपोर्ट भेजी है, वह फर्जी है ।

तो मेरी सूचना को सत्य मानकर क्या इसमें जांच कराके फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो माइनर का रख-रखाव गड़बड़ है, उसको ठीक कराने की घोषणा करेंगे और काश्तकारों को क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने पत्र सिंचाई सचिव को दिया था, तो उस पर शासन के आदेश हुए थे उसकी जांच करने के लिए माननीय सदस्य ने स्वयं 22-1-88 को अधिशासी अभियंता फैजाबाद के साथ यह संबंधित गांवों का संयुक्त दौरा करके निरीक्षण किया था और शासन के आदेशानुसार अधीक्षण अभियन्ता ने 24-1-88 को इन गांवों का दौरा किया था और उससे मुख्य अभियंता द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है दोनों दौरे के संबंध में, उसमें यह बताया गया है कि यह माइनर की टेल का जो पानी है, वह वहां जो तालाब हैं उसमें गिरा है । उससे जमीन में पानी गया था, अधिकांश जमीन परती थी और उससे फसलों का यह जो माइनर है, उससे नुकसान नहीं हुआ है और बाकी वहां झील तालाब हैं, उनमें जल निकासी की समस्या है, उसको माननीय सदस्य को और अधिकारियों को स्वयं ग्रामवासियों ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था करा दी जाय । तो यह मान्यवर जो फसलों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, तो यह स्वयं उसका दौरा किये थे, अधिकारियों ने दौरा किया है, उसमें कोई नुकसान इन माइनरों की वजह से नहीं पाया गया था ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह नहरों के कटाव के संबंध में जब कभी भी यहां प्रश्न उठाये जाते हैं, तो यह उत्तर दे दिये जाता है कि माइनरों की वजह से हानि नहीं हुई । नहरों के कटान का क्या कारण था, उसके लिये क्या कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि नहरों का, वह रख-रखाव पहले ही कर दिया गया था, माननीय सदस्य ने स्वयं उस पर प्रशंसा पत्र दिया था कि वहां अच्छा काम हुआ है । उसमें उसका नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप इस पर अपना संरक्षण दें । जब रख-रखाव ठीक था, उसके बावजूद नहर कट गयी । अगर रखरखाव बंदोबस्त आपका वहां अच्छा था, तो नहर किसने काटी ? जिसने यह काटी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 की गयी होगी । अगर एफ0 आई0 आर0 नहीं की गयी, तो इसका मतलब यह अपने आप कटी है और इसके लिए विभाग दोषी है तो फिर उसमें विभागीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, नहर के कटान की एक नयी बात माननीय सदस्य ने कही है, तो उसकी तो जांच कराने की आवश्यकता पड़ेगी । अभी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, उसमें बताया कि माइनर का पानी जो टेल पर गया है, जो तालाब और झील है, उसमें गया है, उसमें भरने से क्षेत्र में पानी गया था । कटान की बात माननीय सदस्य ने नहीं बतायी है, इसकी नयी जानकारी दी है, उसकी जांच करा देंगे, अगर उसमें कोई दोषी पाया जायेगा, तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं । मैंने जो सवाल किया है, मेरा सवाल अगर गलत है, तो श्रीमन् मैं इस्तीफा आपको दे दूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ. .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आज मौके पर तमाम गांवों में पानी भरा हुआ है और वह भी पानी नहर के कटान से भरा हुआ है ।

मान्यवर, आपको भी जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा है, तो झीलों और तालाबों में पानी भरने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हजारों बीघा जमीन नहरों के कटान से डूबी पड़ी है । मैं पुनः अपनी बात को दोहराते हुये आपको चुनौती देता हूं कि हमारी बात अगर झूठ निकल जाये, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं । आप इसकी जांच करा लें और जो फर्जी रिपोर्ट वहां से भेजी गई है, उन दोषी लोगों के खिलाफ उनको दण्डित करने का आश्वासन दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप इसकी जांच करा लें ।

नरकटहा सोनखर बांध बस्ती में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*3–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में राप्ती नदी के बांए तट पर नरकटहा सोनखर बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ तथा बांध में ली गयी भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुआवजा न देने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा ?

श्री सीता राम निषाद–

बांध का निर्माण वर्ष 1980-81 में हुआ। मुआवजे का वितरण नहीं हुआ है । निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती को प्रथमतः 19 नवम्बर, 1981 को प्रेषित किया गया था । मई 1984 तक अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड बस्ती तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती के मध्य पत्राचार तथा आपत्तियों का निराकरण किया गया । इसमें धारा 6(1) की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है । एवार्ड घोषित होने के बाद मुआवजे का वितरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती द्वारा किया जायगा । प्रकरण में विलम्ब के कारण ज्ञात किये जा रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एवार्ड घोषित होते ही मुआवजा का भुगतान करा दिया जायेगा । मान्यवर, यह भूमि को लिये हुए सिंचाई विभाग को 10 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक राजस्व विभाग के रिकार्ड से उन किसानों का नाम नहीं काटा गया है और वह लगान देते चले आ रहे हैं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस एवार्ड की घोषणा कब तक हो जायेगी और भू-स्वामियों ने जो लगान चुकाया है, वह लगान और 10 वर्षों तक जो उनकी भूमि सिंचाई विभाग के कब्जे में रही है, क्या उस लगान और मुआवजे का ब्याज सहित भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, यह जो बांध बनाने के लिये जमीन ली गई थी और भी जो योजनाओं में जमीन ली गई है, उसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा कुल 50 लाख रुपया पहले ही जमाकर दिया गया था, वहां जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी थे, जिनके द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाता है, सिंचाई विभाग ने सारा पैसा पहले से वहां जमा कर दिया है, लेकिन भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर से विलम्ब के कारण अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है । वह जैसे ही अपनी कार्यवाही पूरी करेंगे, उसका भुगतान तुरन्त करा दिया जायेगा, जितना नियमानुसार बनता है । जो उनका लगान है, वह अब खारिज हो जायेगा और रिकार्ड में दुरुस्ती भी हो जायेगी ।

श्री भागीरथ चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पथराई बांध, मऊरानीपुर को बनाने के लिये पिछले वर्ष 1 करोड़ रुपया स्वीकार किया गया था लेकिन मान्यवर, बवंडर करके सूखा राहत के नाम पर उस पैसे को किसान को न देकर, बांध के कार्य को रोक दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस संबंध में आपने अभी तक क्या कार्यवाही की और उस पैसे को जो मिलना चाहिये था, उसके बारे में आपकी क्या राय है, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, मेरे भी प्रश्न उसी से संबंधित है और नीतिगत प्रश्न है कि सिंचाई विभाग द्वारा केवल बस्ती जिले में ही नहीं, बल्कि देवरिया, गोरखपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह से भूमि अधिग्रहीत करके बिना मुआवजा दिये हुये निर्माण कार्यों को करवा लिया है। 10-10 वर्ष हो गये हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। देवरिया में छोटी गण्डक, ड्रेनेज व नहरें निकाली गई हैं, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन का नीतिगत आधार क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी दिसम्बर, 1987 के पहले सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं, वहां पर लोगों को मुआवजे की बकाया धनराशि देने की कृपा करेंगी।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, वर्तमान में जो शासनादेश है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रतिकर का समय से न बटने का एक कारण यह है कि सिंचाई विभाग में जो ओ0 एस0 डी0 का पद है, वह काफी लम्बे समय से रिक्त है। यदि किसी को वहां तैनात भी किया जाता है तो ज्वाईन नहीं करता है। यदि इस समय पद रिक्त है तो माननीय मंत्री जी इसे तत्काल भरने की कृपा करें ?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, माननीय श्री गुप्ता जी ने जो बात कही है, वह सही है। बीच में अधिकारी इस पर नहीं थे, जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। अब इसकी व्यवस्था कर दी गई है, जल्दी ही इसका निस्तारण हो जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 1981 से 1984 तक अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खण्ड बस्ती तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती के मध्य पत्राचार तथा आपत्तियों का निराकरण हो रहा था। आज सन् 1988 है। अब माननीय मंत्री जी विलम्ब के कारणों को ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। 1980-81 में जमीन ले ली गई। आज जब इस सूचना पर सदन में उत्तर दिया

जाना था तो माननीय मंत्री जी को पूरे तथ्यों के साथ आना चाहिए था, वह भी इन्होंने नहीं किया । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिनकी वजह से विलम्ब हुआ है, उनको आप दण्डित करेंगे और जो 50 लाख रुपए दिया गया है, वह किन-किन क्षेत्रों के लिए दिया गया है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इसमें अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज बस्ती ने 19-11-1981 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को यह प्रकरण भेजा, दिनांक 30-9-1982 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने उस पर आपत्ति लगाकर वापस लौटा दिया । 3-12-1982 को अधिशासी अभियन्ता ने आपत्तियों का निराकरण कर लौटा दिया, पुनः 20-1-1984 को पुनः विशेष भूमि अध्याप्ति ने कुछ आपत्तियां लगाकर इसे लौटा दिया । 7-5-1984 को अधिशासी अभियन्ता ने उन आपत्तियों का निराकरण कर वापस लौटा दिया । 30-7-1984 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस प्रकरण को भूमि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया, 9-1-1985 को भूमि निदेशालय ने उसे भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजे दिया, 29-1-1985 को उन आपत्तियों का निवारण करके पुनः उसे भूमि निदेशालय को भेज दिया गया और फिर दिनांक 18-1-1986 को धारा-4 को जारी किया गया और 5-7-1986 को धारा-4 (1) के अन्दर प्रकाशन हेतु भूमि निदेशालय लखनऊ को कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया, दिनांक 31-7-1987 को धारा-6 में अधिसूचना जारी कर दी गई और दिनांक 29-1-1988 को धारा-6 (1) में गजट प्रकाशन के लिए भेज दिया गया। तो इस तरीके से सारी चीजों की छान-बीन की गई। 50 लाख रुपये के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है । उसमें इस योजना के लिए भी पैसा दिया गया है और जिले की जो अन्य योजनायें हैं, उनका भी इसमें पैसा है । सब वह 50 लाख रुपया एडवान्स विभाग ने जमा कर दिया है ।

श्री हरिश्चन्द्र, श्री हरीश जी–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है ? उन्होंने उत्तर दिया है कि प्रकरण में विलम्ब के कारण ज्ञात किये जा रहे हैं। यह प्रश्न वर्ष 87 के प्रथम सत्र का है । दो वर्ष लग गये इस बात का पता करने में कि इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है, कह रहे हैं कि प्रकरण में विलम्ब के कारण ज्ञात किये जा रहे हैं । जमीन तो सिंचाई विभाग लेता है, कागज दूसरा विभाग तैयार करता है । अध्याप्ति अधिकारी कहता है सिंचाई विभाग जिम्मेदार है और सिंचाई विभाग कहता है अध्याप्ति अधिकारी जिम्मेदार है । दोनों विभागों की इस खींचतान में किसान तबाह हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग जिस भूमि को लेगा, उसका मुआवजा देने तक की सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी ?

श्री सीताराम निषाद–

यह बात सही है कि दो विभाग होने की वजह से इसमें विलम्ब होता है । इसीलिये इसका गम्भीरता से अध्ययन किया जा रहा है कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाय जिससे जल्द कार्यवाही हो सके ।

[बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उच्च न्यायालय में विचाराधीन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रहे परिवहन निगम के बसों की वापसी

*1—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक राज्य सड़क परिवहन निगम उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 4042 आर डब्लू/87-1109 आर/डब्लू/87 दिनांक 10 अगस्त, 87 के द्वारा 14 राष्ट्रीयकृत मार्गों के मुकदमों जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं जिस पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चल रही थी, को वापस ले लिया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

परिवहन एवं आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

जी नहीं ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों की अधिसूचनायें नहीं अपितु मोटर यान अधिनियम 1939 की धारा 68-सी के अन्तर्गत प्रकाशित राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित 14 योजनायें वापस ली गयी हैं ।

उक्त 14 योजनायें लगभग 10 से 20 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुयी थी और इनके विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा नियुक्त श्रवणाधिकारी (संयुक्त विधि परामर्शी) के सम्मुख उक्त अधिनियम की धारा 68-डी (2) के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण लम्बित थीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी 5-6 योजनायें लम्बी अवधि से अधिनियम की धारा 68-डी (2) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न हो पाने और इस मध्य योजना से संबंधित मार्गों में हुये परिवर्तन/विस्तार आदि भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विखण्डित कर दी गयी ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 14 योजनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभीनवीकृत कर प्रकाशित किये जाने के उद्देश्य से वापस लिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया अपने उत्तर में कि इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि इसे अभिनवीकृत किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने सालों से परिवहन निगम की बसें इन सड़कों पर चल रही थीं और क्या यह मुकदमा वापस लेने के लिये महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश ने राय दी थी ? यदि दी हो, तो बतायें ।

श्री राम नाथ मुंशी—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा योजनाओं के विरुद्ध आपत्तियों की सुनवाई में हुए विलम्ब के विरोध में . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है ।

श्री राम नाथ मुंशी–

उत्तर देने के पहले मैं प्रस्तावना को स्पष्ट कर रहा हूं । जब प्रस्तावना ही स्पष्ट नहीं होगी तो उत्तर समझ में नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अभी आप बैठें । मा0 रेवती रमण सिंह जी आप प्रश्न फिर से कर लीजिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है उसका आप जवाब मंत्री जी से दिलवाइये । मा0 मंत्री जी पोथन्ना पढ़ रहे हैं, इसके लिये हम लोग नहीं आये हैं कि इनका पोथन्ना यहां बैठ कर सुनें । अभी प्रश्नों का समय समाप्त हो जायेगा, प्रश्न का उत्तर नहीं आ पायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप दुबारा अपना प्रश्न कर लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरा प्रश्न यह है कि आपने उच्चतम न्यायालय से मुकदमा वापस ले लिया तो क्या इस संबंध में आपने एटर्नीजनरल की उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की राय ली थी ?

श्री राम नाथ मुंशी–

यह दस-बीस वर्षों से लम्बित मामला था उच्चतम न्यायालय में और इस बीच इतना बिस्तार हो गया सड़कों का और आबादी का दबाव भी बढ़ गया, अतः उसी पर पुनः विचार करना उपयुक्त न समझ कर शासन ने पुनरीक्षण करने के लिये कुछ मार्गों को ले लिया । कुछ को न्यायालय के स्थगन के आधार पर स्थगित कर दिया गया । इस तरह से यह आज तक हो गया था कि उनका पुनरीक्षण किया जाय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाय । इसीलिये ऐसा किया गया है । उच्चतम न्यायालय के आदेश हो गये थे, उन्हीं के आदेशों के कारण महाधिवक्ता से राय लेना उचित नहीं समझा गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रश्न किया गया है आप उसी में सीमित रहें और आप प्रश्न का ही जवाब दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो इनके अधिकारियों ने लिखकर दे दिया है जवाब देने के लिए उसी को पढ़ कर ये सदन व समय नष्ट कर रहे हैं । आप उनके लिखे हुए पर न जायं बल्कि अपने विवेक से उत्तर दीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अन्त में लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 14 योजनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभीगवीकृत कर प्रकाशित किये जाने के उद्देश्य से वापस लिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है जिसके प्रकाश में आपने यह निर्णय लिया ?

श्री राम नाथ मुंशी–

श्रीमन्, मैंने उच्चतम न्यायालय का सन्दर्भ दिया है यह मामला दस-बीस वर्षों से लम्बित था और इस बीच में विकट परिस्थितियां पैदा हो गयीं । चूंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो गया था इसलिये महाधिवक्ता से राय न लेकर शासन ने उच्चतम न्यायालय के निदेश पर मुकदमा वापस ले लिया क्योंकि 3 सड़कें धारा 68-सी में जा चुकी हैं और शेष के लिए पुनः विचार किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिना महाधिवक्ता की राय लिए ही उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही की गयी ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में यह वापस लिया गया है । निर्णय न्यायालय ने किया है या नहीं यह तो वही बात है कि जैसी देहात में एक कहावत है कि "उड़ती हवा सवा नौ पसेरी" प्रश्न क्या था और जवाब क्या दिया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, हमारी जानकारी में है कि सरकार न्यायालय में गयी थी....

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा के अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी आप कृपया बैठें, मैंने आपको बुलाया तो है नहीं, जब मैं बुलाऊं तब बोलें। माननीय रघुवर दयाल जी, जब भी माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं तो आप तीन-चार आदमी खड़े हो जाते हैं और उनका जवाब पूरा हो नहीं पाता है, इसलिए पहले कृपा करके उनकी पूरी बात सुन लीजिए और अगर उस वक्त आप संतुष्ट न हों, तो मैं माननीय मंत्री जी को और आपको अपने कक्ष में बुलवा लूंगा और बात वहां पर हो जायेगी । प्रश्न संख्या -2..

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर इसको स्थगित कर दें और स्थिति को देखते हुए आप हम लोगों को संरक्षण दें क्योंकि जो भी उनसे प्रश्न किये जाते हैं वह पूरा पुथन्ना पढ़ना शुरू कर देते हैं, ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसी लिए मैं कह रहा था कि उनकी बात तो पूरी आप पहले सुन लीजिए...

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर जितने माननीय सदस्यों ने सवाल किये हैं, उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप भी इससे सहमत हो गये थे, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज इस प्रश्न को स्थगित कर कल किसी दूसरे मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि सरकार न्यायालय तो गयी थी, लेकिन क्या इन्होंने मुकदमा वापस लेने से पहले विधि परामर्शी या महाधिवक्ता की राय ली थी या नहीं, और यह छोटी सी बात मान्यवर सभी को मालूम है कि ऐसे सरकारी मामलों में कोई भी निर्णय लेने से पहले विधि परामर्शी/महाधिवक्ता की भी राय अवश्य ली जाती है, तभी कोई निर्णय लिये जाते हैं, लेकिन यहा पर यह कुछ किये बगैर यदि ऐसा किया गया है तो मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इसमें भारी रकम में गड़बड़ी की गयी है, इसलिए मान्यवर इस प्रश्न को प्रश्न संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दें ताकि वह विस्तार पूर्वक विचार कर इस भ्रष्टाचार के मामले पर कुछ प्रकाश डाल सके ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर इस प्रश्न को आपने स्थगित तो कर दिया, साथ ही मैंने एक बात और कही थी कि इसका उत्तर कल ही आप दिलवा दें, तो मान्यवर ऐसी कोई व्यवस्था करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

जो भी नियमानुसार होगा, वही किया जायेगा ।

गोमतीनगर बांध योजना लखनऊ के निर्माण हेतु उत्तर रेलवे लाइन (लखनऊ) की सहमति

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री को इसकी जानकारी है कि गोमतीनगर बांध योजना लखनऊ का कार्य प्रारम्भ हो गया है परन्तु उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और रेलवे अपने पुलों की रिमाडलिंग के लिए काफी धन मांग रही है ? यदि हां, तो रेलवे की सहमति के बिना कार्य पूर्ण कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है ?

श्री सीता राम निषाद–

गोमती नगर आवासीय योजना की बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध के निर्माण का कार्य राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन के आधार पर वर्ष 1985-86 में आरम्भ हुआ था । प्रस्ताव के अनुसार इस तटबन्ध को उत्तर रेलवे लाइन्स (लखनऊ-फैजाबाद) से जोड़ना प्रस्तावित था जिसमें रेलवे लाइन का कल्वर्ट नं0-468 बन्द होने के कारण उत्तर रेलवे विभाग से सहमति लेना बांछित था । गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् पटना के मतानुसार बांध को रेलवे लाइन्स से न जोड़कर इसे रेलवे लाइन्स के समानान्तर बनने वाली रिंग रोड से जोड़ने पर विचार किया जाना था । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे लाइन्स से 300 मीटर ऊपर रिंग रोड का निर्माण तटबन्ध के परिकल्प के अनुरूप किया जा रहा है और अब इसे कल्वर्ट नं0 468 प्रभावित नहीं होगा परिवर्तित स्थिति में रेलवे विभाग से सहमति लेना वांछित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में अनेकों ऐसे बांध बन रहे हैं, जिनको तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, इसलिए मान्यवर इस धारणा पर गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है, जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे कार्य जो बिना डिजाईन बनाए हो रहे हैं, क्या ऐसे कार्यों को बाढ़ नियंत्रण तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति मिल गयी है या नहीं बिना स्वीकृति के काम हो रहा है, तो क्यों ।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, उत्तर में स्पष्ट है । तटबंध के निर्माण का कार्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन के आधार पर वर्ष 1985-86 में आरम्भ हुआ था । प्रस्ताव के अनुसार इस तटबन्ध को उत्तर रेलवे लाइन-लखनऊ फैजाबाद-से जोड़ना प्रस्तावित था जिसमें रेलवे लाइन का कल्वर्ट सं0 468 बन्द होने के कारण उत्तर रेलवे विभाग से सहमति लेना वांछित था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि सहमति मिली या नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

आगरा नहरों को हरियाणा राज्य को हस्तानान्तरण करने की उ0 प्र0 सरकार की नीति

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि हरियाणा राज्य सरकार अपर आगरा कैनाल मथुरा का नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर उ0 प्र0 सरकार पर निरन्तर जोर दे रही है? यदि हां, तो इस संबंध में प्रदेश सरकार की नीति क्या है? क्या सरकार उसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां, हरियाणा सरकार आगरा नहर की उन नहरों को, जो हरियाणा क्षेत्र को पोषित करती हैं, अपने नियंत्रण में लेने हेतु बल दे रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार की नीति उक्त नहरों को हरियाणा राज्य को स्थान्तरण करने की नहीं है।

विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 114 पर)

राज्य विद्युत परिषद् में कर्मचारियों की हड़ताल वापस तथा मुख्य मांगे

*4–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि माह नवम्बर-दिसम्बर, 87 में विद्युत कर्मियों की हड़ताल के दौरान उत्पादन कितना घटा और वितरण पर क्या प्रभाव पड़ा? कितने कर्मचारी संगठन व कौन-कौन से संगठन हड़ताल पर थे? हड़ताल के दौरान निष्कासित

नोट:–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरोक्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

कर्मचारियों को क्या वापस ले लिया गया है तथा हड़ताली कर्मचारियों ने किस आश्वासन पर हड़ताल वापस ली ? क्या वे आश्वासन पूरे कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हड़ताल पर जाने से ताप्तीय उत्पादन में कमी नहीं आई। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति हड़ताल की अवधि में सामान्य रही।

चार कर्मचारी संगठन-उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, विद्युत मजदूर संगठन (श्री राय ग्रुप) एवं हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन (श्री पाण्डे ग्रुप) हड़ताल पर थे।

हड़ताल के दौरान निष्कासित कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

हड़ताली यूनियनों ने बिना शर्त हड़ताल वापस ली थी।

चारों हड़ताली यूनियनों से वार्ता के उपरान्त दिनांक 18-12-1987 को समझौता हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर जनपद के सहजनवा क्षेत्र में कतिपय नालों के निर्माणार्थ शासन द्वारा उपलब्ध धनराशि

*5–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में सहजनवां विधान सभा क्षेत्र स्थित सहजनवां डुमरिया बाबू बांध को सुदृढ़ करने एवं चौरमा नाले की खुदाई व बड़ा रेगुलेटर का निर्माण करने के लिए चौरमानाला की परियोजना की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है? क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि गोरखपुर ड्रेनेज खण्ड के अभियन्ताओं द्वारा चौरमा नाले पर 10 लाख रुपये के पत्थर की सप्लाई की गयी है? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहजनवां डुमरिया बाबू बांध के सुदृढ़ीकरण के सन्दर्भ में इस बांध के किमी 8 से 9 के बीच चौरमा रिटायर बांध, 6 गतिरोधक (डेम्पनर) एवं रेगुलेटर बढ़ाने की एक योजना लागत 98.32 लाख रुपये एवं दूसरी योजना चौरमा नाले पर दो पुल बनाने की तथा ठेके हटाने की लागत 12.77 लाख रुपये, तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जनवरी 1986 में अनुमोदित की गई है। प्रथम योजना का माह फरवरी 86 से कार्य प्रारम्भ कर चौरमा रिटायर बांध का लगभग 50 प्रतिशत भाग एवं चार गतिरोधक (डेम्पनर) का कार्य किया गया है। रेगुलेटर का कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। दूसरी योजना में दो पुलों के निर्माण की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है तथा नाले की ठेके सफाई मार्च, 1988 के बाद आरम्भ करना संभव होगा। अवशेष कार्यों को धन उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा।

ड्रेनेज प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा बोरमा नाले की योजना पर कोई पत्थर की सप्लाई नहीं ली गई है। अपितु उपरक्त प्रथम योजना पर लगभग 5.2 लाख रुपये से पत्थर (बोल्डर) की आपूर्ति ली गई है। उक्त पत्थर (बोल्डर), गतिरोधक (डेम्पनर) बनाने एवं वर्षाकाल में बाढ़ से निपटने (फ्लड् फाइटिंग) के कार्य हेतु लिया गया है।

किसानों के लिए सप्लाई की जाने वाली बिजली के घन्टे तथा बिजली की दरें कम करने की मांग

*6—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के किसानों को प्रतिदिन नियमित रूप से 4 घण्टे की भी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों को दी जाने वाली बिजली का रेट घटाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश के किसानों को प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है जिसको यथासंभव प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यहां तक कि विद्युत की उपलब्धता अधिक होने पर निर्धारित समय से अधिक आपूर्ति भी कभी-कभी की जाती है। किन्तु कभी-कभी स्थानीय पोषकों में दोष हो जाने पर विद्युत की आपूर्ति कम रहती है।

कृषकों को विद्युत उसकी उत्पादन लागत की तुलना में बहुत कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। इन दरों में कमी करने पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्य सड़क परिवहन के निरन्तर घाटे का औचित्य

*7—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश को वर्ष 1986 और 1987 में यात्री बस किराये से कितनी आय हुई और बस भाड़े से कितनी आय हुई? निगम की वार्षिक आय में निरन्तर घाटे में रहने के क्या कारण है? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सड़क परिवहन निगम को यात्री बस के किराये और भाड़े से वित्तीय वर्ष 85-86 और 86-87 में क्रमशः 15598.32 लाख रुपये व 17539.02 लाख रुपये की आय हुई। निगम को वार्षिक आय में निरन्तर घाटा रहने के निम्नलिखित कारण हैं:—

1—कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की दरों में वृद्धि।

2—पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि।

3—टायर, ट्यूब फ्लैप, कलपुर्जों आदि के मूल्यों में हो रही वृद्धि।

4—बस बेड़ा पुराना होने के कारण रख रखाव आदि पर व्यय।

5—ऋण एवं पूंजी अंशदान में वृद्धि के साथ-साथ देय ब्याज की धनराशि में वृद्धि।

6—संचालन व्यय में वृद्धि के अनुपात में बस किराये में समय से वृद्धि न होना।

सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की है:—

1—राज्य सरकार ने पूंजी अंशदान को वर्ष 1985-86 व 86-87 में क्रमशः 20-20 करोड़ रुपये को इक्यूटी में परिवर्तित कर दिया है जिस पर ब्याज देय नहीं है।

2—सरकार ने दिनांक 25-3-87 से बस किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त परिवहन निगम द्वारा घाटे से बचने हेतु निम्न उपाय किये गये हैं:—

1—परिवहन निगम के बस बेड़े को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसके लिए 1985-86 में 875 चेसिसें तथा 1986-87 में 1554 चेसिसें प्राप्त की गयी जिन पर बाडी निर्माण का कार्य करा कर संचालन में सम्मिलित कर दिया गया।

2—कार्यशालाओं की कार्यक्षमता में सुधार लाने, आफ रोड प्रतिशत पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं संचालन में आवश्यक सुधार लाने के लिए 17 नये डिपों कार्यशालाओं के सृजन को अनुमति प्रदान की गयी।

*8—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[6वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासनादेश के अनुसार बलिया जनपद में बिजली की आपूर्ति

*9—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा घोषित घण्टा के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती ? क्या इससे संबंधित चार्ट प्रस्तुत करते हुए मंत्री जी जनहित में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह बलिया जनपद को निश्चित मात्रा में बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घंटे प्रतिदिन निर्धारित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लेकिन बलिया नगर की विद्युत आपूर्ति पिछले कुछ महीनों से 24 घण्टे प्रतिदिन नहीं हो पा रही है क्योंकि सूखे की इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है और इसके कारण बढ़ी हुई मांग और उपलब्धता में जो कमी आई वह प्रदेश में स्थित नगरों एवं उद्योगों पर आपात कटौती करके पूरी की जा रही है। बलिया नगर व जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को माह दिसम्बर 87, जनवरी, 88 एवं फरवरी, 88 में निम्नलिखित औसतन विद्युत आपूर्ति की गई। (घण्टे प्रतिदिन में)

माह			नगर	ग्रामीण क्षेत्र
दिसम्बर, 87	..	..	21	11.45
जनवरी, 88	..	..	18.45	10.45
फरवरी, 88 (1 से 14 तक)	..	..	16.45	10.15
(15 से 29 तक)	..	..	23.30	12.30
मार्च, (1 से 14 तक)		..	23.30	13.00

माह फरवरी, 88 के द्वितीय पखवारे से कुछ वर्षा हो जाने से स्थिति में सुधार हुआ है और आजकल नगर की विद्युत आपूर्ति निर्धारित रूप से हो रही है।

*10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दिनांक 16-3-88 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर बकाया धन

*11—श्री हर्षवर्धन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) पर उत्तर प्रदेश रा0 स0 प0 निगम का लगभग सवा करोड़ रुपया बस किराये का बकाया है ? यदि हां, तो बकाया की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी (आई) के विरुद्ध कुल धनराशि रु0 1,35,83,053.59 बकाया है।

बकाया की धनराशि के देयक उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी (आई) को भेजे जा चुके हैं तथा उसकी वसूली हेतु बराबर सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् को शासन द्वारा दिया गया ऋण तथा बाकी ब्याज

*12—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1987 तक राज्य विद्युत परिषद् को शासन द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया तथा ऋण पर कुल कितना ब्याज बाकी है जो शासन को प्राप्त होना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को वर्ष 1986-87 के अन्त तक 3635.51 करोड़ रुपया (असम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर) ऋण के रूप में दिया गया है तथा 1620.35 करोड़ रुपया उपरोक्त ऋणों पर ब्याज का बकाया है।

मदन सूती मिल हस्तिनापुर, मेरठ के बन्द का औचित्य

*13–श्री हरशरण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदन सूती मिल हस्तिनापुर, मेरठ कितने वर्ष से बन्द पड़ी है और उसको क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिए स्थापित कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक उसको चालू क्यों नहीं कराया गया है ? उसको चलाने के लिए क्या बाधा आ रही है और इसको कब तक चालू करने की शासन की नीति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मै0 मदन इण्डस्ट्रीज लि0, हस्तिनापुर, मेरठ 8 अगस्त, 1984 से बन्द है । यह सही है कि इकाई को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बांगलादेश) से आये विस्थापितों को रोजगार देने के लिये स्थापित किया गया था । मिल को चालू किये जाने हेतु राज्य सरकार ने रिलीफ पैकेज बनवाया जो लागू नहीं हो सका क्योंकि वित्तीय संस्थाओं ने अध्ययन के बाद इस प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया । फिलहाल वर्तमान में इकाई की पुनर्स्थापना का मामला भारत सरकार द्वारा "रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां विशेष उपलब्ध) अधिनियम, 1985" के अन्तर्गत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद् के समक्ष विचाराधीन है ।

*14–श्री मैनेजर सिंह–

[7वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तारित]

*15–श्री महेन्द्र भाटी–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*16–श्री मित्रसेन–

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

लेवी चीनी का मूल्य निर्धारण का औचित्य

*17–श्री रणजीत

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 510.00 रुपया प्रति बोरा चीनी बेचने का सरकारी दुकानदारों को आदेश है ? यदि हां, तो क्या 508/- प्रति बोरा बैंक ड्राफ्ट, 2/- प्रति बोरा कमीशन, 1/- प्रति बोरा पल्लेदारी और 3/- प्रति बोरा भाड़ा (निर्धारित दर के अनुसार) 514/- प्रति बोरा कीमत आती है ? यदि हां, तो 510/- रुपया प्रति बोरा चीनी बेचने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार दुकानदारों को हानि से बचाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को रु0 508/- प्रति कुन्टल की दर से लेवी चीनी निर्गत की जाती है । अन्य बातें शासन की जानकारी में नहीं है ।

लेवी चीनी की फुटकर बिक्री दर व विक्रेताओं का लाभांश भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । लेवी चीनी के फुटकर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि का प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित है । इस मामले में भारत सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाना है ।

गोसाईगंज, फैजाबाद में कतिपय डिपों की बसों को रुकने की मांग

*18–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय परिवहन निगम की गोण्डा, वाराणसी तथा बलिया डिपो की जनपद फैजाबाद के गोसाईगंज टाउन एरिया से होकर जाने वाली बसें गोसाईगंज बस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो परिवहन निगम की घाटे की स्थिति और गोसाईगंज बाजार की विशेष स्थिति को देखते हुये क्या सरकार उक्त तीनों डिपो की गोसाईगंज कस्बे से होकर जाने वाली बसों को गोसाईगंज में रुक कर सवारियों को लेने और उतारने का निर्देश जारी करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोण्डा, वाराणसी तथा बलिया डिपो की लम्बी दूरी एवं रात्रि-सेवा की मात्र 6 सेवायें गोसाईगंज में नहीं रुकती हैं । इस मार्ग से होकर जाने वाली अन्य यात्री (पैसेंजर) बसें वहां रुक कर यात्री उतारती व उठाती हैं ।

गोसाईगंज बाजार में उपलब्ध होने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान में इस स्थान पर 37 अप व 37 डाउन सेवायें रुकती हैं जो वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है । अतः गोण्डा, वाराणसी तथा बलिया डिपो की उक्त लम्बी दूरी/रात्रि सेवाओं को गोसाईगंज में रुककर यात्री लेने तथा उतारने के संबंध में निर्देश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोसाईगंज में रुकने वाली बसों की संख्या, यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में पर्याप्त है ।

सहायक आबकारी आयुक्त की नियुक्ति

*19–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सहायक आबकारी आयुक्त का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से अप्रैल, 87 में हुआ था और आयोग की संस्तुतियां शासन को जुलाई 87 में प्राप्त हो गयी थीं ? यदि हां, तो नियमानुसार आयोग के संस्तुतियों पर शासन रिक्त 38 पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहा है तथा सहायक आबकारी आयुक्त के रिक्त पदों पर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9141

हिन्डालको प्रतिष्ठान रेनूकोट मिर्जापुर पर बिजली का बकाया

*20—श्री गौरी शंकर भइया तथा
डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में "हिन्डालको" प्रतिष्ठान रेनूकोट पर राज्य सरकार का कितना बिजली खर्च होता है ? "हिन्डालको" प्रतिष्ठान पर 10 फरवरी , 88 तक राज्य विद्युत परिषद् का कितना धन बकाया है ? क्या सरकार हिन्डालको पर बकाया धन को वसूल करेगी? यदि हां, तो यह वसूली कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद झांसी के गुरुसराय मुख्य नहर एवं उसके राजवाहों एवं माइनरों से जल की उपलब्धता के आधार पर सींच

1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के गुरुसराय मुख्य नहर एवं उससे निकलने वाली राजबाहा तथा माइनरों की टेल पर पड़ने वाले ग्रामों के खेतों का पलेवा एवं सिंचाई जो गत वर्षों हो जाया करती थी , वर्ष 86-87 में नहीं हो पायी थी जिससे हजारों एकड़ भूमि बोई नहीं जा सकी तथा लाखों रुपये के राजस्व की शासन को हानि हुई है ? क्या इसका मुख्य कारण नहरों की सफाई नहर चलने के पूर्व नहीं किया जाना है ? क्या मंत्री जी इसके कारणों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी जिले की गुरुसराय मुख्य नहर एवं उससे निकलने वाली माइनरों की टेल पर पड़ने वाले ग्रामों के खेतों का पलेवा एवं सींच, गत पांच वर्षों में जो हो जाया करती थी, उसकी तुलना में वर्ष 86-87 में सींच कम हुई ।

इन क्षेत्रों में वर्ष 86-87 में लगभग 4,000 हे0 भूमि बोयी गयी जब कि पिछले पांच वर्षों में औसतन लगभग 3,800 हे0 भूमि रबी में बोई जाती थी । इस प्रकार टेल पर पड़ने वाले ग्रामों के खेतों के बोये क्षेत्र में कमी नहीं हुई है । गुरुसराय नहर एवं उससे निकलने वाली राजवाहों एवं माइनरों की टेल के ग्रामों में गत पांच वर्षों के औसत से वर्ष 86-87 में लगभग 25,000 रु0 राजस्व की कमी आई है ।

नहरों पर, वर्ष 86-87 में नहरों के चलने से पूर्व, व्यय लगभग विगत वर्षों की भांति ही किया गया है इसलिये मुख्य नहर तथा राजवाहा एवं माइनरों की टेल पर पड़ने वाले ग्रामों के खेतों में सींच कम होने का मुख्य कारण नहर चलाने से पूर्व नहरों की सफाई न किया जाना न होकर बेतवा नदी में नहर के हेड पर पानी की कम उपलब्धता होना, नहर को अप्रैल, 1986 से जुलाई, 86 तक पहली बार प्रयोगात्मक रूप में खरीफ की सींच विकसित करने के उद्देश्य से चलाये जाने के कारण नहर से घास का उग आना,

सूखा वर्ष होने के कारण ऊपर के कृषकों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक पानी का लिया जाना तथा माह जनवरी में , जौ, चने, मसूर आदि में एक पानी देने से सींच मिल जाया करती थी उसका माह जनवरी 1987 में क्षेत्र में वर्षा हो जाने से जिन्सों में पानी का न लिया जाना है ।

जल की उपलब्धता के अनुसार अधिकाधिक सींच कराने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से टेल पर सींच की कमी के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

श्री एम0 पी0 अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता को क्रय करने हेतु आपूर्ति आदेश करने का अधिकार

2—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में अधिशासी अभियन्ता को प्रति एक माह में अधिकतम कितने रुपये का सप्लाई आर्डर करने का अधिकार है ? अधिशासी अभियन्ता (श्री एम0 पी0 अग्रवाल) बेतवा नहर प्रखण्ड झांसी द्वारा जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1987 में प्रति माह कितने रुपये के किस कार्य के सप्लाई आर्डर किये गये ? क्या प्रति माह लाखों रुपये का सप्लाई आर्डर करने का इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था ? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा ? यदि नहीं , तो इस वित्तीय अनियमितता के लिये इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधिशासी अभियन्ता को उद्योग निदेशालय द्वारा निर्धारित 65 आइटम के क्रय हेतु एक समय में पन्द्रह हजार रुपये के आपूर्ति आदेश करने के अधिकार हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, झांसी प्रखण्ड बेतवा नहर, झांसी द्वारा किये गये पूर्ति आदेश इस प्रतिबंध के अन्तर्गत नहीं हैं क्यों कि सम्पूर्ति लिये गये आइटम नव निर्मित एनेक्सी की साज सज्जा के हैं जिसके लिये आवंटित धनराशि की सीमा तक क्रय करने का अधिकार है ।

अधिशासी अभियन्ता ने जनवरी 1987 में 18204/-रु0 के फरवरी 87 में 13656/- रु0 के तथा मार्च, 1987 में 44817.95/- रु0 के सम्पूर्ति आदेश निम्न कार्यों के लिये किये गये जिनमें से कुल 63,338/- रु0 के आदेश नव निर्मित एनेक्सी की साज सज्जा हेतु किये गये जो आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही हैं ।

क्रमांक	माह	कार्य जिसके लिये सप्लाई आर्डर किए गए	धनराशि
1	जनवरी' 1987	.. स्टाक	6204.00
		फर्नीचर	12000.00
2	फरवरी, 1987	.. स्टाक	
		फर्नीचर	13650.00
3	मार्च, 1987	.. स्टाक	7136.00
		फर्नीचर	37682.00
		योग	76678.00

अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दीना नाथ कमलापुरी, किरायेदार, गोला बाजार, गोरखपुर के विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही

3—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत नगर क्षेत्र गोला बाजार में उ0 प्र0 शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 प्रभावी होने के बावजूद भी किरायेदारों को उत्पीड़न करने के ध्येय से परगनाधिकारी गोला तथा मुकामी पुलिस साजिस वश 70 (सत्तर) वर्ष से अधिक के किरायेदार श्री दीनानाथ कमलापुरी को धारा 145 तथा 146 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत एकतरफा आदेश द्वारा उनकी दुकान व माल को 1-11-87 को जब्त करके पुलिस द्वारा ताला लगवा दिया गया है जिससे उक्त परिवार भूखों मरने की स्थिति में हो गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही किस नियम के अन्तर्गत की गई है?

श्री हुकुम सिंह—

प्रश्नगत मामला उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 से सम्बन्धित नहीं है।

प्राप्त सूचना के अनुसार विवादित भवन के सम्बन्ध में धारा 145 व 146 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

उ0 प्र0 परिवहन निगम की जनपद फैजाबाद से होकर चलने वाली बसों के संचालन का विवरण

4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय परिवहन निगम की जनपद फैजाबाद से होकर चलने वाली अधिकांश सेवायें अस्त-व्यस्त रहती हैं और लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से फैजाबाद के किछौछा शरीफ जाने वाली बस प्रायः रद्द कर दी जाती है अथवा किछौछा शरीफ जाने के बजाय अक्सर फैजाबाद बस स्टेशन पर ही रुक जाती है? क्या यह भी सही है कि पिछले 6 महीनों में जनपद फैजाबाद में फैजाबाद डिपो द्वारा कई स्थानीय सेवाओं को रद्द कर दिया गया है? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद में जनवरी, 1988 में लखनऊ-किछौछा शरीफ बस सेवा तथा रद्द अथवा स्थगित की गई स्थानीय सेवाओं का विवरण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

फैजाबाद से होकर चलने वाली निगम बसों की समयबद्धता 83 प्रतिशत है।

कैसरबाग डिपो द्वारा संचालित लखनऊ किछौछा शरीफ बस सेवा को जिस दिन लखनऊ से किछौछा शरीफ के सीधे यात्री उपलब्ध नहीं होते हैं उसी दिन फैजाबाद तक निगम हित में वह संचालित होती है। यदि फैजाबाद से भी किछौछा शरीफ के लिये पर्याप्त यात्री मिल जायें तभी बस किछौछा शरीफ तक जाती है। यह सेवा कैसरबाग से 15-00 बजे प्रस्थान करके फैजाबाद 18-20 बजे एवं किछौछा शरीफ 21-00 बजे पहुंचती है।

जी नहीं।

लखनऊ–किछौछा शरीफ मार्ग पर जनवरी, 1988 में कुल 62 ट्रिप संचालन हेतु निर्धारित थे जिनके विरुद्ध 43 फेरे संचालित हुए । मात्र 19 फेरे किछौछा शरीफ के यात्री उपलब्ध न होने की स्थिति में बस का उपयोग अन्य मार्गों पर उनके यात्रियों को अकस्मात अधिकता हो जाने पर किया गया। इसमें किसी का दोष नहीं प्रतीत होता है।

फैजाबाद डिपों द्वारा संचालित स्थानीय सेवाओं का जनवरी 1988 का विवरण निम्नवत् है:–

फैजाबाद डिपोद्वारा संचालित स्थानीय सेवाओं का जनवरी 1988 का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	सेवा का नाम	निर्धारित	संचालित ट्रिप	स्थगित
1	फैजाबाद--नन्सा	.. 58	52	04
2	फैजाबाद--भीटी (वर्तमान में दोस्तपुर तक बढ़ा दी गयी है।)	.. 58	52	04
3	फैजाबाद--चरावां	.. 62	52	10
4	फैजाबाद--जहांगीरगंज (भादरमऊ तक बढ़ा दी गयी है।)	.. 62	50	12
5	फैजाबाद--रामनगर	.. 58	56	02
6	फैजाबाद--रसूलाबाद	.. 54	54	00
7	फैजाबाद--राजेसुल्तानपुर	.. 112	98	14
8	फैजाबाद --शाहगंज (सिधौरा तक बढ़ा दी गयी है।)	.. 56	23	33
9	फैजाबाद--रफीगंज	.. 62	47	15
10	फैजाबाद--जलालपुर	.. 60	40	20
11	फैजाबाद--दरगाह (बुढ़वल तक बढ़ा दी गयी है।)	.. 101	20	81

उपरोक्त चार स्थानीय सेवाओं का विस्तार आगे तक कर दिया गया है । क्रमांक 8 तथा 11 पर असाधारण परिस्थितियों में स्थगन हुये हैं। स्थगन रोकने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों के खराब ट्रान्सफारमरों की मरम्मत

5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा गौरी शंकर भइया—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में 63 के0 वी0 ए0 के आठ और विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में तीन ट्रान्सफारमर खराब हो जाने से तथा विभाग में 4×6 एम0 एम0 के पी0 वी0 सी केबिल उपलब्ध न होने के कारण इस सूखे के मौसम में किसानों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है। क्या यह सही है कि मै0 त्रिभुवन इन्टरप्राइजेज, फैजाबाद में 63 के0 वी0 ए0 के 21 ट्रान्सफारमर मरम्मत होकर पड़े हैं और अभी तक स्टोर को केवल इसलिए नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि लखनऊ की विभागीय टीम द्वारा उनका निरीक्षण होना शेष है ? यदि हां, तो उक्त 21 ट्रान्सफारमरों का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तुरन्त निरीक्षण कराकर उनमें से 11 ट्रान्सफारमरों को जनपद फैजाबाद में हाईडिल की अकबरपुर डिवीजन को आवंटित करके किसानों की सूख रही फसल को बचाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में आठ ट्रांसफारमर 3-9-87 से 15-10-87 की अवधि में और विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में तीन ट्रांसफार्मर 18-9-87 से 8-10-87 की अवधि में खराब हो गये थे। सूखे के मौसम में 4×6 एम0 एम0 केबुल तथा ट्रांसफारमरों की मांग एकाएक बढ़ गई थी जिससे कुछ दिनों अभाव की स्थिति पैदा हो गई थी ।

मैसर्स त्रिभुवन इन्टरप्राइजेज फैजाबाद में पड़े 21 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हो जाने की सूचना 8-10-87 को प्राप्त हुई थी। इनका निरीक्षण 15-16 अक्टूबर को कर लिया गया तथा 16-10-87 को ही इनको इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई ।

विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के आठ खराब ट्रांसफारमरों को 20-10-87 से 17-11-87 की अवधि में और विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के तीन खराब ट्रांसफारमरों को 26-9-87 से 7-11-87 की अवधि में बदल कर पुनः चालू कर दिया गया है और स्थिति सामान्य हो गई है ।

6—श्री गौरी शंकर भइया—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव में विद्युत सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति एवं कार्य प्रगति

7—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव में एक विद्युत सब-स्टेशन बनाने की योजना विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत है? यदि हां, तो इस सब-स्टेशन हेतु जमीन प्राप्त करने एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध करने के लिये वर्ष 1987-88 में प्राविधान किया गया है। उक्त प्रक्रिया में उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि ग्राम सभा से मिलने की आशा है। जिला प्रशासन द्वारा "रिजम्पशन आफ हैण्ड" हेतु प्रयास किया जा रहा है। जमीन मिल जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नरेश प्रसाद बाजपेई व श्री शिव शंकर लाल वर्मा लिपिक स्थापना दुग्ध एवं पशु-पालन विभाग, के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

8–श्री मूल चन्द्र–

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर लाल सिंह, 43, रायल होटल, लखनऊ ने एक शिकायती-पत्र जिस पर चार मा0 विधायकों ने संस्तुति की थी जो सचिव दुग्ध एवं पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि श्री चन्द्र प्रकाश, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन में अपने पत्रांक सं0-वी0 आई0 पी0 148/बारह-दू0 वि0-5(33)/87 दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को सर्वश्री राम नरेश प्रसाद बाजपेयी व शिव शंकर लाल वर्मा लिपिक स्थापना के विरुद्ध शीघ्र जांच कराकर जांच आख्या को शासन को भेजने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो उल्लिखित शिकायतों की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और उस जांच आख्या को शासन को कब तक भेज दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । श्री शंकर सिंह, रायल होटल, लखनऊ का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

उल्लिखित पिथौरागढ़ की जांच श्री पंचम लाल, उप दुग्ध आयुक्त (प्रशा0) द्वारा की जा रही है तथा जांच आख्या शासन को शीघ्रता से प्रेषित कर दी जायेगी ।

जनपद पिथौरागढ़ के निर्मित तड़ी गांव नहर में जलापूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था के संबंध में शिकायती-पत्र

9–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री को श्री लक्ष्मी चन्द्र प्रधान, ग्राम सभा बलतडी विकास खण्ड डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ का प्रश्नकर्ता के पत्रांक 728/86 दिनांक 13-2-86 के साथ बलतडी ग्राम में निर्मित नहर में पानी न आने पर भी उसी स्रोत से तड़ी गांव नहर को निर्मित करने पर, विरोध पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस हेतु दोनों नहरों में ज्येष्ठ क्षमता से पानी उपलब्ध रखने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। पत्रांक 728/86 दिनांक 13-2-86 न होकर पत्रांक 628/86 दिनांक 13-2-86 है ।

मुख्य गधेरा मनानीगाड़ से बलतड़ी नहर जिसका शीर्ष पर डिस्चार्ज 2.10 क्यूसेक है, का निर्माण हो चुका है तथा उक्त नहर से 1.00 कि0 मी0 ऊपर तड़ी गांव नहर जिसका शीर्ष पर डिस्चार्ज 3.10 क्यूसेक है, निर्माणाधीन है । गधेरे में 5.97 क्यूसेक डिस्चार्ज उपलब्ध है जो कि दोनों नहरों के लिये पर्याप्त है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के टनकपुर क्षेत्र में नयी पर्वतीय बसों का आवंटन

10—श्री काशी सिंह एरेरी—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में अत्यन्त महत्वपूर्ण धारचूला पिथौरागढ़ टनकपुर मोटर मार्ग में राष्ट्रीकरण के अनुदेशों के पुर्णतया लागू हो जाने व स्थानीय कुमायूं मोटर ओनर्स लि0 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर स्थगनादेश खारिज होने के बाद से राजकीय सड़क परिवहन निगम पर अत्यन्त बोझ आ गया है जो इस मार्ग में एक मात्र यात्री सेवा माध्यम है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश जारी होते ही तुरन्त कितनी अतिरिक्त बसों का आवंटन उस क्षेत्र में किया है ? उस हेतु अन्य क्या-क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

टनकपुर क्षेत्र को न्यायालय के स्थगन आदेश खारिज होने के उपरांत 30 नयी पर्वतीय बसें आवंटित की गयी हैं ।

प्रश्नगत मार्ग पर स्थगन आदेश खारिज होने के पूर्व एक अप और एक डाउन सेवा संचालित थी । स्थगन आदेश खारिज होने के उपरान्त 2 अप एवं 2 डाउन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इस मार्ग के बड़े अंश टनकपुर-पिथौरागढ़ एवं पोषक मार्गों पर स्थगन आदेश निरस्त किये जाने व पश्चात 9 सेवाओं की वृद्धि की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11—श्री काशी सिंह एरेरी—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 42 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

श्री जग नरायन ग्राम खखरा खुर्द, थाना उस्का बाजार, बस्ती के विद्युत दुर्घटना में मृत पशु के मुआवजे की मांग

12—श्री धनराज यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में 28-8-86 को बिजली के करेन्ट लगने से श्री जगनरायन पुत्र श्री सुन्नर ग्राम खखरा खुर्द थाना उस्का बाजार की दो भैंसे मर गईं ? क्या यह भी सही है कि श्री जगनरायन के जीविका का साधन मात्र दूध बेचने का व्यवसाय ही था और भैंसों के मर जाने से जीवन चलाना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो बिजली के टूट कर गिरे तारों के करेन्ट से मरने से हुई क्षति के पूर्ति के रूप में श्री जग नरायन को कुछ सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दुर्घटना के ऐसे मामलों में मृत पशु की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट या पंचनामा, भैंसों के मूल्य के अनुमान हेतु खरीदारी रसीद तथा संबंधित मुख्य क्षेत्रीय अभियंता की संस्तुति के प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जाती है ।

इस संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संबंधित अधिकारियों को मुआवजा देने हेतु संस्तुति शीघ्र भेजने के आदेश दे दिये गये हैं। वह प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था परिषद् द्वारा की जायेगी।

जनपद बरेली के धल्लियां नामक कथित ग्राम में विद्युतीकरण की मांग

13–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद के शेरगढ़ ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम धल्लियां में, जिसके निकट के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, अभी तक विद्युतीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी उक्त गांव में शीघ्र विद्युतीकरण के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बरेली के शेरगढ़ ब्लाक में, वर्ष 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार धल्लियां नामक कोई ग्राम नहीं है तथा वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका (बरेली की) अभी छपी नहीं है। अतः सही एवं पूर्ण जानकारी के अभाव में कार्यवाही संभव नहीं है।

जनपद देवरिया में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति

14–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में जनपद देवरिया में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार देने का क्या लक्ष्य निर्धारित था और उसे पूरा न करने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऋण प्राप्त करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वः रोजगार योजनान्तर्गत जनपद-देवरिया में वर्ष 1985-86 तथा वर्ष, 1986-87 में क्रमशः 935 तथा 935 का लक्ष्य निर्धारित था। बैंक द्वारा रुचि न लेने तथा बैंक एवं अभ्यर्थी द्वारा समयानुसार औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायी।

जी नहीं।

उपरोक्त इंगित कारणों से।

श्री जी0 सी0 वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) के विरुद्ध कथित आरोप एवं प्रोन्नति तथा स्थानान्तरण की मांग

15–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी0 सी0 वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) को कभी सेवा से निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उन पर आरोप क्या थे ? उन आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अधीक्षण अभियन्ता को पदोन्नति करके किन कारणों से लखनऊ में ही उसी कार्यालय में जहां पूर्व में कार्यरत थे तैनात कर

दिया गया ? क्या मंत्री जी इनके लखनऊ में लम्बे कार्यकाल को देखते हुए लखनऊ से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री वर्मा जब हाइडिल डिवीजन लखनऊ में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, उनके विरुद्ध यह आरोप थे कि वह परिषदीय आदेशों का उल्लंघन करके सामग्री का क्रय अपने वित्तीय अधिकार सीमा रु0 10,000 प्रतिमाह से अधिक मूल्य का वर्क आर्डर के माध्यम से किया तथा सामग्री का क्रय फर्जी फर्मों से अधिक मूल्य पर करके परिषद् को रु0 25095.07 की हानि पहुंचाई एवं स्थानान्तरण आदेश का उल्लंघन किया । वित्तीय सीमा का उल्लंघन तथा स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने के लिए विभागीय कार्यवाही की गयी । परिषद् को हानि पहुंचाने के लिए अभियोजन चलाया गया । श्री वर्मा ने विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिस पर न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में इस आधार पर हुआ कि वह अनियमितता करने के समय परिषद् के अधिकारी नहीं थे । परिषद् द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है । जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

अभियोजन का मामला न्यायालय में लम्बित है।

श्री वर्मा अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत होने से पूर्व मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) के वैयक्तिक सहायक के पद पर तैनात थे । अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत होने के पश्चात यह सर्वप्रथम मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्य क्षेत्र उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के अधीन अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनात किये गये थे । लगभग तीन महीने पश्चात इन्हें परिषद् के हित में मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) के कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) के पद पर तैनात कर दिया गया है । लखनऊ से अन्यत्र स्थानान्तरण करने के संबंध में आगामी स्थानान्तरण सत्र में परिषदीय नियमों के आधार पर गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

घाघरा के कटान में धन के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

16–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव तथा मुख्य मंत्री एवं सिंचाई सचिव एवं राज्य मंत्री, सिंचाई को घाघरा के कटान पर धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना मुख्य सचिव के अ0 शा0 पत्र सं0 123/पी0 एस0 एम0 एस0 एम0 एल0 ए0 सी0/87 20 अप्रैल, 1987 तथा मा0 राज्य मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ 1326/बी0 एस0 एम0/87 दिनांक 18 जून, 1987 द्वारा सिंचाई सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को भेजने की सूचना प्रश्नकर्ता को दी गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह तो सही है कि प्रश्नगत विषय पर मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है और मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1987 द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार की गई है परन्तु माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई एवं बाढ़ ने कोई पत्र माननीय सदस्य को भेजा है या नहीं इसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं हो सकी है।

प्रश्नगत मामलों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता सदस्य के कई पत्र पहले भी प्राप्त हुए थे तथा नियम 301 के अन्तर्गत भी उनकी सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी जांच प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य की मौजूदगी में दिनांक 4-7-87 को की गई तथा तत्कालीन राज्य मंत्री, सिंचाई एवं बाढ़ के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–410 एम0 एम0/87-23-सि0-10-100/87, दिनांक 13 अगस्त, 1987 द्वारा जांच के परिणाम से माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड, गोरखपुर हेतु आवंटित धनराशि के व्यय का विवरण

17–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गण्डक नहर निर्माण खण्ड, गोरखपुर के अन्तर्गत जून, 1986 से दिसम्बर, 1987 तक कौन-कौन सी योजनाओं पर कितना-कितना धन आवंटित हुआ था और नवम्बर, 1987 तक किन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? कितना धन आवंटित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर व्यय किया गया, उसका विवरण क्या-क्या है? जो धन स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित था उसे अन्य योजनाओं पर खर्च किसके आदेश पर किया गया तथा इसका औचित्य क्या था ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गण्डक नहर निर्माण खण्ड–15 गोरखपुर द्वारा जून, 1986 से दिसम्बर, 87 तक आवंटित धनराशि के विरुद्ध नवम्बर, 87 तक योजनावार किये गये व्यय का विवरण संलग्न है।

अन्य योजनाओं पर 2.00 (दो) लाख रुपया छपरा मगवीं कटाव निरोधक कार्य पर व्यय किया गया जिसका प्राविधान पुनर्नियोजित आवंटन में कर लिया गया है।

दिनांक 28-1-87 को गोरखपुर की मण्डलीय मीटिंग में यह प्रकरण उठा था चूंकि उक्त स्थल पर कटान हो रही थी जिससे ग्राम गुलरिया उर्फ छपरा मगवीं खतरे में था। अतः कार्य की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1987 में वर्षा के पूर्व यह कार्य किया गया जिससे कटान रुक गयी व ग्राम की सुरक्षा प्रदान की जा सकी।

कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। कार्य जनहित में किया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 115 पर)

जनपद हमीरपुर में अर्जुन जलाशय हेतु कथित अधिग्रहीत भूमि के पट्टे दिलाने सम्बन्धी पत्र

18—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जिले में अर्जुन जलाशय हेतु अधिग्राहीत की गयी भूमि के पट्टे दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-12-86 को श्री राम निवास, उप सचिव, सिंचाई अनुभाग (3) ने 10 अप्रैल, 1987 को मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई विभाग, झांसी को समुचित निदेश के साथ भेजा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच पर पाया गया कि प्रार्थियों की भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई थी । अतः उन्हें पट्टे पर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद वाराणसी में कतिपय मार्गों पर परिवहन निगम की सेवा स्थगित करने संबंधी शिकायती पत्र

19—श्री राम सजीवन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गौरीशंकर सहायक मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गोदौलिया, वाराणसी ने 29-7-87 को परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायतें की थीं कि वाराणसी जिले में शेरवां से सिकन्दरपुर मुगलसराय, कचेहरी वाराणसी तक राजकीय बसें बन्द करने से जनता को भीषण कष्ट है ? क्या उक्त मार्गों पर शीघ्र ही राजकीय बसें चलाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । बल्कि उक्त श्री गौरीशंकर, सहायक मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गोदौलिया, वाराणसी का महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम, वाराणसी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 29-7-87 प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 31-7-87 के साथ तत्कालीन परिवहन मंत्री को प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

शेरवां—मझगवां—सिकन्दरपुर--मुगलसराय--कचेहरी, वाराणसी मार्ग पर पूर्व में वाराणसी से एक सेवा संचालित थी किन्तु इस मार्ग पर सिकन्दरपुर—मझगवां के मध्य स्थित पुल के टूट जाने के कारण उसे बन्द करना पड़ा ।

वर्तमान में मार्ग खराब होने के फलस्वरूप केवल सिकन्दरपुर से मझगवां के मध्य 7 कि0मी0 के भाग पर निगम की कोई सेवा संचालित नहीं है किन्तु मझगवां से शेरवां—अदलहाट—पड़ाव होकर कचेहरी वाराणसी तक एक सेवा तथा कचेहरी से पड़ाव—मुगलसराय--सिकन्दरपुर होकर चकिया तक दो सेवायें चल रही हैं। इस प्रकार सिकन्दरपुर तथा मझगवां दोनों बिन्दुओं से चकिया तथा कचहरी वाराणसी के लिये निगम की बस सेवायें उपलब्ध हैं।

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के ग्राम सभाओं में सिंचाई सुविधा

20—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित न्याय पंचायत देवगांव घोड़वल में कौन-कौन से गांव में किस प्रकार की राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ? सिंचन क्षमता के क्षेत्र के विरुद्ध असिंचित कृषि क्षेत्र क्या है ? किन-किन गांवों में अभी तक कोई राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? क्या सिंचाई सुविधा से वंचित इस वृहत् कृषि क्षेत्र में राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवगांव घोड़वल न्याय पंचायत नहीं है। यह दोनों ग्राम सभा हैं। ग्राम सभा देवगांव में राजकीय नलकूप संख्या 167, 168 व 280 बी0 जी0 के सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है तथा ग्राम सभा घोड़वल में राजकीय नलकूप द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

148 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के क्षेत्र के विरुद्ध लगभग 115 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र असिंचित है।

ग्राम घोडवल में राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद प्लान में नलकूपों के आवंटन प्राप्त होने पर तथा जिला सिंचाई सलाहकार समिति से अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद में अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा बस संचालन की नीति

21—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री डी0 के0 श्रीवास्तव, उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन) के अ0 शा0 प0 सं0 305/रो/87/53 वी0 आई0 पी0/फैजाबाद/85 उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 1987 के सन्दर्भ में बीकापुर तहसील से पश्चिम स्थित 40 कि0मी0 क्षेत्र के लोगों को तहसील मुख्यालय पर आने के लिए अमानीगंज, खजुरहट, बीकापुर, बीकापुर-मिल्कीपुर कुमारगंज-देवगांव, मिल्कीपुर खजुरहट बीकापुर या किसी वि0 क्षे0 मुख्यालय से बस न चलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(1) अमानीगंज—खजुरहट—बीकापुर मार्ग का अमानीगंज--खजुरहट भाग अराष्ट्रीयकृत है ।

(2) बीकापुर-मिल्कीपुर-कुमारगंज का खजुरहट से मिल्कीपुर तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है ।

(3) देवगांव—मिल्कीपुर—खजुरहट--बीकापुर का देवगांव से कुमारगंज तक तथा मिल्कीपुर से खजुरहट तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है।

अराष्ट्रीयकृत श्रेणी के मार्गों पर निगम द्वारा नीति रूप में संचालन नहीं किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ के पलिया माइनर एवं राजबहा द्वारा आंशिक सिंचाई पर नियमानुसार कर की वसूली

22–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत शारदा सहायक-36 के "पलिया माइनर" व आवश्यक पुलों का निर्माण जनपद के लालगंज तहसील अंतर्गत ग्राम चौंवार पश्चिम व खरुद्दीनपुर तक हो गया है और क्या इन गांवों को सिंचाई हेतु नहर का पानी उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो उक्त गांवों से नहर रेट वसूलने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । पलिया माइनर पलिया राजबहा जिसकी प्रस्तावित लम्बाई 14.8 कि0मी0 है पर ग्राम चौंवार पश्चिम व खैरुद्दीन कि0मी0 8.6 से 10.2 तथा 10.2 से 10.3 तक क्रमशः स्थित है। इस राजबहे का निर्माण शीर्ष से कि0मी0 9.6 तथा कि0मी0 9.67 से 11.2 तक किया जा चुका है। कि0मी0 9.6 से 9.67 तक की भूमि का चकबन्दी के अन्तर्गत धारा 52 का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है, जिससे भूमि अधिगृहीत किये जाने की कार्यवाही नहीं हो सकी एवं निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। फिर भी यथासम्भव आंशिक सिंचाई सुविधा लेने के उद्देश्य से इस लम्बाई में कृषकों द्वारा रबी 85-86 में एक नाली बना कर पानी ले जाया जा रहा है । जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में निर्मित नहर पर पक्के कार्यों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । सिंचाई कर, ग्रामों में हुई, वास्तविक नहरी सिंचाई के आधार पर नियमानुसार लगाया गया है।

प्रदेश के सभी जनपदों में औद्योगिक आस्थान विकसित करने के उद्देश्य से भूमि को विकसित किये जाने की योजना

23–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1987 में उनके बम्बई (महाराष्ट्र) में कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा पत्रकारों को दिए गए बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेश के उद्योगपतियों द्वारा नये उद्योग स्थापित करने की कोई सम्भावना है ? यदि हां, तो उनके कथनानुसार राज्य में एक लाख 10 हजार नये उद्योग किन-किन जिलों में स्थापित होने हैं और इस उद्देश्य के लिए किन-किन जिलों में 45 हजार एकड़ भूमि विकसित की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उद्योग की स्थापना हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक मिनी औद्योगिक आस्थान तथा आठ स्थानों पर बड़े औद्योगिक आस्थान विकसित किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए लगभग सभी जनपदों में भूमि के विकसित किये जाने की योजना है।

प्रदेश के उत्तराखण्ड जनपदों में सरकार की मद्य निषेध नीति

24—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के उत्तराखण्ड जनपदों में सरकार ने मद्य निषेध लागू किया है ? क्या यह सही है कि ऋषिकेश समेत अनेक स्थानों पर टिन्चरी तथा टानिक के रूप में जहरीली शराब बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की उच्चस्तरीय जांच सरकार कराकर दोषी व्यापारियों व अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद उत्तरकाशी तथा चमोली में पूर्ण मद्य-निषेध है । जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल में केवल परमिट धारकों को विदेशी मदिरा की सुविधा सहित मद्य-निषेध लागू है ।

जनपद नैनीताल में नगरपालिका नैनीताल तथा नगरीय क्षेत्र हल्द्वानी, काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर, टनकपुर और भोवाली को छोड़कर शेष भाग में मद्य-निषेध लागू है ।

देहरादून जनपद के ऋषिकेश क्षेत्र में पूर्ण मद्य-निषेध है ।

मद्य-निषेध क्षेत्रों में शासन द्वारा 21 अल्कोहलयुक्त औषधियों, जिसमें टिंचर भी सम्मिलित है, की बिक्री पर प्रतिबंध है । परन्तु कुछ विक्रेताओं/निर्माताओं ने न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिये हैं । तथापि इस ओर शासन सजग है और अल्कोहलयुक्त औषधियों की अवैध बिक्री के विरुद्ध पूरी चौकसी बरती जा रही है ।

इलाहाबाद के कतिपय मार्गों की स्थगित बस सेवा का पुनः संचालन

25—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद सिविल लाइन्स बस अड्डे से चलने वाली जेठवारा तक वाया मऊ आइमा, मांधाता बस विगत तीन महीने से बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो इसके बन्द किये जाने का औचित्य क्या है और कब तक पुनः चलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त बस सेवा अलग से नहीं थी, वरन् इलाहाबाद कटरागुलाब सिंह वाया मऊ आयमा, मान्धाता, बस सेवा थी, जो दिनांक 19-11-87 से दिनाक 11-3-88 तक स्थगित रही है ।

उक्त अवधि में 6 बसें आफसेड होने के कारण उपरोक्त बस सेवा स्थगित रही।

दिनांक 12-3-88 से इलाहाबाद-कटरा गुलाब सिंह वाया मऊ आयमा, मान्धाता, जेठवारा मार्ग पर बस सेवा पुनः संचालित कर दी गयी है ।

गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल के जिलापूर्ति कार्यालयों में सीधी भर्ती के लिपिकों को नियमित करने के कथित आदेश

26—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल के जिला पूर्ति कार्यालयों में सीधी भर्ती के नियुक्त प्रधान लिपिक/ज्येष्ठ लेखा लिपिकों को नियमित करने के आदेश मार्च, 1985 में दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

मेसर्स मार्डन क्राकरी इण्डस्ट्री लि0 देवरिया को निगम द्वारा स्वीकृत ऋण एवं उसकी उपलब्धता

28—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्डन क्राकरी इन्डस्ट्री लि0 गडेर, जनपद देवरिया को कब और कितना धन कर्ज के रूप में स्वीकृत हुआ था ? क्या स्वीकृत सभी धन उपलब्ध करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि आंशिक धन उपलब्ध कराते समय ही 65 हजार रुपये की कटौती कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स मार्डन क्राकरी इण्डस्ट्री लि0 देवरिया को दिनांक 13-1-82 व 23-8-84 को क्रमशः रु0 4.16 लाख व रु0 2.17 लाख कुल रु0 6.33 लाख उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1982-83 में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी ऋण रु0 42,700 स्वीकृत किया गया तथा यह धनराशि इकाई को उपलब्ध करा दी गयी । वित्तीय निगम द्वारा इकाई को स्वीकृत धनराशि में से रु0 3,87,242/- का वितरण 14-6-82 से 29-8-85 के मध्य किया गया तत्पश्चात् इकाई द्वारा कार्यस्थल पर अतिरिक्त प्रतिभूतियों का सृजन न करने के कारण शेष ऋण का भुगतान सम्भव न हो सका । निगम के नियमानुसार ऋण भुगतान के समय इकाई द्वारा देय ब्याज व कमिटमेन्ट लेवी एवं अन्य खर्च के देयों की कटौती रु0 61,834/- कर ली गयी थी ।

श्री वी0 के0 जैन मुख्य अभियन्ता (जल-संसाधन) सिंचाई विभाग के स्टाफ कार की चोरी

29—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री वी0 के0 जैन, मुख्य अभियन्ता, अग्रिम नियोजन सिंचाई भवन, लखनऊ की जीप संख्या यू0 आर0 एल0—14 उनकी लापरवाही से अप्रैल, 86 में चोरी हो गयी थी किन्तु उन्होंने पुलिस द्वारा निर्दोष ड्राइवर

को पकड़वा दिया था ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे अधिकारी के उत्तरदायित्व की जांच कर इनसे जीप की कीमत वसूलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मुख्य अभियन्ता (जल-संसाधन) सिंचाई विभाग को आवंटित स्टाफ कार संख्या यू0 आर0 एल0 14 अप्रैल, 1986 में कैनाल कालोनी कैन्ट रोड लखनऊ के परिसर के अन्दर इकट्ठे बने मोटर गैराजों में से एक तालाबन्द गैराज से चोरी हो गयी । चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) जो जल-संसाधन का दोहरा कार्यभार देख रहे थे, ने पुलिस स्टेशन हुसेनगंज, लखनऊ में चोरी की जानकारी होती ही, दिनांक 15-4-86 को दर्ज करा दी । थानाध्यक्ष अथवा पुलिस के अन्य किसी अधिकारी से मिलकर ड्राइवर को मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) या किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं पकड़वाया गया ।

माल व मुल्जिम का पता न चलने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 18-7-86 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) की लापरवाही का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । अतः इनसे कार की कीमत की वसूली का कोई आधार/औचित्य नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ एवं गोरखपुर के विद्युत विभाग में छटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की नीति

30–श्री विष्णुदेव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड मऊ, जनपद आजमगढ़ के छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों को अब तक कार्य पर नहीं रखा गया है ? क्या यह सही है कि विद्युत खण्ड गोरखपुर के छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रख लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

परिषद् के अन्तर्गत कार्य की उपलब्धता के अनुसार ही छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों को थोड़े समय के लिए कार्य पर रख लिया जाता है । गोरखपुर में कार्य की उपलब्धता के अनुसार छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों को थोड़े समय के लिए कार्य पर रख लिया गया । मऊ में कार्य की उपलब्धता के कारण छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों को कार्य पर रखना सम्भव नहीं हो सका ।

इसके लिए किसी भी अधिकारी के जिम्मेदार होने एवं दण्डित करने का प्रश्न ही उठता है ।

जनपद आजमगढ़ के विद्युत विभाग खण्ड मऊनाथ भंजन में भी जनता कनेक्शन की योजना

31–श्री विष्णु देव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन हरिजन बुनकर विधवाओं के लिए जनता कनेक्शन की योजना शासन ने बन्द कर दिया है ? यदि नहीं, तो जनपद आजमगढ़ के विद्युत वितरण खण्ड मऊनाथ भंजन में इसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और फिर कब तक इसे चालू कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

विद्युत वितरण खण्ड मऊ में भी यह योजना लागू है । इस खण्ड में जनता कनेक्शन के लिए कुछ आवेदन-पत्रों पर इस कारण विचार नहीं किया जा सका क्योंकि आवेदकगण जनता कनेक्शन के अधिकारी नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों का विद्युतीकरण

32–श्री विष्णु देव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव व घोसी व दोहरी घाट में वर्ष 1986-87 में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना थी और इनमें किन-किन हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया तथा आगामी वर्ष किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने की योजना है ? क्या मंत्री जी इसकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ के इन विकास खण्डों में वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया :-

विकास खण्ड	ग्राम
1–फतेहपुर मंडाव	(1) बेला गोदाई पट्टी
2–घोसी	(2) माछिल जमीन माछिल
	(3) बगली रसूलपुर
	(4) मछिला द्वितीय
	(5) दरियाबाद
	(6) बैरासी
	(7) मलिक भटौली

3-- दोहरीघाट शून्य

वर्ष 1987--88 में उपरोक्त विकास खण्डों में एम: 4, 5 एवं 4 ग्रामों के विद्युतीकरण करने का प्राविधान है।

वर्ष 1986--87 तथा 1987--88 में उपरोक्त विकास खण्डों में निम्न हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया---

वर्ष	विकास खण्ड	हरिजन बस्ती का नाम
1986-87	फतेहपुर मंडाव	(1) दुबारी द्वितीय
		(2) बेला गोदाई पट्टी (ग्राम के साथ)
	घोसी	(1) बीबीपुर
		(2) मानिकपुर असना
		(3) माछिल जमीन (माछिलग्राम के साथ)
		(4) बंगली रसूलपुर
		(5) मछिला द्वितीय
1986--87	दोहरीघाट	(1) करन मुरना
		(2) भैसा खरग प्रथम
1987--88	फतेहपुरमडाव	(1) मुस्तफाबाद द्वितीय
	घोसी	(1) पिढवल द्वितीय
	दोहरी घाट	(1) पिडसुई
		(2) गोंपा
		(3) छुतिहर
		(4) भैसा खरग द्वितीय

अभी आगामी वर्ष का प्रोग्राम निर्धारित नहीं हुआ है।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों की सवर्ण बस्तियों का विद्युतीकरण एवं हरिजन बस्तियों के अविद्युतीकरण की सूची

33-श्री विष्णु देव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव के ग्राम गुसम्भा व बेलौली भोजीपुर तथा विकास खण्ड घोसी के ग्राम सिपाह इब्राहीमाबाद का विद्युतीकरण किया गया परन्तु इन ग्रामों की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह-

जी हां।

सीमित संसाधनों के कारण इन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण अभी तक संभव नहीं हो सका है।

34—श्री विष्णु देव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव, घोसी व दोहरीघाट में अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है और उनमें कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है तथा क्या यह सही है कि जिन ग्रामों में सवर्ण आबादी का विद्युतीकरण हुआ है उनमें हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या इसकी सूची मंत्री जी सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव व घोसी व दोहरीघाट में अब तक क्रमशः 46, 53 एवं 54 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है । उनमें क्रमशः 32, 35 एवं 40 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ।

जी हां । पूर्व में ग्रामों के साथ हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्राविधान नहीं था इसलिए उपरोक्त विकास खण्डों में क्रमशः 14, 8 एवं 12 ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है ।

उस समय ग्राम के साथ हरिजन बस्तियों के विधुतीकरण का प्राविधान नहीं था। ऐसे ग्रामों की सूची निम्नलिखित है—

विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव	वि0 खण्ड घोसी	वि0 खण्ड दोहरीघाट
1—लधुवाई	1—सिपाह इब्राहिमाबाद	1—पनइलवेहटा
2—नन्दौर	2—लखनी	2—फरसराखुर्द
3—बस्ती	3—सिलहौर	3—साहपुर
4—रामपुर	4—भावनपुर	4—गोधनी
5—गुरान्हा	5—चकमुसैयद	5—कठधरामहल
6—उसरी	6—मैदासमसपुर	6—नत्थूपुर
7—सलेमपुर	7—बड़ागांव	7—चकउथ
8—रोपनपुरा	8—भैरोपुर खास	8—पिपरा
9—सुल्तानपुर गौतम		9—सियरही
10—रसूलपुर गौतम		10—हिराज पटटी
11—तिथरा		11—परसुरामपुर
12—मारूफपुर		12—करौदी नरायनपुर
13—दिलई		
14—वेलौली भोजीपुर		

टनकपुर/पिथौरागढ़ क्षेत्र के परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा किये गये हड़ताल, की अवधि के वेतन न दए जाने का औचित्य

35–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के एक कर्मचारी की निर्मम हत्या के विरोध में परिवहन निगम के टनकपुर/पिथौरागढ़ क्षेत्र के कर्मचारियों ने दि0 16-9-82 से दि0 19-9-82 तक हड़ताल की थी ? क्या हड़ताल अवधि का वेतन दिये जाने सहित सभी मांगों पर रोडवेज कर्मचारी परिषद् परिवहन निगम प्रबन्धकों एव शासन के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को अभी तक हड़ताल अवधि का वेतन न दिए जाने का कारण व औचित्य क्या है ? क्या सरकार उनके अवशेष वेतन के भुगतान की अविलम्ब कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

परिवहन निगम के एक कर्मचारी स्व0 श्री दीवानी राम, क्लीनर, की हत्या के विरोध में परिवहन निगम के टनकपुर/पिथौरागढ़ क्षेत्र के कर्मचारियों ने दिनांक 16-9-82 से 19-9-82 तक हड़ताल की थी । फलस्वरूप निगम प्रबन्धक, जिला प्रशासन तथा कर्मचारी संगठन के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें अन्य मांगों के साथ-साथ हड़ताल अवधि के वेतन दिए जाने की मांग पर तत्कालीन उप प्रधान प्रबन्धक (उत्तरी जोन) ने प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अपनी संस्तुति भेजने का समझौता किया था । उप प्रधान प्रबन्धक (उत्तरी जोन) की संस्तुति पर निगम प्रशासन ने निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार "नो वर्क नो पे" का निर्णय लिया, और "नो वर्क नो पे" के आधार पर इन कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम कनुआन को विद्युत उपलब्ध किये जाने की कार्यवाही

36–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के ग्राम कनुआन के 20 से अधिक व्यक्तियों ने 25-25 रुपया शुल्क जमा करके विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब तक प्राक्कलन तैयार करके उन व्यक्तियों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

ग्राम कनुवान का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है । एल0 टी0 लाइन खींचने के तुरन्त पश्चात प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे और आवेदकों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण होते ही उन्हें विद्युत उपलब्ध करा दी जायगी ।

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में मूंगा मोती बनाने वाले कारीगरों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

37—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में मूंगा-मोती बनाने के कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाला मिट्टी का तेल पूर्व की भांति कारीगरों को सब्सीडाइज रेट पर नहीं दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि मिट्टी का तेल न मिलने से मूंगा-मोती बनाने वाले कारीगरों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या हस्तशिल्प के उक्त कार्य के लिए रियायती दर पर पूर्व की भांति तेल दिलाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

मूंगा-मोती बनाने वाले कारीगरों को मिट्टी का तेल औद्योगिक मूल्य पर दिया जाता है । अतः इनके आजीविका का संकट उत्पन्न नहीं होता ।

प्रदेश शासन के लिए यह संभव नहीं है ।

38—श्री हर्ष वर्धन—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद जनपद की जिला योजना में कतिपय ग्रामों व हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण एवं व्यय किए गये धन

39—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद की जिला योजना (87-88) में 40 ग्रामों तथा 40 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य था ? यदि हां, तो लक्ष्य की पूर्ति की क्या प्रगति है तथा माह जनवरी, 88 तक कितना धन इस मद में जिले को अवमुक्त किया जा चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1987-88 के लिए एल0 टी0 लाइन बिछाकर 48 ग्राम तथा 49 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था ।

माह फरवरी, 1988 तक 14 ग्राम तथा 24 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा माह जनवरी, 1988 तक रु0 3.30 लाख इस कार्य हेतु अवमुक्त किया जा सका है ।

जनपद मुरादाबाद के कतिपय विकास खण्डों को विद्युत सुविधा का दिया जाना

40—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा तथा मूढा प्रांपड़ा में अभी 50 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं जिनमें विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या आगामी विद्युतीकरण योजनाओं में इन विकास खण्डों के ग्रामों को समान अनुपात समाप्त करके प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

केवल भगतपुर टांडा तथा मूढ़ापाण्डे विकास खण्डों को विशेष प्राथमिकता दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है जब कि जनपद मुरादाबाद में उपरोक्त विकास खण्डों के अतिरिक्त 13 और ऐसे विकास खण्ड हैं जिनमें एल0 टी0 लाइन बिछाकर 650 प्रतिशत से कम ग्राम विद्युतीकृत हैं ।

41—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

अधिशासी अभियन्ता (श्री एम0 पी0 अग्रवाल) बेतवा नहर प्रखण्ड के विरुद्ध टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच किए जाने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

42—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 30 जून, 87 का, अधिशासी अभियन्ता (श्री एम0 पी0 अग्रवाल) बेतवा नहर प्रखण्ड के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सतर्कता अथवा टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराये जाने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और क्या सतर्कता या टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

टी0 ए0 सी0 की जांच करा ली गयी है । टी0 ए0 सी0 की जांच आख्या एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक की संस्तुति शासन को दो किश्तों में प्राप्त हुई। पहली आख्या एवं संस्तुति मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 1987 के साथ प्राप्त हुई थी जिसमें एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्तागण तथा तीन अवर अभियन्तागण प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये । मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने इन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण के आधार पर कार्यवाही करने की संस्तुति की ।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक की आख्या व संस्तुति पर परीक्षण के उपरान्त उनकी संस्तुति के अनुसार प्रथम दृष्टया सिद्ध पायी गयी अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 1987 द्वारा आदेश दे दिया गया है।

टी0 ए0 सी0 की अन्तिम जांच आख्या और मुख्य प्राविधिक परीक्षक की आख्या तथा संस्तुति उनके पत्र दिनांक 10 फरवरी 1988 के साथ शासन में प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में निर्माणाधीन घिरौरा माइनर के अवशेष कार्य को पूरा किया जाना

43—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 3-10-86 का सचिव, सिंचाई को सम्बोधित जनपद झांसी में निर्माणाधीन घिरौरा माइनर के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने विषयक, पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा क्या घिरौरा माइनर के अवशेष कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

घिरौरा माइनर नाम की कोई माइनर नहीं है। छिरौरा माइनर अवश्य है जिसके समरखेन में कठिनाई आने के कारण समस्त कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अवशेष कार्य को रबी फसल के कट जाने के पश्चात् पूरा करना सम्भव हो सकेगा।

जनपद झांसी के अधिशासी अभियन्ता बेतवा नहर प्रखण्ड के मौखिक आदेशों पर कराये गये कार्य का भुगतान

44—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 जुलाई, 87 का पत्र जिसके साथ श्री बृजमोहन निवासी चंदवारी, जनपद झांसी द्वारा बेतवा नहर प्रखण्ड झांसी के अधिशासी अभियन्ता के मौखिक आदेशों पर कराये गये कार्य का भुगतान कराये जाने विषयक पत्र संलग्न था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा भुगतान न करने वाले अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रकरण पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी है। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने इन कार्यों को कराये जाने का खण्डन किया है। अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तर अपेक्षित हैं। जांच पूर्ण होने और उसके परीक्षणोपरान्त कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा।

श्री मधुर कुमार तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री एस0 पी0 बहादुर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता एवं श्री उमाशंकर तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता सिंचाई के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

45–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 737 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 17-5-86 को प्राप्त हुआ है ? क्या इस मामले में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? प्रमुख अभियन्ता की रपट जो शासन में ता0 31-1-83 को आ गयी थी, के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? इन दोषी अधिकारियों में से किन-किन की पदोन्नति इस दौरान में हो गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता की जांच रिपोर्ट में श्री मधुर कुमार तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

उक्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में श्री एस0 पी0 बहादुर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता एवं उमाशंकर लखटकिया तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता को विवेकपूर्ण निर्णय न लेने का दोषी बताया गया था परन्तु उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर शासन स्तर पर परीक्षण करने के पश्चात उन्हें दोषी नहीं पाया गया । श्री मधुर कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । तत्कालीन मुख्य अभियन्ता दिनांक 31-8-84 को सेवा निवृत्त हो गये तथा श्री लखटकिया अधीक्षण अभियन्ता को स्थानापन्न रूप में मुख्य अभियन्ता के पद पर दिनांक 27-6-87 को पदोन्नत किया गया है ।

चित्रकूट तीर्थ स्थल, जिला बांदा में 100 शैय्याओं की एक जनता धर्मशाला बनाये जाने की मांग

46–श्री राम सजीवन–

क्या पर्यटन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चित्रकूट तीर्थ स्थल, जिला बांदा में सौ शैय्याओं की एक जनता धर्मशाला बनाने का मामला विगत पांच वर्षों से शासन के विचाराधीन है और निर्माण हेतु भूमि पहले से ही सुलभ है ? यदि हां, तो जन साधारण को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु जनता धर्मशाला के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

चित्रकूट में 100 शैय्या वाले जनता टाईप पर्यटक आवास गृह के निर्माण की योजना वित्तीय वर्ष 1983-84 में जिला स्तरीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित थी । किन्तु चित्रकूट में उपलब्ध 36 शैय्या वाले पर्यटक आवास गृह की अधिभोग की अच्छी स्थिति न होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सस्ती दर पर आवासीय सुविधा वर्तमान में चित्रकूट में स्थित 36 शैय्या वाले पर्यटक आवास गृह की डारमेटरी में उपलब्ध है ।

जनपद बांदा के तहसील करवी में चिल्लीमल पम्प नहर द्वारा पानी न मिलने के संबंध में कथित शिकायती-पत्र एवं व्यवस्था

47—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्र पाल मिश्र उप प्रधान ग्राम सभा चिल्लीमल, तहसील करवी, बांदा तथा अन्य ग्रामीणों ने दिनांक 17-7-87 को अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई, बांदा को शिकायती-पत्र भेजकर मांग की थी कि चिल्लीमल पम्प नहर समुचित ढंग से पानी नहीं देती तथा धान की रोपाई के लिए पानी नहीं मिला और उसमें कई मोटर लगाकर किसानों को सिंचाई देने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित श्री चन्द्र पाल मिश्र उप प्रधान ग्राम सभा चिल्लीमल तहसील करवी बांदा तथा अन्य ग्रामीणों का पत्र दिनांक 17-7-87 उपलब्ध नहीं है ।

चिल्लीमल पम्प नहर की प्राइमिंग पम्प की दोनों मोटरें दिनांक 2/3-7-87 की रात्रि में चोरी हो जाने के कारण पम्प नहर दिनांक 3-7-87 से 18-7-87 तक बन्द रही तथा अन्य पम्प नहर को खरीफ की सिंचाई हेतु चला दी गयी थी । इसके उपरान्त खरीफ फसल में विद्युत उपलब्धि के अनुसार पम्प नहर पूर्ण क्षमता से चलती रही ।

न्याय पंचायत पनिका बाजार, विकास खण्ड भागलपुर, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया में नियंत्रित राशन की लाइसेन्सी दुकानों की संख्या तथा आवंटन का आधार

48—श्री मित्रसेन—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायत पनिका बाजार, विकास क्षेत्र भागलपुर, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में नियंत्रित राशन की लाइसेन्सी दुकानों की संख्या क्या है तथा दुकानों के आवंटन का आधार क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

न्याय पंचायत पनिका बाजार, विकास क्षेत्र भागलपुर, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में सरकारी सस्ते गल्ले की तीन दुकानें कार्यरत हैं । दुकानों के आवंटन का आधार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरीयताक्रम है ।

नलकूप खण्ड, लखनऊ में समयबद्ध वेतन पाने वाले अवर अभियन्ताओं की संख्या

49—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खण्ड, लखनऊ में कितने ऐसे अवर अभियन्ता हैं जिन्हें समयबद्ध वेतनमान नहीं दिया गया है ? उक्त के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? ऐसे अवर अभियन्ताओं को कब तक समयबद्ध वेतनमान दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप खण्ड, लखनऊ में ऐसे चार अवर अभियन्ता हैं जिन्हें समयबद्ध वेतनमान नहीं दिया गया है । समयमान वेतनमान दिए जाने संबंधी प्रकरण की सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है, उसके पूर्ण होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

प्रदेश में कुल हरिजन बस्तियों की संख्या तथा विद्युतीकरण का आधार

50—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का क्या आधार रखा गया है? प्रदेश में कुल कितनी हरिजन बस्तियां हैं और इस समय कितने का विद्युतीकरण हो चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निर्धारित नीति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी ग्राम का एल0 टी0 लाइन बिछा कर विद्युतीकरण करते समय उस ग्राम की कम से कम एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम के विद्युतीकरण के साथ अन्य हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी किया जाता है यदि :—

(अ) हरिजन बस्ती में 30 अथवा अधिक परिवार हों तथा

(ब) हरिजन बस्ती की दूरी निकटतम एल0 टी0 लाइन के पोल से 200 मीटर की सीमा में हो।

प्रदेश में कुल हरिजन बस्तियों की संख्या अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। जनवरी, 1988 के अन्त तक प्रदेश में 41787 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

51—श्री सुखपाल पाण्डे—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

बानपव बस्ती के मुखलिसपुर पम्प कैनाल के वाटर रेलिंग बैरियर के निर्माण पर कथित व्यय धन

52—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प कैनाल के वाटर रेलिंग बैरियर का निर्माण कार्य सन् 1980 से चालू किया गया है? यदि हां, तो इसमें कुल कितने रुपये का बजट था तथा कब तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? दिसम्बर, 1987 तक प्रत्येक वर्ष में उक्त योजना पर कितना धन खर्च किया गया और कितना कार्य पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पुनरीक्षित कुवानों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नदी में स्थाई वीयर (वाटर रोजिंग बैरियर) के निर्माण हेतु रु0 241.68 लाख का प्राक्कलन है तथा वर्ष 88-89 तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस कार्य पर वर्ष 80-81 से दिसम्बर, 1987 तक पृथक-पृथक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नवत धन खर्च किया गया है:—

वित्तीय वर्ष	खर्च की धनराशि (रु0 में)
वर्ष 80-81	1,573.00
वर्ष 81-82	5,26,096.00
वर्ष 82-83	4,98,191.00
वर्ष 83-84	58,777.00
वर्ष 84-85	1,66,646.00
वर्ष 85-86	11,48,164.00
वर्ष 86-87	11,99,013.38
वर्ष 87-88 में माह दिसम्बर के अन्त तक	66,06,681.39

वर्ष 86-87 तक के उल्लिखित व्यय के अन्तर्गत केवल सर्वेक्षण, साईट डेवलपमेंट, माडल स्टडी का कार्य एवं वीयर निर्माण हेतु सामग्री एकत्र करने का कार्य किया गया है तथा वीयर निर्माण हेतु चार बार निविदाएं मांगी गयी। फरवरी, 1987 में अन्ततः वीयर निर्माण का अनुबन्ध हुआ तथा वर्ष 87-88 में स्थाई वीयर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर है। दिसम्बर, 1987 तक अन्डर स्लूस व वीयर के आंशिक भाग में शीट पाइलिंग 45 एम0 टी0 फ्लोर, पियर, डिवाइडवाल एवं वियरिंग कोट में 2510 घनमीटर कांकरीट तथा 25 मीटर की लम्बाई में ऊपर नीचे लाचिंग एप्रन में बोल्डर भरने का कार्य हुआ है।

उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत है।

53—श्री धनराज यादव—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के गोरखपुर व कैसरबाग, लखनऊ डिपो के दैनिक वेतन भोगी बस चालकों को किए गये भुगतान में अनियमितता पर कृत कार्यवाही

54—श्री हर्षवर्धन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम ने वर्ष 1986 के दौरान गोरखपुर एवं कैसरबाग लखनऊ डिपो में दैनिक वेतन पर बस चालकों से ली गयी सेवा के भुगतान के सम्बन्ध में व्यापक अनियमिततायें कर उन्हें वैधानिक भुगतान के स्थान पर मात्र दस रुपये दैनिक वेतन की दर से भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इस अवैधानिक भुगतान हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। वर्ष 1986 के दौरान गोरखपुर एवं कैसरबाग डिपो में दैनिक वेतन पर बस चालकों की सेवायें ली गयी है। सिर्फ कैसरबाग डिपो में ही दिनांक 10-6-86 तक चालकों को रु0 10/- दैनिक दर से भुगतान किया गया था जबकि दिनांक 10-6-86 तक चालकों को रुपया 10.77 पैसा दैनिक दर से भुगतान किया जाना चाहिए था। दैनिक दर पर हुए कम भुगतान के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कैसरबाग कार्यालय के तत्कालीन मुख्य लिपिक तथा संबंधित सहायक को दोषी पाया गया है जिन्हें सामान्य प्रबन्धक–श्रेणी–2 लखनऊ द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

55–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह–

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित]

परिवहन आयुक्त संगठन के लिए स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न का अनुमोदन

56–श्री राम जनम–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 635/30-3-85-49-जी0 ई0/83, दिनांक 8-3-85 में परिवहन आयुक्त संगठन के लिए स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न पर उनका तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासनादेश संख्या–635/30-3-85-49 जी0 ई0/83, दिनांक 8-3-85 में परिवहन आयुक्त संगठन के लिए, मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत किया गया है।

अनूपशहर ब्रांच नहर (बुलन्दशहर) की पटरी की सड़क भड़कऊ से स्याना तक की मरम्मत किया जाना

57–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर रजबाहों की पटरियों पर जो सड़कों का निर्माण हुआ है, उन सड़कों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध किया जाता है? यदि हां, तो अनूपशहर ब्रांच नहर (बुलन्दशहर) की पटरी की सड़क भड़कऊ से स्याना की मरम्मत अब तक न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नहर व राजवाहों की पटरियों पर बनी पक्की सड़कों का रखरखाव, नहरों के रख-रखाव के लिए उपलब्ध धनराशि में से ही होता है। अनूपशहर ब्रांच की पटरी पर बनी सड़क की स्याना से भड़कऊ तक की मरम्मत क्रमशः मील 57–6–330 से मील 60–2–0 तक वर्ष 1984-85 में व मील 60–3–0 से मील 63–2--0 तक वर्ष 1985-86 में कराई गई।

जनपद बुलन्दशहर में बन्द राजकीय नलकूपों की मरम्मत कार्यवाही

58—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने माह से जनपद बुलन्दशहर में राजकीय नलकूप संख्या 35 के0 एच0, 56-के0एच0, 67-के0 एच0, 55 एस0 बी0, 71 जे0 बी0, 26 जे0 बी0, 28 जे0 बी0, 40 जे0 बी0, 108 जे0 बी, 22 जे0 बी0, 17 जे0 बी0, 27 जे0 बी0 संचालित नहीं है? क्या मंत्री जी उपरोक्त नलकूपों की मरम्मत एवं नालियों का निर्माण करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

12 राजकीय नलकूपों में से 1 राजकीय नलकूप (संख्या-28-जे0 बी0) को छोड़कर शेष 11 नलकूप संचालित हैं। संचालित नलकूपों की मरम्मत कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। शेष एक राजकीय नलकूप संख्या 28—जे0 बी0 फेल होने के कारण बन्द है तथा इसके पुन: निर्माण पर कार्यवाही चल रही है।

इन समस्त नलकूपों पर वर्तमान में पक्की गूलों/पाईप लाईन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ के कतिपय राजवाहों से अत्यधिक जलापूर्ति की मांग

59—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ रबी 1385 फ0 (वर्ष 1987-88) में राजवाहों के चलने व बन्द रहने का सम्भावित कार्यक्रम के अनुसार राजवाहा किठौर एवं राजवाहा बहादुरगढ़ को गंगा नहर सर्किल मेरठ के अन्य राजवाहों की भांति इस वर्ष केवल दो सप्ताह पानी संचालन करने का कार्यक्रम है? यदि हां, तो क्यों? क्या उपरोक्त राजवाहों में इस वर्ष अन्य राजवाहों की भांति रोस्टर में सुधार करते हुए जल आपूर्ति की पूर्ति करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ में रबी 1395 फ0 (1385 नहीं) (वर्ष 1987-88) में राजवाहों के चलने व बन्द होने के सम्भावित कार्यक्रम के अनुसार राजवाहा किठौर को 4 सप्ताह व बहादुरगढ़ राजवाहा, जो किठौर राजवाहा से निकलती है, दो सप्ताह चलाने का कार्यक्रम है। मण्डल के अन्य अधिकांश राजवाहे प्रस्तावित रोस्टर अनुसार 4 सप्ताह चलने हैं।

राजवाहा किठौर हेड से अपनी क्षमता से कम पानी ले पाता है जिसके कारण एक सप्ताह में किठौर राजवाहा के टेल के भाग को पानी दिया जाता है तथा एक सप्ताह में बहादुरगढ़ राजवाहा को पानी दिया जाता है।

वर्तमान में रोस्टर में परिवर्तन जनहित में नहीं है। गंगा नदी में वास्तविक जल उपलब्धि के आधार पर उपरोक्त राजवाहों को, अन्य अधिकांश राजवाहों की भांति, 4 या उससे अधिक सप्ताह चलाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के प्रत्येक ब्लाकों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का विवरण

60—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्ष 1987-88 में प्रत्येक ब्लाक में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण विद्युतीकृत गांवों के अलावा कराया गया तथा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या था? क्या यह सही है कि हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के लक्ष्य के अनुसार विद्युतीकरण पूरा नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मथुरा जनपद में वर्ष 1987-88 में विभिन्न विकास खण्डों में फरवरी, 1988 तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम-सं0	विकास खण्ड	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या		
		जिनको ग्राम के साथ विद्युतीकृत किया गया है	जिनके ग्राम पहले से विद्युतीकृत है	योग
1	2	3	4	5
1	गोवर्धन ..	3	..	3
2	फुरह ..	1	1	2
3	छाता ..	5	..	5
4	चौमुहा ..	2	2	4
5	मथुरा ..	1	..	1
6	नन्दगांव ..	1	..	1
7	सहवऊ ..	3	..	3
8	सादाबाद ..	3	..	3
9	बलदेव ..	2	1	3
10	राया ..	2	2	4
11	नरैझील ..	2	2	4
	योग ..	25	8	33

वर्ष 1987-88 में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 40 था। जी नहीं। फरवरी, 1988 तक 33 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है और शेष 7 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण मार्च, 1988 के अन्त तक करने का प्रयास जारी है।

61—श्री राजीव कुमार सिंह—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

जिला उद्योग केन्द्र आगरा के गृह जनपद में तैनात कनिष्ठ अन्वेषकों की संख्या एवं उनके कार्य का निर्धारण

62–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र आगरा में तैनात कितने सहायक प्रबन्धक व कनिष्ठ अन्वेषक ऐसे हैं जो आगरा जनपद के ही मूलतः निवासी हैं तथा उनकी तैनाती उनके गृह जनपद में किन कारणों से की गयी है ? जिला उद्योग केन्द्र आगरा में तैनात कनिष्ठ अन्वेषकों को सहायक प्रबन्धकों का कार्य किन कारणों से सौंपा गया है ? क्या कनिष्ठ अन्वेषकों को कार्य अभी तक विभाग के द्वारा तय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला उद्योग केन्द्र, आगरा में तैनात कोई भी सहायक प्रबन्धक आगरा का मूल निवासी नहीं है । इस जिला उद्योग केन्द्र में तैनात 3 कनिष्ठ अन्वेषक आगरा जनपद के मूल निवासी हैं । इन 3 कनिष्ठ अन्वेषकों की गृह जनपद में तैनाती का कोई विशेष कारण नहीं है ।

आगरा जिला उद्योग केन्द्र में कार्य की अधिकता के फलस्वरूप कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु सामान्य प्रबन्धक द्वारा स्थानीय व्यवस्था के रूप में कनिष्ठ अन्वेषकों को सहायक प्रबन्धकों का कार्य सौंपा गया है ।

कनिष्ठ अन्वेषकों के पद सृजित करने के समय ही इनका कार्य निर्धारण कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

63–श्री बिहारी लाल दोहरे–

[5वें सोम0 में अता0 प्र0 सं0 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

64–श्री सुखपाल पाण्डे–

[दिनांक 16-3-88 को अता0 प्र0 सं0 151 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के नगर में रोडवेज बस स्टेशन हेतु कथित भूमि की खरीद एवं निर्माण

65–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी नगर में रोडवेज बस स्टेशन हेतु भूमि खरीद कर बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के फतेहपुर में बस स्टैण्ड हेतु परिवहन निगम द्वारा कोई भूमि खरीदी गयी है ? यदि हां, तो बस स्टैण्ड निर्माण न कराने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के चित्रकूट (सीतापुर) में परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय हेतु लिए गये पक्के मकान के किराये का भुगतान

66—श्री राम सजीवन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट (सीतापुर) में परिवहन विभाग ने अपने कार्यालय/चेक पोस्ट हेतु श्री चन्द्रशेखर मिश्र अध्यापक निवासी सीतापुर, बांदा का एक पक्का मकान सन् 1981 से 183 रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर ले रखा है ? यदि हां, तो मकान का किराया व बिजली पानी का चार्ज कुल मिलाकर 18651.92 पैसे (अट्ठारह हजार छः सौ इक्यावन रुपये बानवे पैसे) के बकाया की अदायगी न करने के क्या कारण हैं ? बकाया किराया राशि अदा न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? किराये की बकाया धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, भवन का किराया स्वीकृत होने के बाद दिनांक 21-4-81 से दिनांक 30-9-87 तक के किराये रु0 14152.00 के बिलों को कोषागार, बांदा भेजा गया था, जिनको कोषागार, बांदा द्वारा कुछ आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया गया। आपत्तियों का निराकरण कराकर बिल पुनः कोषागार भेजा जा रहा है। दिनांक 1-10-87 से दिनांक 31-1-88 तक के किराये रु0 732 का भुगतान भवन स्वामी को दिनांक 26-2-88 को किया जा चुका है। जहां तक बिजली, पानी के बकाया का प्रश्न है, मकान मालिक द्वारा इससे संबंधित कोई बिल नहीं दिये गये हैं, जिन्हें प्राप्त करके भुगतान हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बांदा को आदेश दे दिये गये हैं। उक्त अवशेष भुगतानों में विलम्ब के लिए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

जनपद आजमगढ़ के गोपाली पट्टी में ताण्डा पुरानी नहर पर तोड़े गये दो पुलों की सामग्री की जानकारी की मांग

67—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तह0 के ग्राम गोपाली पट्टी में ताण्डा पुरानी नहर पर दो पुल थे जो ताण्डा समानान्तर नहर बनने के बाद तोड़ दिये गये ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल की सामग्री नीलाम की गयी ? यदि हां, तो इससे सिंचाई विभाग को क्या मिला ? यदि नहीं, तो वह सामग्री क्या हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में परसीम ताल से निकलने वाली ड्रेन के खुदाई का विवरण

68—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के परसीम ताल से निकलने वाली गौरी गांव ड्रेन की खुदाई स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मौके पर हुई है? यदि हां, तो 0 से 1 कि0मी0, 1 से 2 कि0मी0, 2 से 5 कि0मी0 तथा 5 से 11-2 कि0 मी0 ड्रेन की चौड़ाई तथा गहराई कितनी है तथा नक्से के अनुसार कितनी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद की फूलपुर तहसील में परसीम ताल से निकलने वाली गौरीगांव ड्रेन की खुदाई 0-0 कि0मी0 से 9-0 कि0 मी0 तक प्रस्तावित गहराई व चौड़ाई में हुई है। कि0मी0 9 से 11.20 कि0मी0 तक कृषकों के अवरोध के कारण खुदाई मानचित्र के अनुरूप पूरी गहराई व चौड़ाई में नहीं हो सकी है। कि0 मी0 0-0 से 1-00 कि0 मी0 तक, 1 कि0 मी0 से 2 कि0 मी0 तक, 2 से 5 तक तथा 5 से 11.2 कि0 मी तक ड्रेन की प्रस्तावित गहराई व चौड़ाई तथा कराये गये कार्यों की गहराई व चौड़ाई निम्न प्रकार है :—

क्रम-सं0	प्रस्तावित कार्य के अनुसार			कराए गए कार्य के अनुसार	
	दूरी कि0मी0	भूतल से नाले की गहराई मी0 में	तली की चौड़ाई मी0 में	भूतल से गहराई मी0 में	तली की चौड़ाई मी0 में
1	0.00	0.70	3.65	0.70	3.65
2	1.00	1.16	365	1.16	3.65
3	2.00	1.00	3.65	1.00	3.65
4	3.00	1.30	3.04	1.30	3.04
5	4.00	1.57	2.43	1.57	2.43
6	5.00	1.54	2.43	1.54	2.43
7	6.00	1.80	2.43	1.80	2.43
8	7.00	1.10	2.13	1.10	2.13
9	8.00	1.145	2.13	1.154	2.13
10	9.00	1.130	2 01	0.95	2.30
11	10.00	1.885	1.52	1.35	2.50
12	11.00	0.84	1.52	0.70	1.50
13	11.20	..	1.52	..	..

69—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

प्रदेश के कतिपय डिपो पर किये गये व्यय आय एवं चालकों, परिचालकों का विवरण

70—श्री धनराज यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1987 से 30 सितम्बर, 87 तक बस्ती गोरखपुर, बर्डघाट, देवरिया, नौगढ़ एवं बलरामपुर डिपो में प्रत्येक डिपो पर कितनी धन व्यय किया गया तथा प्रत्येक डिपो पर कितनी कितनी आय हुई ? क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिपो बस्ती गोरखपुर, बर्डघाट देवरिया नौगढ़ एवं बलरामपुर में प्रत्येक पर कितनी-कितनी बसें चलती हैं और उन पर कितने ड्राइवर कितने कन्डक्टर एवं क्लर्क कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1 जनवरी, 1987 से 30 सितम्बर तक प्रश्नगत निम्नलिखित डिपोज पर उनके सामने दर्शायी गयी धनराशि व्यय की गयी—

बस्ती डिपो	1.85 करोड़ रुपए
गोरखपुर डिपो	2.95 ,,
वर्डघाट डिपो	1.42 ,,
देवरिया डिपो	1.88 ,,
नौगढ़ डिपो	0.32 ,,
बलरामपुर डिपो	0.98 ,,

डिपोवार आय का विवरण निम्नलिखित है—

बस्ती	1.67 करोड़ रुपया
गोरखपुर	3.12 करोड़ रुपया
वर्डघाट	1.14 करोड़ रुपया
देवरिया	1.29 करोड़ रुपया
नौगढ़	0.31 करोड़ रुपया
बलरामपुर	0.93 करोड़ रुपया

बस्ती, गोरखपुर, वर्डघाट, देवरिया, नौगढ़ एवं बलरामपुर डिपो में वर्तमान में संचालित बसों की संख्या, चालकों, परिचालकों एवं कार्यरत क्लर्कों की संख्या का डिपोवार विवरण निम्नवत् है—

डिपो	संचालित बसें	चालक	परिचालक	क्लर्क
बस्ती	75	147	149	85
गोरखपुर	104	209	263	95
वर्डघाट	54	97	139	55
देवरिया	81	142	164	96
नौगढ़	14	25	31	13
बलरामपुर	45	86	90	55

71—श्री धनराज यादव—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद आगरा के बीहड़ क्षेत्र स्थित ग्रामों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सुविधा

72—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की 62 ग्राम सभायें जो जमुना नदी के बीहड़ क्षेत्र में स्थित हैं, वहां पर कोई उद्योग धंधा आज तक नहीं खुला है और पिछड़ा क्षेत्र और उद्योग शून्य इलाका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र में खण्ड विकास स्तरीय किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने की कोशिश की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

राज्य सरकार ने खण्ड विकास स्तर से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत इस इलाके के निवासियों को जूता उद्योग, चूड़ी कटाई/जुड़ाई का कार्य साइकिल मरम्मत, सिलाई कार्य करने हेतु छोटी-छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया है तथा उन्हें वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

जनपद उन्नाव की ग्राम दरहेटा की दुकान का निलम्बन एवं पुनः आपूर्ति जारी

73—हृदय नरायण दीक्षित—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में माह अक्टूबर 87 में दूसरे सप्ताह पुरवा तहसील की दरहेटा न्याय पंचायत की शक्कर ग्राम मिहीखेड़ा में पकड़ी गई थी और कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का मुकदमा कायम किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि सप्लाई इन्सपेक्टर ने दुकानदार के कागज सील नहीं किए ? क्या यह भी सच है कि इसी दुकानदार पर एक साल पूर्व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का एक मुकदमा और भी चल चुका है ? यदि हां, तो 3/7 आ0 व0 अ0 में दो बार पकड़े जाने पर दुकान खारिज क्यों नहीं की गई ? दोषी सप्लाई इंस्पेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

जी नही, क्योंकि छापा ग्राम मिही खेड़ा में डाला गया था जबकि कोटेदार की दुकान ग्राम दरहेटा में है । मुकदमा नहीं चला था, बल्कि लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 16-7-85 को थाना मौरावां में अपराध की प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी जिसमें विवेचनाधिकारी द्वारा फाइनल रिपोर्ट 25-11-85 को लगाई गई थी ।

दुकान नियमानुसार 10-10-87 को निलम्बित कर दी गई । मण्डलायुक्त लखनऊ के आदेश दिनांक 24-11-87 द्वारा आपूर्ति पुनः जारी की गई ।

दोषी न होने के कारण सप्लाई इंसपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के जमानियां तथा देवकली पम्प नहरों की पुनरीक्षित परियोजनाओं पर व्यय विवरण

74—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला जमानियां और देवकली पम्प नहरों की परियोजनाओं पर कितनी लागत लगाए जाने का अनुमान है? अब तक इसमें कितनी लागत लगाई जा चुकी है ? कितना काम पूरा कर लिया गया है और क्या-क्या काम पूरा करना बाकी रह गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गाजीपुर जनपद स्थित जमानियां तथा देवकली पम्प नहरों की पुनरीक्षित परियोजनाओं के अनुसार कुल लागत निम्नानुसार है :—

देवकली	जमानियां
रु0 3172.00 लाख (वर्ष 1984 के आधार पर)	रु0 3626.00 लाख (वर्ष 1986 के आधार पर)

इन परियोजनाओं पर 3/87 के अन्त तक कुल व्यय क्रमशः निम्नानुसार हुआ है:—

रु0 2461.00 लाख	रु0 1361.00 लाख

इन परियोजनाओं के मुख्य अंग पम्प हाउस का निर्माण तथा वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य निम्न है:—

देवकली	जमानियां
95% पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 487 कि0मी0 वितरण प्रणाली का निर्माण किया जा चुका है ।	पम्प हाउस का 40% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 357 कि0मी0 लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण किया जा चुका है ।
अभी 5% पम्प हाउस का कार्य तथा लगभग 160 कि0मी0 वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य शेष है ।	अभी 60% पम्प हाउस का कार्य तथा 57 कि मी0 वितरण प्रणाली का कार्य अवशेष है ।

75—श्री अमिताभ अनिल दूबे—

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

सेवा निवृत्त श्री एच0 ए0 खान, अधिशासी अभियन्ता विद्युत पूर्ति सर्किल के पेंशन आदि देयों का भुगतान

76—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री एच0 ए0 खान) अधिशासी अभियन्ता, विद्युतपूर्ति सर्किल मेरठ दिनांक 30-6-86 को सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा देय नगदीकरण का धन आज तक प्राप्त नहीं हुआ ? क्या मंत्री जी इसके लिये दोषी संबंधित कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । श्री एच0 ए0 खान, अधिशासी अभियन्ता परिषद् की सेवा से दिनांक 30-6-86 को सेवा निवृत्त हुये थे ।

सम्बन्धित अधिकारी को परिषद् के का0 ज्ञा0 सं0 6061-का (दो)/राविप 86-216 ए/65 दिनांक 9-6-87 द्वारा देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

इसी प्रकार लेखा शाखा के आदेश सं0 6348/सी0ए0ओ0 पेंशन/6052/86-87 तथा सं0 7924/सी0 ए0 ओ0-पेंशन/6052/86-87 दिनांक 8-3-88 के द्वारा श्री एच0 ए0 खान के क्रमशः पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद बलिया में डिपो कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यवाही

77—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में डिपो कार्यशाला बनाने हेतु कितनी भूमि ली गई है और अब तक कार्यशाला का निर्माण प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त जनपद में डिपो कार्यशाला बनाने हेतु अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है । भूमि के क्रय हेतु प्रयास जारी है । भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही निर्माण संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद बलिया में परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को पर्याप्त सुविधा

78—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में यात्रियों की संख्या वृद्धि के हिसाब से परिवहन निगम की बसों की संख्या बहुत कम है यात्रियों को बहुत कष्ट हो रहा है ? क्या सरकार बिल्थरा रोड से बलिया, बिल्थरा रोड से रसड़ा, बिल्थरा रोड से भमीपुरा होते हुए रतनपुरा व बलिया से नगरा घोसी होते हुए आजमगढ़ तथा बिल्थरा रोड से देवरिया व गोरखपुर के लिये यात्री बसों की संख्या बढ़ाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं । यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेल्थरा रोड से बलिया मार्ग पर 24 ट्रिप, बेल्थरा रोड से रसड़ा मार्ग पर 16 ट्रिप, बेल्थरा रोड–भीमपुरा-रतनपुरा मार्ग पर 4 ट्रिप, बलिया-नगरा-घोषी-आजमगढ़ मार्ग पर 5 ट्रिप, बेल्थरा रोड-देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर 7 ट्रिप संचालित है । वर्तमान में उक्त मार्गों पर क्रमशः 54 प्रतिशत, 58 प्रतिशत, 54 प्रतिशत, 57 प्रतिशत एवं 66 प्रतिशत लोडफैक्टर प्राप्त हो रहा है जो कि कम है । ऐसी स्थिति में वहां पर बसों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

79–श्री अफजाल अंसारी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

80–श्री अफजाल अंसारी–

[6वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में लगाये गये राजकीय नलकूपों का विवरण

81–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1985-86 व 1986-87 व 1987-88 में अब तक कुल कितने राष्ट्रीय नलकूप लगाये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता ने दि0 6-3-87 को मंत्री जी को पत्र लिखकर इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कमी को दर्शाते हुए नलकूप लगवाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 85-86 से अब तक कुल एक नलकूप लगाया गया है ।

जी हां ।

माननीय विधायक द्वारा वर्णित असिंचित बीस ग्रामों में से 14 ग्रामों में बीस राजकीय नलकूप कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त विश्वबैंक के दो नलकूप कार्यरत हैं । विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद में वर्ष 85-86 में एक नलकूप पाहूपुर ग्राम में लगाया गया है । विभाग द्वारा नये नलकूप का निर्माण जिला योजना के प्राविधान के अनुसार जिला चयन समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही किया जाता है ।

श्री ए0 एन0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता (विद्युत), आगरा की निन्दा प्रविष्टि का उनके प्रोन्नति पर प्रभाव

82—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 80 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 एन0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता को यह प्रविष्टि कब दी गयी है और प्रविष्टि से उनकी सेवा व नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या यह सत्य है कि वह वास्तव में आगरा के ही रहने वाले हैं तथा उन्होंने गलत ढंग से अपना जन्म स्थान मध्य प्रदेश दिखाकर प्रारम्भ से ही आगरा में कार्यशील रहे हैं ? यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री ए0 एन0 गुप्ता को निन्दा प्रविष्टि 22 जनवरी, 1986 के परिषदादेश द्वारा दी गई है । निन्दा प्रविष्टि की एक प्रति संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका में रख दी गई है । जब कभी श्री गुप्ता की प्रोन्नति/नियुक्ति आदि के संबंध में विचार करने का समय आयेगा, इनकी चरित्र पंजिका, संबंधित विषय की विभागीय चयन समिति/सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी जो श्री गुप्ता की चरित्र पंजिका के साथ-साथ उसमें रखी निन्दा प्रविष्टि का भी अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेंगे ।

परिषद् के अभिलेखानुसार श्री ए0 एन0 गुप्ता का गृह जनपद पन्ना (म0 प्र0) है। उन्होंने अपना गृह जनपद म0 प्र0 गलत दिखाया है इसकी कोई जानकारी परिषद् को नहीं है । इसके अतिरिक्त श्री गुप्ता की परिषद् द्वारा आगरा में तैनाती परिषदीय कार्यहित को ध्यान में रखते हुये की गई है ।

इस प्रकार श्री गुप्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा को विद्युतीकरण योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि एवं उपलब्धि

83—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में आर0 ई0 सी0 व अन्य योजनाओं के तहत वर्ष 1986-87 मार्च तक के लिए विद्युतीकरण हेतु कुल कितने रुपये की योजनाएं स्वीकृत थीं तथा दिसम्बर, 1987 तक जनपद को स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु कितना धन उपलब्ध करवाया गया था ? क्या वित्तीय वर्ष 1987 के मार्च तक स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध पूर्ण रुपया जनपद को उपलब्ध करवा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 में मार्च, 1987 तक जनपद अल्मोड़ा में विद्युतीकरण व अन्य विद्युत कार्यों के लिये कुल 373 लाख रु0 की योजनाएं स्वीकृत थीं।

वर्ष 1987-88 में दिसम्बर, 1987 तक जनपद में स्वीकृत विद्युतीकरण एवं अन्य विद्युत कार्यों के लिये सामग्री तथा अधिष्ठान व्यय के अतिरिक्त कुल 14.69 लाख रु0 नगद धनराशि के रूप में उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 1986-87 में मार्च, 1987 तक स्वीकृत विद्युतीकरण एवं अन्य विद्युत कार्यों के लिये सामग्री व अधिष्ठान व्यय के अतिरिक्त कुल 69.55 लाख की धनराशि जनपद को सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उपलब्ध करायी जा सकी ।

जनपद मथुरा में राजकीय रेशम फार्मों की स्थापना एवं उस पर व्यय विवरण

84—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मथुरा जनपद में रेशम उद्योग के लिए रेशम के कीड़े पालने का कार्य हो रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अब तक की हुई प्रगति से सदन को अवगत कराते हुए कुल हुए व्यय को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जनपद में अब तक कुल 36.22 एकड़ रकबे में चार राजकीय रेशम फार्मों की स्थापना की गई है। वर्ष 1987-88 में अब तक 21 परिवारों को लाभान्वित कर 771.600 कि0 ग्रा0 रेशम कोया उत्पादित किया जा चुका है। स्थापना वर्ष 1980-81 से लेकर अब तक कुल रु0 3,51,719.30 पैसे मात्र का व्यय किया गया है, जिसमें अनावर्तक मद में रु0 2,33,458.45 पैसे तथा आवर्तक मद में रु0 1,18,260.85 पैसे का व्यय हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा खरीदी गई मशीनों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

85—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा 1976 में बिलिंग के लिए खराब मशीनें खरीदने के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का एक शिकायती पत्र सं0 739 मा0 राज्य मंत्री जी को ता0 22-12-87 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) राज्य विद्युत परिषद् से जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध करने हेतु दिनांक 1-3-88 में निदेशित किया गया है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

विद्युत सलाहकार समिति मुरादाबाद की बैठक में सांसदों एवं विधायकों को आमंत्रण एवं विद्युतीकरण हेतु ग्रामों के चयन का आधार

86—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-114 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सलाहकार समिति मुरादाबाद की बैठक दिनांक 1-10-86 एवं वर्ष 85 में प्रश्नकर्ता को आमंत्रित किये बगैर की गई थी? यदि हां, तो मीटिंग की किसी सूचना पर प्रश्नकर्ता के हस्ताक्षर लिये गये थे? यदि नहीं, तो फिर उनके विधान सभाई क्षेत्र में पड़ने वाले तीन विकास खण्डों के विद्युतीकरण किये जाने वाले ग्रामों का चयन किस आधार पर कर लिया गया? क्या इसके लिए दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विद्युत सलाहकार समिति मुरादाबाद की बैठक दिनांक 1-10-86 की सूचना जनपद के समस्त सांसदों एवं विधायकों को अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद के पत्र संख्या 27/वि0 वि0 ख0 प्र0 मु0 दिनांक 30-9-86 द्वारा भेजी गई थी परन्तु कोई भी सांसद एवं विधायक उपस्थित नहीं हुए। वर्ष 1985-86 की विद्युत सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7-1-86 को आयोजित की गई थी जिसकी सूचना समस्त सांसदों एवं विधायकों को अधिशासी अभियंता के पत्र संख्या 47-आर-11/11/कैम्प दिनांक 3-1-86 द्वारा भेजी गई थी परन्तु कोई भी सांसद एवं विधायक उपस्थित नहीं हुए। माननीय सांसदों एवं विधायकों की अनुपस्थिति में विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर एवं मुख्य विकास अधिकारी की संस्तुति पर किया गया। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 114 के उत्तर में माननीय विधायकों/सांसदों के उपस्थित होने का उल्लेख 22-8-87 को हुई बैठक के लिए था।

87—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[दिनांक 9-3-87 को अता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा के मांट क्षेत्र स्थित कतिपय ग्रामों में पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था न होने का कारण

88—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट क्षेत्र जनपद मथुरा के गांवों में मांट ब्रांच गंगा नहर से निकलने वाली ऊटासानी व गोराला माइनरों की टेलें पड़ती हैं? यदि हां, तो वर्ष 1985-86 व 86-87 में इन माइनरों की टेलों पर संबंधित किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गयी? यदि हां, तो कितने-कितने एकड़ों में? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मांट क्षेत्र जनपद मथुरा के गांवों में ऊपरी गंगा नहर से निकलने वाली मांट शाखा की जेवर राजवहा से निकलने वाली ऊंटासानी व गोराला माइनरों की टेलें पड़ती हैं।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जेवर राजवहा की रिमांडलिंग प्रगति में होने के कारण उपरोक्त दो माइनरों से ऊपर स्थित नहरों की रिमांडलिंग पूरी हो जाने व उसके कारण उसके द्वारा अधिक जल लेने व असामाजिक तत्वों द्वारा व्यावधान के कारण टेल जलापूर्ति नहीं हो सकी ।

श्री कपिलदेव सिंह, ग्राम डुमरी, देवरिया द्वारा की गई सिंचाई पर नियमानुसार कर

89–डा0 बंगाली सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रामपुर कारखाना जिला देवरिया क्षेत्र के गांव डुमरी के काश्तकार सर्वश्री कपिल देव सिंह, वीर बहादुर सिंह, उदय प्रताप सिंह, सुरेश सिंह आदि द्वारा गत खरीफ की फसल के लिए नहर से पानी नहीं लिया गया है और सिधुआं गांव/क्षेत्र के पतरोल द्वारा नहर से सिंचित भूमि दिखाकर उन पर सिंचाई शुल्क लगा दिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर पतरौल के विरुद्ध कार्यवाही तथा शुल्क माफ करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सर्वश्री उदय प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, तथा सुरेश सिंह द्वारा सिधुआ ग्राम में खरीफ 1395 फसली में कोई सिंचाई नहीं की गई है और उन पर सिंचाई कर नहीं लगाया गया है। श्री कपिल देव सिंह द्वारा उक्त फसल में ग्राम सिधुवा में 3.94 एकड़ क्षेत्र में नहर से सीच की गई है जिस पर नियमानुसार रुपया 228.52 का सिंचाई कर लगाया गया है।

श्री कपिल देव सिंह द्वारा निर्धारित अवधि में नियमानुसार सिंचाई कर के विरुद्ध इस्तगासा दायर नहीं किया गया अतः कोई कार्यवाही अब सम्भव नहीं ।

जनपद मुरादाबाद को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित धन एवं ऊर्जीकृत ग्रामों का विवरण

90–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन मुरादाबाद को वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 में कुल कितना धन आवंटित किया था और इन तीन वर्षों में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण सम्भव हो सका ? रिटर्न बेसिस पर कितने ग्राम ऊर्जीकृत किये जा सके तथा कितनी हरिजन बस्तियों को बिजली दी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मुरादाबाद जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये वर्ष 1985-86, 1986-87, तथा वर्ष 1987-88 में क्रमशः रु0 144.08 लाख, रु0 176.90 लाख तथा रु0 203.58 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 में फरवरी, 88 तक एल0 टी0 लाइन बिछाकर क्रमशः 90, 54 तथा 14 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया जिसकी सूची संलग्न है ।

उपरोक्त तीन वर्षों में रिटर्न बेसिस पर 13 ग्राम उर्जीकृत किये गये तथा कुल 169 हरिजन बस्तियों को बिजली दी गयी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 117 पर)

जनपद देवरिया के तहसील पडरौना स्थित जमुनियां राजबहा पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण कार्य

91–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11-1-86 प्राप्त हुआ है जिसमें जनपद देवरिया के तह0 पडरौना स्थित जमुनिया राजबाहा पर ग्राम श्री पति खण्ड जमुनियां के बीच बनी पुरानी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने तथा राजबहा का जल पुलिया के बगल से होकर बहने से अवरुद्ध यातायात के ठीक कराने के संबंध में सूचना है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वांछित यातायात आवागमन को ठीक कराने हेतु जनहित में क्षतिग्रस्त पुलिया की जांच कराकर अविलम्ब पुलिया नव निर्मित करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुलिया (गूल कलवर्ट) के नव निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इसके शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है ।

92–डा0 दिनेश जौहरी–

[5 वें शुक्रवार में अ0 ता0 प्र0 सं0 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी कताई मिल नगीना, बिजनौर की रंगाई पुताई तथा मरम्मत पर नियमानुसार किये गये व्यय का भुगतान

93–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगीना सहकारी कताई मिल नगीना, जनपद बिजनौर में वर्ष 1987 के 24 अगस्त के बाद वेलफेयर सेन्ट्रल हाल का निर्माण, मिल की रंगाई कार्डिंग विभाग की नवीनीकरण के नाम पर मशीनों का काम, ट्यूबवेल के पाइप बिछाने का कार्य, शीविंग विभाग की मशीनों का कार्य और मिल कालोनी स्टाफ कालोनी में मरम्मत का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना भुगतान किया गया है ? क्या इन कार्यों के लिये टेण्डर डाला गया है ? यदि नही, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, सहकारी कताई मिल लि0, नगीना बिजनौर में 24 अगस्त, 1987 के पश्चात् वेलफेयर सेन्ट्रल हाल का निर्माण, ट्यूबवेल के पाइप बिछाने का कार्य तथा मिल की लेबर कालोनी की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य किया गया ।

कुल 1,97,090 रुपये का भुगतान किया गया ।

उक्त सभी कार्य टेण्डर/नोटिस द्वारा रेटों की संस्तुति करके नियमानुसार किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में पत्र एवं कार्यवाही

94–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में गांव सभा गौहनियां, ब्लाक मया तथा गांव सभा प्रतापपुर चमुर्खा, ब्लाक कटेहरी के निवासियों के गांवों के विद्युतीकरण संबंधी प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 3-11-87 के पत्र के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिल गये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त दोनों गांवों के विद्युतीकरण का काम कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम गौहनिया की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रधान, ग्राम सभा गौहनियां एवं ग्राम के निवासियों का संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिनांक 4-10-87 जो जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड फैजाबाद को प्राप्त हुई है।

ग्राम सभा गौहनिया ब्लाक मया जो कई पुरवों का एक बड़ा गांव है, का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण मई, 1972 में तथा उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण वर्ष 1975-76 में किया जा चुका है।

ग्राम सभा प्रतापपुर चमुर्खा, ब्लाक कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी बाजार, जो इस ग्राम का एक मुख्य पुरवा है, विद्युतीकृत है । इस प्रकार यह सभा विद्युतीकृत है । अन्य पुरवों के विद्युतीकरण हेतु एक योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है जिसका अनुमोदन प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जनपद बलिया सीयर, नगरा, रतनपुरा विकास खण्डों के विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत गांवों की सूची

95—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में कितने गांवों का वर्ष 1986-87 तक पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से विद्युतीकरण किया गया तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण शेष है ? क्या सरकार अविलम्ब इस पिछड़े भाग के गांवों का विद्युतीकरण कराने पर विचार करने जा रही है? यदि हां, तो सभी गांवों को बिजली कब तक दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बलिया के तीनों विकास खण्डों में वर्ष 1986-87 तक विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत गांवों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

विकास खण्ड का नाम	सी0ई0ए0 की परिभाषा के अनुसार		एल0टी0 लाईन बिछाकर	
	विद्युतीकृत	अविद्युतीकृत	विद्युतीकृत	अविद्युतीकृत
1	2	3	4	5
1—सीयर ..	129	43	115	57
2—नगरा ..	136	41	87	90
3—रतनपुरा	90	85	24	151

जी हां।

अवशेष ग्रामों के विद्युतीकरण की अवधि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कतिपय विकास खण्डों के बुनकरों पर कर लगाये जाने की जानकारी की मांग

96—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के वि0 खण्ड भगतपुर टांडा के ग्राम पीपलसाना तथा टव्उन भांजपुर के बुनकरों पर उनके एक ह्य0 पा0 के मोटर पर दो हा0 पा0 का कर लगा दिया गया है जबकि शासन द्वारा एक हा0 पा0 पर कर लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है? यदि हां, तो 2 हा0 पा0 का कर लगाने का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी कताई मिल नगीना, बिजनौर द्वारा ले आफ लगाने की श्रम विभाग की अनुमति

97–श्री अकबर हुसैन बावर–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगीना सहकारी कताई मिल, जनपद बिजनौर में 24 अगस्त, 87 से ले-आफ लगा है ? यदि हां, तो क्या इसकी पूर्व अनुमति, श्रम विभाग से ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा ले-आफ लगाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । श्रम विभाग ने श्रमिकों को बैठकी पर भेजने की अनुमति प्रदान की थी । ले आफ लगाने का कारण कच्चे माल (रूई) की कमी होना था।

श्री राम सेवक गुप्ता, अवर अभियन्ता निचली राम गंगा रसूलाबाद, कानपुर, के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

98–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि निचली रामगंगा रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात के जे0 ई0 श्री रामशरण गुप्ता द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत गरीब मजदूरों को मिलने वाला 680 बोरा गेहूं खुले बाजार में बेचकर लाखों रुपये की हेराफेरी की शिकायत श्री अशर्फी लाल त्रिपाठी सदस्य राज्य परिषद्, जनता पार्टी कानपुर देहात ने अपने पत्र दिनांक 19-1-86 में की थी ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री राम शरण गुप्त नाम के अवर अभियंता इस खण्ड में कोई नहीं है वरन् श्री राम सेवक गुप्ता अवर अभियन्ता इस खण्ड के तृतीय उपखण्ड में कार्यरत थे जिनका मुख्यालय रसूलाबाद था। आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत इस खण्ड को कोई भी गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया था । क्योंकि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत इस खण्ड में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा था। आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर श्री राम सेवक गुप्ता, अवर अभियन्ता को दिनांक 28-6-85 तथा 30-6-85 को कुल मिलाकर 571·26 कु0 खाद्यान्न डी0 आर0 डी0 ए0 कानपुर देहात द्वारा उपलब्ध कराया गया था । यह खाद्यान्न 680 बोरा गेहूं न होकर 571·26 कुन्तल ही था ।

इस विषय में जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गयी थी तथा जिलाधिकारी, कानपुर देहात के निर्देशानुसार भी डी0 आर0 डी0 ए0 कानपुर देहात के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा गेहूं वितरण कराने के लिए एक टीम भेजी गई थी । तत्कालीन परियोजना निर्देशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर देहात श्री भरत सिंह ने दिनांक 8-8-85 को उपरोक्त प्रकरण से संबंधित शिकायत हेतु रसूलाबाद में इस विभाग के स्टोर पर रखे गेहूं का भौतिक सत्यापन भी किया था जिसमें उन्होंने पाया कि 571·26

कुन्तल गेहूं में से 281.44 कुन्तल गेहूं का वितरण होना शेष था जो स्टोर में उपलब्ध था। इस गेंहूं के वितरण हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कानपुर देहात ने रसूलाबाद नहर कोठी पर दिनांक 13-9-85 व 21-9-85 को ढकपुरवा नहर कोठी पर 16-9-85, 19-9-85 एवं 23-9-85 की तिथियां निर्धारित की थीं तथा विकास खण्ड अधिकारी रसूलाबाद को निर्देशित किया था कि वह अपने समक्ष खाद्यान्न वितरित कराएं ।

दिनांक 13-9-85 एवं 16-9-85 को 80.00 कुन्तल गेहूं का वितरण किया गया था शेष गेहूं बाद में बांट दिया गया । उपरोक्त गेहूं के बांटते समय कुछ तिथियों में विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी साथ में थे ।

अतः यह कहना कि 680 बोरा गेहूं गरीब मजदूरों को न मिलने के बजाए खुले बाजार में बेंचकर लाखों रुपयों की हेरा-फेरी की गई जांच के आधार पर प्रकाश में नहीं आई ।

अतः संबंधित अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या के जिम्मेदार दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के विरोध में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सदन के फ्लोर पर धरना

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, आपको मैंने पत्र लिखा था, 16 मार्च को और मैंने उसमें जिक्र किया था कि 29 फरवरी को अक्षयवर मल्ल की हत्या लाठियों से मार कर कर दी गयी, उसको लेकर असेम्बली भी दो दिन नहीं चली और तीसरे दिन भी काम ठीक से नहीं, हुआ और फिर आपने अपने कक्ष में सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया और तय हुआ कि सम्बन्धित जो दरोगा है, उसको मुअत्तल किया जायेगा, सी0 आई0 डी0 की जांच होगी और शेष जिन लोगों की लापरवाही है, उनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। मान्यवर, एक यही उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण हैं। माननीय राम गोविन्द चौधरी के सवाल को लेकर आपके कक्ष में जो निर्णय हुआ उसका पालन नहीं हुआ, आपके कक्ष में जब दत्ता साहब की पिटाई की गयी, तो जो निर्णय आपके कक्ष में हुआ था, उसका पालन 8 महीने बाद अपने तरीके से कर दिया गया । इसलिये मैंने आपको एक पत्र लिखकर कहा है कि कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इस वेल में धरना देने के और कोई रास्ता नहीं रह गया है । आज मान्यवर, लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। आपने अखबारों में देखा होगा, पंजाब में इमरजेंसी लागू की जा रही है, वह केवल पंजाब के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये लागू हो रही है । हमें जनता को पहले ही सचेत करना है । जो शांतिमय तरीके से प्रदर्शन किया जाता है उसे रोकने के लिए आज, विधान भवन के सामने छावनी बनी हुई है, सारे विधायक आतंकित हैं और जितने लोग हैं उनके मन में दहशत है। आज पूरी रात जिला प्रशासन ने आतंकित किया है और 10 लोगों को पकड़ा है। 11.00 बजे से 3.00 बजे तक गिरफ्तार किया है, लखनऊ का कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, अमृत लाल प्रयासी, राम सिंह, रमेश, राधेलाल, यह सरोजनी नगर के हैं, प्रताप सिंह,

फाकिर, बालकृष्ण साहू, अजय कुमार मिश्रा, सुनील कुमार शर्मा, मैकूलाल को जिला प्रशासन ने रात में गिरफ्तार किया है, जिससे जो श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या हुई है उसका परदाफाश न हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी आज दरोगा को मुअत्तल कर दें, सरकार और विपक्ष के बीच कोई टकराव नहीं है। जिला प्रशासन ने इसको छिपाने की कोशिश की है।

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है, उससे बदल दिया गया और अब घटना स्थल को भी बदला जा रहा है और सी0 आई0 डी0 को कागजात अभी तक नहीं दिये गये हैं।

मुझे आज बेहद दुख इस बात पर हो रहा है कि सत्ता पक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं जब हम अक्षयवर मल्ल का सवाल उठाते हैं तो वे चुटकी लेते हैं, यह सरकार चुटकी लेती है। जब इन्दिरा गांधी की हत्या होती है तो सब लोग आंसू बहाते हैं। अभी दो साल पहले हंडिया में पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार-मार कर उन्हें जूतों की माला पहनाई थी। दूसरे यहां पर दत्ता साहब का सवाल उठाया गया था। उनके साथ पुलिस ने कितनी ज्यादती की थी। बहराइच में एक कांग्रेस विधायक के भाई को पुलिस द्वारा मारा-पीटा गया था। सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना सारा शरीर हमें दिखाया कितनी चोटें आई थीं। उनके भाई हमारे पास आए और कहने लगे कि मेरे भाई की आप मदद कीजिए, ये तो कोई मदद नहीं करेंगे। इस तरह के कई मामले हैं।

मान्यवर, मैंने भी 16 मार्च को आपको एक पत्र लिखा था और 18 मार्च को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य मंत्री जी विचार कर रहे हैं। मैंने फिर इस विषय में पत्र लिखा आपको भी और संसदीय कार्य मंत्री को भी कि श्री अक्षयवर मल्ल के मामले में मैं आज 11 बजे यहां पर धरना दूंगा। यह मैंने एलान किया था कि मैं यहां पर सत्याग्रह करूंगा। मैंने अपने सभी माननीय सदस्यों से और अपने दल के लोगों से यह प्रार्थना की है कि यह धरना या सत्याग्रह मेरा व्यक्तिगत होगा और कोई दूसरा साथी इस सदन में इस पर किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालेगा, रुकावट नहीं डालेगा और वैल में नहीं जायगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। जैसा कि आपने मुझसे कहा है कि आज सामान्य प्रशासन के ऊपर चर्चा है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी लिखा है। मान्यवर, हमारा भी 20 साल का संसदीय और राजनीतिक जीवन रहा है हम सारे नियमों और परम्पराओं को जानते हैं। लेकिन वे आज सब समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है उनको बचाने के लिए जब सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो हमारे जैसे लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए उसकी परम्पराओं को कायम रखने के लिए इस वैल में धरने पर बैठेंगे। मान्यवर, आज का दिन डाक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस है, सरदार भगत सिंह शहीद दिवस भी है इसलिए आज इस अवसर पर जिन शहीदों ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है तो यह हमारा फर्ज हो जाता है कि उन परम्पराओं को बचाने के लिए अक्षयवर मल्ल के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मैं इस सदन के वेल में सत्याग्रह और धरना दे रहा हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव के सदन के फ्लोर पर आकर बैठ जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, क्या लोकतंत्र धरना देने से ही बचेगा । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी जगह पर चले जायें । लोकतंत्र में क्या ऐसे मामलों का हल धरना देने से ही होगा । बातचीत से ऐसे मामले हल होंगे । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अभी थोड़ी देर में उठ रहा हूं । मैं आपको और संसदीय कार्य मंत्री को बुलाऊंगा । ऐसे मसले बातचीत से हल होंगे । लोकतंत्र धरना देने से मजबूत नहीं होगा । बातचीत से मजबूत होगा । मैं आपसे अनुरोध करूंगा. . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने अपनी सारी बात कह दी. . . .।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप हम लोगों को सुन लें । शायद हमारी बात से यह समस्या हल हो जाय. . . . (शोर)

मान्यवर, जितनी बातें माननीय मुलायम सिंह जी ने कही, वास्तव में वह बहुत गम्भीर हैं और उन पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(श्री मुलायम सिंह यादव वेल में बैठे रहे और कई सदस्य खड़े होकर अपने-अपने स्थानों से बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया ।)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब तक सदन व्यवस्थित न हो तब तक कैसे कोई बात सुनी जा सकती है. . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई अच्छा सुझाव आ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार के द्वारा जब इस तरह के अत्याचार, अनाचार अपने पुलिस कर्मियों से कराये जाते रहेंगे तब तक उनके खिलाफ सरकार का रवैया है. . . .तुष्टिकरण का ही होगा जो हो रहा है ।

एक सदस्य–

सदन व्यवस्थित हो जाय, तब कोई बात हो . . .

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सब लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हूं आप बैठें । माननीय मुलायम सिंह जी मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि अभी थोड़ी देर में मैं यहां से उठता हूं अपने कक्ष में जाऊंगा वहां बातचीत कर लेते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सदन को कुछ समय के लिये स्थगित कर दीजिये ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा एक निवेदन है (व्यवधान) शायद समस्या हल हो जाय । (शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वैसे यह मामला हल नहीं हो पायेगा सदन स्थगित कुछ देर के लिये कर दें ऐसे यह मामला हल नहीं हो पायेगा । इस माहौल में सदन में मामला तय नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं बातचीत में विश्वास रखता हूं । मैंने 10 ता0, 18 ता0 और 21 ता0 को पत्र लिखे (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है । मैं यहीं रहूंगा । हमारे अन्य नेता मिल कर आपके कक्ष में बात कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी मौजूदगी जरूरी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह गंभीर मामला है, सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं माननीय मुलायम सिंह जी से इस समय आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इससे पहले भी जो उन्होंने आपको लिखे उनकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजी और मैंने बराबर उनका उत्तर दिया और प्रयास किया कि इस समस्या का कोई समाधान निकल आये उनसे बातचीत भी की । मान्यवर, प्रजातंत्र में बातचीत ही से समस्या हल होती हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं । लेकिन ऐसे अवसर आ जाते हैं जिसमें एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं । बातचीत का फोरम है यह विधान सभा यहां पर हम इस प्रकार बातें उठाते हैं । आज पूरा अवसर है यहां पर जनता की समस्या रखने का हमारा कर्तव्य है और जो शासन की कमियां हैं उनको इस फोरम में उठा सकते है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुलायम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जब किसी मामले मे सी0 आई0 डी0 इनक्वायरी के आर्डर दे दिये गये उस समय बातचीत भी हुई थी । प्रशासन की कुछ मजबूरियां भी होती हैं जब किसी चीज की इनक्वायरी

के एक बार आदेश दे दिये तो उसके बाद उसमें कार्यवाही करनी होती है फिर कुछ मुश्किलें होती हैं क्योंकि या तो आप सीधे किसी को मुजरिम मान ले उसका भी पक्ष होता है । जब जांच के लिये आदेश हो गये हैं तो वह हो जाने दीजिये उसमें प्राइमा फेसी कोई चीज आ जायेगी तो जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, की जायेगी । किसी व्यक्ति को छिपाने या बचाने की कहीं पर भी मंशा नहीं है । आज सामान्य प्रशासन का बजट है, माननीय नेता विरोधी दल को उसमें बोलना है जो महत्वपूर्ण है । माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर होंगे । सारी समस्यायें आप उसमें प्रभावी तरीके से कह सकते हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मुलायम सिंह जी से, वह मेरे मित्र हैं, दोस्त भी हैं । हमेशा, उन्होंने जब भी हमने आग्रह किया हमारी बात स्वीकार की है । कृपया थोड़ी देर के लिये सदन को व्यवस्थित चलने दें । आपके कक्ष में आ जायें हम फिर भी प्रयास करेंगे । अगर वह प्रयास नहीं कामयाब होगा तो फिर आपसे अनुरोध करेंगे । यह तरीका ठीक नहीं है । आज सामान्य प्रशासन का बजट है । प्रजातंत्र के हित में, सदन के हित में, माननीय सदस्यों के हित में प्रशासन के हित में बहुत सी बातें यहां पर माननीय सदस्य कहेंगे । माननीय नेता विरोधी दल को बोलना है उनकी गरिमा का प्रश्न है । इसको देखते हुये मैं अनुरोध करूंगा कि इस वक्त वह यह न करें वार्ता करके सारी बातें तय कर लें, हर चीज वार्ता से तय हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

लोकदल (अ) और लोकदल (ब) की लड़ाई में सदन का समय नष्ट हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको नहीं बुलाया आप बैठें ।

श्री शत्तरुद्र प्रकाश–

यह लड़ाई किसी दल की नहीं है ।

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन के फ्लोर पर बैठे रहे)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ तथ्य आपके सामने रखें, आप स्वयं अवगत हैं, मुलायम सिंह जी कोई बड़ी खुशी से वेल में नहीं गये हैं । आज सरकार का जो रवैया है सदन के बाहर देखें तो कम से कम 1000 पुलिस सदन के चारों ओर लगा रखी है जहां पुलिस लगानी चाहिए वहां नहीं लगायी जाती है । मान्यवर, यह संसदीय प्रणाली और मर्यादाओं की बात करते हैं पूछना चाहता हूं एक बार नहीं इनसे बातें हुई, आपके चेम्बर में जो बातें करते हैं उस बात को यह पूरा नहीं करते,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, आज उन पर ऐतिबार नहीं रह गया है । संसदीय कार्य मंत्री बार-बार इंगित करना चाहते हैं कि नेता विरोधी दल आज सामान्य प्रशासन पर बोलेगें इसलिए इस विषय को समाप्त कर दें । इस संबंध में कोई व्यवधान नहीं किया गया है जिसको और अभी इंगित किया गया है । मान्यवर, आज विरोधी दल एक है इसमें कोई भिन्नता नहीं है । नेता विरोधी दल के बोलने के लिए ऐसा मुलायम सिंह जी ने किया है, तो कदाचित ऐसी बात नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, यह तो इन्होंने इस समय बताया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि यदि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना चाहते हैं तो यह जो मर्यादाओं की बात करते हैं पिछले साल केवल 29 दिन सदन चलाया इस साल एक-एक दिन तीनतीन बजट पर चर्चा कराते हैं और संसदीय मर्यादाओं की बात करते हैं । इसलिए मामले में आप हस्तक्षेप करें और आप तय करें वरना तब तक सदन स्थगित कर दें । मुख्य मंत्री जी यहां हैं तो क्या आपसे बात नहीं कर सकते थे, क्या यहां नहीं आ सकते थे, तथ्य क्या उनको मालूम नहीं हैं, जान बूझ कर यह काम किया गया है, इसलिए सदन को स्थगित कर दें और इस मामले का हल निकालें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने अभी प्रजातंत्र और परम्पराओं की दुहाई दी । जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा सदन नियमावली और परम्पराओं के आधार पर चल रहा है और इसका उत्तरदायित्व विरोध पक्ष पर ही नहीं सत्ता पक्ष पर भी उतना ही है। सदन की मर्यादाओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय आप अपने कक्ष में बुलाकर तय करते हैं और सदन में आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसका जब परिपालन नहीं होता है तो मजबूर होकर प्रतिपक्ष के लिए यह कदम उठाना पड़ता है, जो खुशी से नहीं उठाया जाता है । आज समस्या जो आपके सामने है उसमें मैं चाहता हूं कि सदन व्यवस्थित रूप से चले । परम्परायें एक बार नहीं अनेक बार तोड़ते चले आ रहे हैं। जैसा कि श्री रेवतीरमण जी ने कहा कि आपके समय में कम से कम सदन चला है, तो परम्परायें आप तोड़ रहे हैं। बजट जो पास कर रहे हैं वह इतने कम समय में कभी पास नहीं हुआ है। जिस विषय को श्री मुलायम सिंह जी ने उठाया है उस पर आपके सद्भाव और आपके हस्तक्षेप से कोई समाधान हो जाय, इस लिए आपसे अनुरोध है कि 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दें, और आपके कक्ष में बात हो जाय । वरना इसका कोई निराकरण नहीं हो पायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन व्यवस्थित नहीं है, जब सदन व्यवस्थित नहीं है तो आपको किसी को सुनना नहीं चाहिए, और न उस आसन पर आपको बैठना चाहिए । यह तरीका जो वेल में जाने का है आपके नेतृत्व में यह परम्परा अच्छी कायम हो गयी है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप देख लें जब से सदन स्थापित हुआ है तब से इस सत्र के पूर्व तक कितनी बार माननीय सदस्य वेल में गये और इस सत्र के दौरान कितनी बार वेल में गये चूंकि वेल में जाने के बाद ही आप और सरकारी पक्ष किसी की बात को सुनते हैं। तो मेरी ऐसी धारणा हो गई है कि आप और सत्तापक्ष चाहते हैं कि वैल में लोग जाएं और इसके अलावा एक प्रवृत्ति यह भी बन गई है कि सत्तापक्ष के लोग कुछ ऐसा करा दें, जिससे विवश होकर विरोध पक्ष के लोग वैल में चले जाएं और यह चले जाएं तो हमारा बजट बिना किसी आलोचना के पास हो जाए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री परम्परा की बात करते हैं, वह सही बात करते हैं, लेकिन हमारे ऐसे लोगों को शंका होती है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा यह लोग काम करें, जिससे हमारा बजट ध्वनि मत से पास हो जाए, क्योंकि आपने ऐसा चलन चला दिया है कि सदन व्यवस्थित हो या न हो, भले ही 100 आदमी वैल में आ जाएं, कुर्सियों पर खड़े हो जाएं, आप हों या ना कराकर उसे पास करा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज इस समस्या पर आप इसे स्थगित कर दें और आपके कक्ष में बात हो जाए। हालांकि अब इससे भी आशा नहीं रह गई है। जो बात वहां हो जाए, उसको दोनों पक्षों को मानना चाहिए। यह क्या बात है कि वहां पर सर्वसम्मति से फैसला हो जाता है, लेकिन लोग फिर बाद में यहां नहीं मानते हैं। जब हम एक निर्णय ले लेते हैं, तो सबको, सभी पक्षों को उसे मानना चाहिए । जो निर्णय हो जाए, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम विरोध पक्ष के सभी लोगों से उसे मनवायें और आप सत्ता पक्ष से मनवाएं ।

यहां श्री अक्षयवर मल्ल जी की हत्या हो गई, गौतम दरोगा जी उनकी हत्या के मुल्जिम थे, उन्हें उसी दिन मुअत्तल करना चाहिए था, लेकिन सदन में इतने हंगामे के बावजूद उसे मुअत्तल नहीं किया गया। क्या आफत आ जाती यदि उसे मुअत्तल कर दिया जाता । आप गृहमंत्री जी उसको बुलाकर मुअत्तल कर देते और फिर 4-6 महीने बाद बहाल कर देते, अपने ही बंगले में उसे रख लेते वह आराम कर लेता और इस तरह से सदन का और आपका काम चल जाता । यही आप अब तक करते आए हैं। ऐसे दरोगा को रखकर क्यों आप यह बदनामी लेते हैं? मैं अपने विरोध पक्ष को क्या कहूं । विरोध पक्ष के लोगों ने धरना दिया था और कहते थे कि हमारी मांग है कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दें और जूडिशियल इंक्वायरी हो। लेकिन आपके यहां गये तो सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी मानकर चले आए । चोर-चोर मौसेरे भाई, कौन है सी0 आई0 डी0 में, वही तो हैं जो आज थाने में बैठे हैं, कल सी0 आई0 डी0 में चले जाएंगे तो वही जांच करेंगे अक्षयवर मल्ल जी की हत्या को । हमको इनकी बुद्धि पर तरस आता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी जगह पर आ जाएं और जो बात होनी है, वह आपसे हो जाएगी। माननीय मुलायम सिंह जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जगह पर आ जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन के फ्लोर पर बैठे रहे) मैं श्रीमन्, मजबूर हूं, आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, आप मुझे माफ करें ।

(श्री मुलायम सिंह यादव के सदन के फ्लोर पर बैठे रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजे मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है। तत्पश्चात् 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन की बैठक पुनः आरम्भ होने पर भी श्री मुलायम सिंह यादव सदन के फ्लोर पर ही बैठे रहे)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । थोड़े समय के लिए सदन स्थगित हुआ था । आपके कक्ष में कुछ वार्ता हुई है । संसदीय परम्पराओं को निभाते हुए वहां क्या वार्ता हुई, इसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन संदर्भ आपके सामने है और पूरे सदन के सामने है । श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या के मामले में पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने का मामला है। जिसको लेकर माननीय मुलायम सिंह जी सदन के बीच में बैठे हैं। इस मामले में पुनर्विचार करने के बाद यदि शासन ने कोई नीति बनायी है अगर श्री गौतम दरोगा को निलम्बित करने का निर्णय लिया गया है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह बतायें जिससे हम तय कर सकें कि शासन की नीति के बाद हमारी क्या राय होगी क्योंकि हमारी यह धारणा बनी हुई है कि सरकार ऐसे मामलों में जान बूझ कर पुलिस कर्मियों को प्रश्रय देती है और इनके पास साहस नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही कर सकें । सरकार की साजिश के तहत उस दरोगा ने श्री मल्ल के ऊपर प्रहार किया था । गौतम को इन्होंने स्पेशलाइज करा रखा है वी0 आई0 पी0 को प्रताड़ित करने के बारे में ।

एक जानकारी मैं और दे दूं कि जिस दिन यह घटना हुयी थी उसके दूसरे दिन विरोधपक्ष के विधायक लोग जब राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे तो गौतम की ड्यूटी हमारे साथ लगायी गयी थी। ऐसी कौन सी उसमें विशेषता है। मेरा सीधा आरोप है कि गौतम को बचाकर सरकार जानबूझकर यह प्रदर्शित करना चाहती है कि हमारा रवैय्या अंग्रेजों से भी बदतर है विरोध पक्ष के आंदोलन को रौंदने के लिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया बुलवा दें ताकि हम अपनी नीति बना सकें।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, यह मामला गम्भीर है । एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई जिसके बारे में चूंकि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए मा0 मुलायम सिंह जी सदन के बीच में बैठे हैं। सरकार सदन के बाहर रोक कर घोषणायें करती है और अपनी घोषणाओं का रोज उल्लंघन करती है। जो इस सदन में आश्वासन दिये जाते हैं या माननीय अध्यक्ष के कक्ष में जो बात तय की जाती है उसका पालन सरकार नहीं करती है। लोकतंत्र की धज्जियां सरकार उड़ा रही है । मैं मांग करता हूं कि तत्काल कार्यवाही की जाय, संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि विरोध पक्ष चाहता है कि सदन न चले विरोध पक्ष चाहता है कि सदन चले, सदन की कार्यवाही चले लेकिन सरकार सदन चलाना नहीं चाहती है । मुख्य मंत्री जी को फुरसत नहीं है, इस समय पता नहीं कहां हैं ? वह कुछ नहीं करेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि दोषी पुलिस कर्मचारियों का निलंबन किया जायगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी वरना सदन न चलने का दोष माननीय मुलायम सिंह पर नहीं जायगा। अपने आश्वासनों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। माननीय मुलायम सिंह दुखी होकर, पीड़ित होकर, विवश होकर वेल पर बैठे हैं । आप संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि वह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

*श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन में यह बताया कि कक्ष में जाकर नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं के साथ फैसला हो गया । मान्यवर, मैं एक नया सदस्य हूं और यह परम्परा मैं पिछले तीन वर्षों से देख रहा हूं, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यहां पर 425 माननीय विधायक अपने क्षेत्र से चुन कर आए हुए हैं और यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सदन के कार्य का निर्णय कक्ष में होता है, तो मान्यवर, वहां पर सब लोगों को कक्ष में ही बुला लीजिए और वहां पर सभी नेताओं को कक्ष में बुलाकर [xxx] करके बजट पास कर दीजिए और हमें अपने-अपने क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दीजिए । इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, असलम साहब जिस बैक ग्राउन्ड से आये हुए हैं, उन्होंने उसका परिचय दिया है।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुईद अहमद आज टोपी वगैरह लगा कर आये हैं, वे मंत्री बनना चाहते हैं। इनको आप जल्दी शपथ दिलवा दीजिए। मान्यवर, ये बेचैन हैं। मान्यवर, यह देखा जा रहा है कि सदन को न चलने देने का निर्णय सत्ता पक्ष ने तय कर रखा है और रोजाना इनकी हठधर्मिता से यह सदन चल नहीं रहा है। आज इतना अहम सवाल है और आज कितना महत्वपूर्ण बजट है, परन्तु मुख्य मंत्री जी गायब हैं, लगता है कि वह लखनऊ में हैं भी कि नहीं या वह ध्वनि मत से बजट पास कराना चाहते हैं। मान्यवर, वे दरोगा को इसलिए नहीं सस्पेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव की तैयारी में हैं। ये जानते हैं कि पुलिस अगर बिगड़ गयी, तो कैसे ये उपचुनाव में उनकी मदद लेंगे, इसलिए मान्यवर, ये दरोगा को सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि एस0 एस0 पी0 लोग कितने दरोगाओं को रोजाना सस्पेंड करते हैं और इस दोषी दरोगा को बगैर आपके निर्देश के एस0 एस0 पी0 भी नहीं सस्पेंड कर रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार ने जिसका वादा किया था, उस वादे के खिलाफ दरोगा को ये ससपेंड नहीं कर पा रहे हैं। इससे यह मालूम हो गया है कि आज इनका संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है। इन लोगों ने शंकर दयाल शर्मा जी के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया था, यह मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं। इस सदन में यह किसी चीज को गम्भीरता से लेते नहीं हैं। मान्यवर, सम्वेदनशीलता नाम की चीज इनमें नहीं है, जो काम एक मिनट में हो सकता है, उसमें कई-कई दिनों तक उसको ये उलझाये रहते हैं। मान्यवर, आप निर्देश दें इनको कि दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है, ये सदन के सामने बता दें।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, बड़ी दुखद स्थिति है, यह हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्यों और जो एक बड़े दल के नेता हैं, उनको मजबूर होकर ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी कि सदन की कार्यवाही रुक गई। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रकरण जो उठा है अक्षयबर मल्ल की मृत्यु के संबंध में, इसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में वार्ता हुई थी, उस समय आप भी उपस्थित थे, उसमें मान्यवर, स्पष्ट रूप से जो मुद्दे उठाये गये थे, उन पर वार्ता हुई और निश्चय किया गया कि यह-यह कार्यवाही हम लोग करेंगे, सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया। बड़े दुःख की बात तो यह है कि जो हम सब लोगों की वहां पर कक्ष में बुलाकर आपके समक्ष या अध्यक्ष जी के समक्ष जो बात सरकार तय करती है, उससे सरकार मुकर जाती है, इससे और अधिक कोई दयनीय अविश्वसनीय स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग ऐसे व्यवधान के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हम लोग क्या करें, जब हम लोगों के सामने। इतने बड़े सवाल हैं, और लोकतंत्र के बचाव का प्रश्न है तो इस ढंग के काम करने पड़ते हैं, श्री मुलायम सिंह को ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है। मेरा इस समय यह निवेदन है कि चूंकि सारी बातें तय हो गयी की अब तो सरकारी पक्ष से बात करने का कोई सवाल नहीं है, आप अपनी पीठ से ही यह निर्देशित करें कि यह यह कार्यवाही अक्षयबर मल्ल के मामले में होनी चाहिए। आपके संज्ञान में सारे प्रकरण की बात है। जो हम लोगों ने मांग

रखी थी उस मांग में चर्चा होने के बाद फैसला हुआ, वह भी आपकी जानकारी में है। इसलिए आप सरकार को आदेशित करें कि यह यह कार्यवाही इस प्रकरण में होनी चाहिए, यही हमारा निवेदन है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आज कल्याण सिंह जी यहां नहीं हैं, वह अक्सर कहा करते थे कि इस समय पूरे प्रदेश में दरोगा राज हो गया है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे दारोगा राज ही नहीं हो गया है बल्कि दारोगा ही सबसे बड़ा हो गया है। मान्यवर, आज यह जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है इसमें एक दारोगा को मुअत्तल करने के सवाल पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। मैं समझता हूं कि यह अनिर्णय की बन्दी है सरकार और इसमें जो आपके यहां फैसला होता है, सदन में बात चीत आती है अक्षयवर मल्ल जी की मृत्यु या हत्या के संबंध में जो मांग वहां रखी गयी तो बेहतर तो यही होता कि सरकार अभी तक कोई फैसला कर लेती, उस दारोगा को वहां से मुअत्तल करके हटा लेती लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं किया गया और आज माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां धरना दिया है, आज 23 मार्च डा0 लोहिया का जन्म दिवस है, शहीदे आजम भगत सिंह का शहीद दिवस है। मान्यवर, इतने छोटे से सवाल पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है और माननीय मुलायम सिंह जी को धरना देना पड़ रहा है। इस सवाल पर पहले स्वयं मुख्य मंत्री यहां मौजूद नहीं थे और आज भी मौजूद नहीं हैं लेकिन यह पहले से जो बात है, यह बात कल परसों 3-4 रोज में तय हो सकती थी।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस समय यह सरकार दारोगा के वर्चस्व को स्वीकार कर चुकी है और ऐसा लगता है कि दारोगा सबसे शक्तिशाली तबका हो गया है। दारोगा के खिलाफ न सरकार कोई फैसला कर पा रही है और न पूरा सदन कुछ कर पा रहा है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह सरकार अनिर्णय की बन्दी हो गयी है तो आप ही कोई निर्देश अपनी पीठ से दे दीजिए ताकि यह सदन, कार्यपालिका की बात छोड़ दीजिये, दरोगा से मजबूत साबित हो जाय। मान्यवर, इसके पास वित्त विधेयक पास करने की ताकत है, कानून बनाने की ताकत है लेकिन ऐसा लगता है कि जिसने एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर लाठी चलायी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की ताकत नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात और नहीं हो सकती है, अजनतांत्रिक बात और नहीं हो सकती है। मान्यवर, इस छोटे से सवाल पर बहस के जरिये बड़ा सवाल न बनाये और इस पर जल्दी से कोई फैसला कर दें।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपसे मन की बता दूं, आज हम लोग यह तय करके आये थे कि आज हम लोग हुल्लड़ नहीं करेंगे, मा0 मुलायम सिंह ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, हमने स्वीकृति दे दी और सब हमारे विपक्ष के लोग हैं, सब सहमत हो गए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर कोई हुल्लड़ नहीं किया किसी ने, हम नहीं चाहते हैं कि इस संसदीय कार्य में हमारी तरफ से कोई व्यवधान पड़े। लेकिन मान्यवर, समस्याएं होती हैं और आज हम निवेदन करना चाहते हैं, हमारे शतरुद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि दरोगा का राज हो गया तो दरोगा का राज ही नहीं है उत्तर प्रदेश का दरोगा मुख्य मंत्री हो गया है। यह जो [xxx] दरोगा है, यह तो मुख्य मंत्री है उत्तर प्रदेश का। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार वही चला रहा है। मैं दुखी दिल से कहना चाहता हूं कि [xxx] मान्यवर, आप इस पीठ के ऊपर से कोई आज ऐसा निर्णय दीजिए कि सरकार देखती रह जाय। आपका यह कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। चन्देल साहब ने उस हाउस में दिया है ऐसा निर्णय, आप वैसा ही एक निर्णय दीजिए, वरना हमारे मन में क्या होगा, जब जेलों में किसी को फांसी लगाते हैं। वहां पर एक जल्लाद रह्म करता है और फांसी देने के लिये जल्लाद को बुलाया जाता है। तो या तो आप न्यायाधीश बन जाइये या [xxx] बन जाइए।

श्री राज किशोर सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मा0 मुलायम सिंह ने जो कदम उठाया है, उसकी मूल जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है और मा0 वीर बहादुर सिंह की सरकार की है, मुख्य मंत्री जी की है। मान्यवर, मा0 मुलायम सिंह ने जिस सवाल को उठाया है वह अक्षयवर मल्ल की हत्या से संबंधित है और उस हत्या के जो जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सरकार अपने वादे से मुकर गयी और हम देख रहे हैं कि सरकार इतनी भयभीत हो गयी है पुलिस से कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने से डरती है और हम देखते हैं कि पूरे विधान भवन के आगे के हिस्से में चारों तरफ यह पुलिस छावनी में बदल गया है और यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में मा0 वीर बहादुर सिंह की सरकार नहीं रह गयी है, बल्कि यहां पर पुलिस का शासन चल रहा है और पुलिस राज कायम है। इन हत्यारों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन हत्यारों के खिलाफ जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 में रिपोर्ट है। ऐसे मामलों में जब किसी के नाम कोई रिपोर्ट हो जाती है तो यही पुलिस तत्काल कार्यवाही करती है और बिना तफतीश के, बिना जानकारी किये फौरन हथकड़ी लगाकर जेल भेज देती है। कानून सबके लिये समान है, चाहे पुलिस का कोई आदमी हो या कोई और, सबके लिये समान कानून है। कानून सबको समान रूप से देखता है। इस मामले में जो पुलिस कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उनके हथकड़ी नहीं लगाई गयी। मान्यवर, यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। मान्यवर, इस मामले को देख लिया जाय और इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(घोर व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

दरोगा राज की बात कहना सर्वथा निराधार है । पुलिस प्रशासन और प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के काम में लगे हुए लोगों के बारे में आधारहीन आरोप लगाना उचित नहीं है, जो सी0 आई0 डी0 की जांच की बात कही गयी, वह हो रही है और जो कुछ भी नेताओं के बीच में वार्ता हुई थी, उसके बारे में विस्तृत रूप में संसदीय कार्य मंत्री जी बताएंगे । लेकिन, श्रीमन्, मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दरोगा की बात कही गयी, उसका पहले ही स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

(घोर व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आज बड़ी दुखद स्थिति आ रही है और मा0 मुलायम सिंह जी, जो हमेशा इस सदन की स्वस्थ परम्परा को कायम रखने में आगे रहे, वह आज वेल में आये हैं । कुछ मा0 सदस्य सोचते हैं कि यह एक छोटा सा मसला है और उसके पीछे विधान सभा की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान पड़ रहा है । इस तरह से लोगों का सोचना है। लेकिन आज यह मसला छोटा नहीं रह गया है। वह बड़े रूप में हमारे सामने आ चुका है उसके अनुसार जो मसला आज यहां उठा है, उसमें पीठ के निर्देश हैं और सत्तापक्ष द्वारा दिया गया आश्वासन है । सत्तापक्ष की आदत बन गयी है हर मसले को छिपाने की इसलिये सच्चे-झूठे आश्वासन दे देते हैं ।

माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कदम उठाया है, वह लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाये रखने के लिये है, और हर आदमी उससे सहमत होगा । शासन को चाहिये कि जो भी आश्वासन, अक्षयवर मल्ल जी की हत्या के सिलसिले में यहां पर दिये गये हैं, उनका पालन हो । मान्यवर, जो आश्वासन सरकार ने इस सदन में दिये हैं उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी भी पीठ की आती है । अगर पीठ की तरफ से कोई निर्देश नहीं होता है, तो मान्यवर बात नहीं बनेगी । सरकार से कोई उम्मीद अब नहीं रही । मान्यवर, पीठ की जिम्मेदारी है कि वह उन आश्वासनों को पूरा कराने हेतु सरकार को निर्देशित करे । माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कदम उठाया है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए, फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जो आश्वासन इस सदन में दिये गये हैं, उनका पालन किया जाय ।

(व्यवधान)

राम गोविन्द चौधरी–

माननीय मुलायम सिंह जी ने मेरा नाम लिया था, हमें भी अवसर दीजिये ।

श्री जयदीप सिंह धरार–

मान्यवर, यह विधान सभा हमारे प्रदेश की जनता का दर्पण है । पूरे प्रदेश में आज अव्यवस्था, कुप्रशासन फैला हुआ है । इस विधान सभा की डिबेट के माध्यम से जब किसी कार्यवाही की मांग होती है, और उस पर अमल नहीं होता है, तो फिर यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर अवरोध की स्थिति पैदा हो जाती है और प्रदेश की स्थिति प्रतिबिंबित होती है यहां मान्यवर, इस स्थिति को सदन का कोई भी सदस्य अच्छा नहीं समझता । परन्तु, मान्यवर आप देख लें, एक साधारण व्यक्ति जब कहीं पर शासन से कोई शिकायत करता है, तो उसे आजकी स्थिति में न्याय नहीं मिल पाता है । इतने बड़े दल के नेता ने शिकायत की, सभी दलों के नेताओं ने इस शिकायत को शासन के सामने रखा, लेकिन शासन ने उसे ठुकरा दिया । इस विधान सभा में सरकार झूठे आश्वासन देकर, उससे इस सदन को कलंकित करती रहती है । मान्यवर, यह विधान सभा प्रदेश के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षक है, आप हमारे रक्षक हैं, आपके कक्ष में जो सरकार आश्वासन देती है उनको पूरा न करके, सरकार आपके कक्ष की पवित्रता को भी कलंकित करने लगी है । सरकार को मजबूरी है, कि जिन लोगों के खिलाफ इन्हें कार्यवाही करनी है, यह उन लोगों के गुलाम हैं । मान्यवर, अक्षयवर मल्ल जी की हत्या इस बात की प्रतीक है कि पूरे प्रदेश में पुलिस ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और हत्याओं का तरीका बना लिया है । आज एक अक्षयवर मल्ल नहीं है पूरे प्रदेश में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हालत यही की जा रही है ।

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने सिरसा में एक सभा आयोजित की, लेकिन वहां भी उसको विफल करने के लिये, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न पुलिस ने किया, पुलिस ने उन पर अत्याचार किया । मान्यवर, इन्होंने रायबरेली में धुन्नी सिंह उर्फ रवीन्द्र सिंह जो अभवा ब्लाक के प्रमुख थे, उनसे कहा कि जनमोर्चा का साथ छोड़ दो, इनके मुख्य मंत्री ने कहा, नहीं तो तुम्हारे परिणाम बुरे होंगे । दस दिन बाद उसकी हत्या हो गयी । मान्यवर, जिस सरकार ने पुलिस को अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करने के लिये माध्यम बना लिया हो, उससे तो मान्यवर अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही । मान्यवर, आज हम उस पीठ से न्याय की उम्मीद करते हैं, आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी से न्याय की उम्मीद करते हैं । मान्यवर, इस सदन के विधायिका के प्रति सरकार उत्तरदायी है, विधायिका के आप सर्वोच्च अधिकारी हैं, आपके प्रति सरकार उत्तरदायी है । मान्यवर, आप उस कुर्सी पर बैठें, सहर्ष बैठें, हमारा आपको समर्थन है, परन्तु अगर इस सरकार के मुख्य मंत्री आपके आदेशों की अवहेलना करें, मुझे नहीं मालूम, आपको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार रह जाता है या नहीं ? मान्यवर, यह तो छोटे मंत्री हैं, मुख्य मंत्री तो इन्हें कभी भी निकाल देंगे, ऐसी उम्मीद कि इनके आश्वासन पर विधान सभा चलेगी, मामला हल होगा, तो यह कभी सम्भव नहीं है । मान्यवर, इन्होंने आपके कक्ष को, आपके पद को कलंकित किया है । आप चाहें तो पीठ से यह निर्देश अवश्य दे दें कि यह सरकार उस कक्ष में तथ्य कार्यवाही को करे । अन्यथा मैं समझता हूं, आप अपनी अन्तरात्मा से पूछें, सरकार की अन्तरात्मा तो मर चुकी है, इस विधान सभा की अन्तरात्मा की हत्या न हो, इसलिए निवेदन है कि आप इसमें निर्देश दें । कक्ष के फैसले का कोई जिक्र चाहे न करें ।

*श्री संतोष चतुर्वेदी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय बरार साहब लम्बे समय से अधिष्ठाता महोदय से न्याय की मांग और पीठ की गरिमा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात करते चले आ रहे हैं । लेकिन जिस दिन उर्जा का बजट था, उस दिन आपकी पीठ से निर्णय हुआ था कि बरार साहब और एक अन्य सदस्य अब निर्दलीय सदस्य की हैसियत से सदन में बैठेंगे और अब उन्हें सत्ता पक्ष की सीटों की तरफ बैठने का कोई अधिकार नहीं है । मैं चाहूंगा कि कार्यवाही को आगे बढ़ने से पहले बरार साहब को निर्देशित किया जाय, कि वह निर्दलीय विधायकों वाले स्थान पर ही बैठें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

(श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप इनको बैठा दें और पहले मेरी बात सुन लें। मेरा नाम लिया गया है और पहले मैं अपनी बात कहूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी आपके आने से पहले अध्यक्ष जी पीठ पर मौजूद थे और माननीय मुलायम सिंह जी ने जिन बातों का यहां पर उल्लेख किया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राम गोविन्द चौधरी वाले मामले पर भी जो बात उठाई गई थी और अध्यक्ष जी ने अपने कमरे में बुलाकर बातचीत भी की थी और उस पर एक निर्णय हुआ था । उस निर्णय को आज तक लागू नहीं किया । श्रीमन्, एक बात हम और याद आती है कि जब निर्णय हुआ था, तो उस समय हमें यह निर्णय स्वीकार नहीं था, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि यह निर्णय मान लो और जो निर्णय मैं दे रहा हूं, वह लागू होगा । उसके बाद हम लोगों ने मुलायम सिंह जी तथा कुंवर रेवती रमण सिंह जी के कहने पर उस बात को मान लिया । लेकिन नेताओं की बातचीत में जो फैसला हुआ था, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, रायल होटल वाली घटना के दो माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई की थी । आपके मार्शल भी वहां पर गये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी । लेकिन मान्यवर, उस पर कोई निर्णय आज तक नहीं लिया गया । अब मैं कहने पर मजबूर हुआ हूं । अगर किसी भी मामले में सरकार निर्णय लेने के बाद कार्यवाही नहीं करती है और सदन में उसकी घोषणा नहीं करती है तो विपक्ष के पास एक ही चारा है कि उन मांगों के ऊपर सदन में ही माननीय मुख्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अथवा माननीय गृह मंत्री स्पष्ट घोषणा करें, तभी हाउस की कार्यवाही आगे चलाई जाये, यही मेरा आपसे निवेदन है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट के खड़े होने पर और बोलने का प्रयास करने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

चतुर्वेदी जी, आप बोल तो चुके हैं और मैं आपको सुन चुका हूं । आप बैठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने इस घटना की नोटिस माननीय अध्यक्ष जी को बहुत पहले दी थी । सदन को नियमानुसार व्यवस्थित रूप से चलाने की जिम्मेदारी आपकी पीठ पर है । जब आपको सूचना मिल गई थी, हम सीधा आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि वे कौन से कारण थे, जो आज आप यहां पर इस मामले में बहस चला रहे हैं, आपने इसे पहले क्यों नहीं बहस के लिए रखा । आज इतना महत्वपूर्ण बजट है । हमारे सारे विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 के तहत हाउस आफ कामन्स की तरह हमें प्राप्त है । हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा रही है कि जब तक एजेण्डा समाप्त नहीं होता है, तब तक सदन चलता रहता है । यदि मान्यवर, आज आप इस पर यहां बहस चला रहे हैं तो आप स्पष्ट व्यवस्था दें कि आपके पीठ से ऐसे कौन से कारण थे, जिसके कारण आज आप इस मामले पर यहां बहस चला रहे हैं इससे पहले इस पर यहां बहस क्यों नहीं चलाई गई ?

अगर आप बैठे हों इस पीठ पर या माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी कारण से वह अपने को अक्षम पा रहे हों, तो उन्हें यह आसन खाली कर देना चाहिए, नहीं तो आप सदन को व्यवस्थित रूप से चलवायें । कोई नियम, कानून, व्यवस्था व परम्परा मानवता और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए होती है । यह सरकार मानव मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाती है हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कानून के आगे सब बराबर हैं । हमारे खिलाफ तो ये लोग 302 का मुकदमा चला देंगे और जेल की सींकचों के अन्दर बन्द कर देंगे और गृह राज्य मंत्री जी भी इधर-उधर का हवाला दे देंगे, लेकिन जब आपकी पुलिस फंसेगी या कोई इनकी पार्टी का फंसेगा तो उसके लिए ये दोहरा मापदण्ड लागू कर देंगे । आपकी पीठ से हमको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे ? सारे प्रदेश में इस सरकार की जो घोषणायें हैं, वे तमाम दूसरी होती हैं और जब उन्हें लागू करने की बात होती है तो उस पर दोहरा मापदण्ड लगा दिया जाता है, इसलिए मान्यवर, आप व्यवस्था दें कि वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से आपने पहले इस मामले पर बहस नहीं करायी ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री अम्मार रिजवी जी को बुलाये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, केवल आपको इस पर व्यवस्था देनी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं दोनों पक्षों को सुनकर ही व्यवस्था दूंगा । मुझे पूरा अधिकार है कि मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनूं ।

(श्री अम्मार रिजवी जी के खड़े होने पर श्री संजय सिंह अपने स्थान पर खड़े हो गये)

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उस पर केवल आपको व्यवस्था देनी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं; मैं पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लेता हूं, फिर अपनी व्यवस्था दूंगा ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री मुलायम सिंह यादव सदन के फ्लोर पर बैठे रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं जब सुन लूंगा तब निर्णय दूंगा । पहले संसदीय कार्य मंत्री को सुन लूंगा तब कोई बात कहूंगा ।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा, मुहम्मद आजम खां, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री जयदीप सिंह बरार तथा डा0 संजय सिंह द्वारा खड़े होकर श्री उपाध्यक्ष से तत्काल व्यवस्था देने का अनुरोध करने के कारण घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या मुझे आप विवश कर सकते हैं कि तुरन्त व्यवस्था दूं ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

जी हां, आप भी नियमों से ऊपर नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो जबर्दस्ती है, मैंने नियमों के अन्तर्गत ही दूसरे पक्ष को सुनने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आपने उनकी व्यवस्था स्वीकार की है, या अस्वीकार की है, यह उनको बता दें । यदि नहीं तो अभी व्यवस्था को सुरक्षित कर लें, मुझे सुनने के बाद व्यवस्था दे दें ।

(घोर व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो 16 तारीख को जो पत्र मा0 अध्यक्ष जी को दिया और इस पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा मुझे भी भेजी । उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने भी कक्ष में बुलाकर मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता की । जो पत्र मुझे भेजा था, मैंने उसका जवाब भी दिया, जिसको श्री मुलायम सिंह जी ने स्वयं भी बताया है । मैंने उसमें कहा है कि सरकार को जो कार्यवाही करनी थी, जो इससे पहले कक्ष में तय हुआ था कि सी0 आई0 डी0 द्वारा इन्क्वायरी करायी जाएगी, किसी अधिकारी से अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस अधिकारी को वहां से हटा दिया जाएगा । श्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह भी कहा था कि कागजातों को सील कर दिया जाय । जो अवरोध था उसको दूर किया गया, कागजात को सील करने के आदेश दिए गये । चूंकि सदन सर्वोच्च

है । मैं सारे सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं कि जो बातें आपके कक्ष में हों, जो निर्णय आपके कक्ष में हों, जो आश्वासन आपके कक्ष में सरकार द्वारा दिए जायं, सरकार का कर्तव्य है कि वह उसे पूरा करे । जो भी आश्वासन आपके यहां दिए गए हैं, हो सकता है कि दूसरे की नजर में यह बात न आये, लेकिन जिस नियत से वह आश्वासन दिए गये, सरकार ने अपने कर्तव्यों का पूरा पालन किया है । इसमें कोई शुबहा नहीं कि इस सदन में किसी की कैटेगरी नहीं कर सकते जैसे दरोगा, इन्सपेक्टर, चौकीदार, चूंकि सदन सर्वोच्च स्थान है कानून बनाने का, सर्वोच्च न्यायालय भी है सारे उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को देखने का और जहां पर उनके साथ अन्याय होता है या यहां पर वे आवाज उठाते हैं इसमें किसी पक्ष की बात नहीं है, चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के सदस्य हों, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस पर पूरी तरह से कार्यवाही करें और जो दोषी व्यक्ति हैं, हमारा यह भी दायित्व है कि कोई भी बात ऐसी न हो जाय कि निर्दोष के विरुद्ध कार्यवाही हो जाय।

सरकार का यह काम नहीं है कि यहां पर सजा की बात करे । जैसे कि अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि "इक्वेलिटी बिफोर ला" मैं भी कहता हूं और हम उनकी बात से सहमत हैं, कानून की नजर में , कोई चाहे जितना बड़ा हो, अगर जुर्म करता है तो उसकी सफाई का मौका मिलना चाहिए । इसमें एक तरफ इनक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है , पूरी तरह से बगैर इनक्वायरी के कार्यवाही करना क्या यह सदन की गरिमा के अनुकूल होगा ? अभी हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया गया, हाउस आफ कामन्स की जो परम्परायें हैं, डेमोक्रेसी में, हमारी प्रजातंत्र की प्रणाली है संसदीय प्रणाली है , उसके अन्दर पूरी तरह से हम लोगों ने उसका निर्वाह किया है । हाउस आफ कामन्स में यह भी है कि अगर मार्शल जाकर सिर्फ छू भर दे तो समझा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत थी कि सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल हो गया । एक तरफ हम हाउस आफ कामन्स की दुहाई दें, दूसरी तरफ ऐसी बात करें, यद्यपि मैं इस पर कोई टीका- टिप्पणी नहीं करना चाहता ।

मैं माननीय मुलायम सिंह जी की इज्जत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं और फिर कहता हूं कि उनको जो रोष था, अपने दल का रोष और असंतोष उन्होंने यहां व्यक्त कर दिया है । मान्यवर, यह एक चीज सामने आ गयी है और अब हमारा उनसे अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर जांय । यह मामला विचार में है, कभी न कभी इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, सारी बातें सामने आ जायेंगी । आज जरूरी बात यह है कि आज सामान्य प्रशासन की बात चल रही है ।

अभी बरार साहब ने कहा कि आज मा0 मुख्य मंत्री जी को यहां होना चाहिए था क्योंकि आज सामान्य प्रशासन का बजट है और उस पर माननीय सत्यपाल सिंह जी कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे । मान्यवर, पहले यह बजट 22 तारीख को आने वाला था तब माननीय सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि इसको 23 तारीख को रख दिया जाय क्योंकि उस समय 23 तारीख जादा सुरक्षित थी । माननीय मुख्य मंत्री जी का आज कहीं का कार्यक्रम था । आज महत्वपूर्ण बजट है, मैं समझता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी इसमें हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे । उनके मार्गदर्शन की शासन को आवश्यकता है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में माननीय बरार साहब ने बात कही और ब्लाक प्रमुख के बारे में जो कहा, यह सरासर गलत है। माननीय बरार साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बड़े पुराने दोस्त हैं। सन् 1980 में जब वे पहली बार यहां आये थे तभी उनकी प्रतिभा से हमलोग प्रभावित हुए थे। अभी माननीय सन्तोष जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि वे अब इधर क्यों बैठे हैं जबकि वे हमारे दल में अब नहीं हैं। तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि वे कूद कर कभी कहीं चले जाते हैं वैसे तो हमारे दिल में बैठे हैं, अब कूद कर कहीं चले जांय तो उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है।

मान्यवर, हमारा फिर अनुरोध है कि शासन ने, सरकार ने जो भी आश्वासन दिया था उसे शासन ने पूरी तरह से पूरा किया है। अब मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें जांच हो रही है इसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे, चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हों, उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जायेगा। आप उसकी श्राईमाफिसी रिपोर्ट आ जाने दें। फिर माननीय मुलायम सिंह जी को पूरी स्वतंत्रता है कि जो चाहें करें। मैं फिर माननीय मुलायम सिंह जी से और सभी विपक्ष के माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसा वातावरण बनायें कि सामान्य प्रशासन के महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो सके। आज उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी बेचैनी से इस तरफ देख रहे हैं कि हमारे नेतागण इसमें क्या कहते हैं? आइये हम उनको निराश न करें और इसका शुभारम्भ करें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपना आसन ग्रहण करें। सबने अब इस पर अपने विचार रख दिये हैं मैं चाहता हूं कि अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव शान्तिपूर्वक सदन के फ्लोर बैठे रहे।)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 मुलायम सिंह जी के जो पत्र मा0 अध्यक्ष जी को प्राप्त हुए, उनकी प्रतिलिपि नेता सदन को इस अनुरोध के साथ भेज दी गयी थी कि इस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें, इस प्रकार जो कार्यवाही हमारे करने की थी, वह तो हमने कर दी और आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, मैं तो दोनों से अनुरोध ही कर सकता हूं, मा0 नेता सदन से और मा0 नेता विरोधी दल से तथा अन्य मा0 नेतागण से (शोर)

*डा0 संजय सिंह–

मान्यवर इस सदन के अन्दर इस मामले में आश्वासन जो दिए गए थे कि सब-इन्सपेक्टर को निलम्बित कर आगे की कार्यवाही करेंगे, लेकिन कार्यवाही उन आश्वासनों के अनुरूप नहीं हुई है और इस समय यहां पर यह दूसरी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) (श्री मुलायम सिंह यादव सदन के फ्लोर पर खड़े होकर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

अपने आसन से पीठ को सम्बोधित करें, यहां से नहीं और यदि यहां से कुछ बोलेंगे तो वह लिखा नहीं जायेगा।

जिला फैजाबाद के जहांगीरगंज थाने की पुलिस द्वारा भारत बन्द के समय एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की की गयी पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 7 स्वीकार हुईं, जो पढ़ी हुई मान ली गयीं और बाकी सभी अस्वीकार की गयीं।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

[महोदय, जनपद-फैजाबाद के जहांगीर गंज थाने में भारत बन्द के समय थाना-ध्यक्ष जहांगीर गंज ने कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), लोकदल तथा जनता पार्टी के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को राम नगर बाजार में अवैधानिक रूप से लाठी चार्ज करके मारा पीटा तथा फर्जी मुकदमा कायम किया हथकड़ी लगाकर बेइज्जत किया और थाने के अन्दर बन्द करके पुनः मारा पीटा उप पुलिस महानिरीक्षक एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने गिरफ्तार लोगों के हाथ में हथकड़ी लगी देखा और शरीर पर लगी चोटें देखी और डाक्टरी मुआइना करवाया है थानाध्यक्ष जहांगीर गंज एवं अन्य दोषी पुलिस कर्मी अपने अपराध को छिपाने के लिए अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिससे जनता में रोष व्याप्त है और तनाव पूर्ण स्थिति है। मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए थानाध्यक्ष जहांगीर गंज एवं समस्त दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला मैनपुरी की अधूरी सड़कों के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम सजीवन—

[महोदय, मैनपुरी जनपद में सन् 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत और वित्तीय प्राविधान किये जाने के बाद पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़के जो रेलवे स्टेशन, मंडियों और पुलिस थानों को जोड़ती हैं अट्ठासी लाख रुपयों की लागत से सार्वजनिक निर्माण खण्ड (अस्थायी) मैनपुरी द्वारा निर्मित की गई थी । निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो जाने के बाद उनको अधूरा छोड़ दिया गया है और सरकारी धन की बर्बादी हो रही है । राज्य सरकार उनको पूरा करने के लिए जिला योजना से धन की व्यवस्था करने पर जोर देती है जबकि जिला प्रशासन उनके लिए राज्य सेक्टर से धन आवंटित करके निर्माण कराने पर जोर देता है । इस विवाद में उलझी डाकू ग्रस्त क्षेत्र की इन सड़कों का निर्माण रुका पड़ा है ।

इन पांच सड़कों मैनपुरी (1) सिरसागंज (13 किलोमीटर) (2) जसराना-औंछा (13 कि0 मी0) (3) दन्ना हार-कुचेला (12 कि0 मी0) (4) उजोया-फकीर पुरसे कपूरपुर (15 कि0 मी0) (5) पेंगू से ताखा (5 कि0 मी0) के अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए जनता की ओर से कई बार जिलाधिकारी मैनपुरी व राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र दिए गये । इन सड़कों का निर्माण न होने से जनता आन्दोलन रत है तथा भीषण रोष व असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उनको शीघ्र निर्मित करने की मांग करता हूं]

जिला आगरा के थाना मलपुरा के सिपाहियों की राइफलें बदमाशों द्वारा छीने जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[महोदय, दिनांक 14-15 मार्च, 88 के नौ (9) बजे रात्रि को जनपद आगरा के थाना मलपुरा के दो पुलिस कांस्टेबिल यदुराज सिंह और राजबीर सिंह धनौली-सिरौली मार्ग पर थाने से केवल 4-5 कि0 मी0 दूर गस्त पर थे । 8-10 बदमाशों ने उन पुलिस गस्ती सिपाहियों से केवल तमंचाओं की नोक से दोनों राइफलें छीन ली । इस राइफल छीनने की दुर्घटना ने पुलिस कर्तव्य निर्वहन और सचेतता पर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही दिया है, पर अब बदमाशों द्वारा इन छीनी हुई राइफलों के द्वारा क्षेत्र में बड़ी से बड़ी संगीन और जघन्य अपराधों की आशंका से क्षेत्र की जनता भयग्रस्त और आतंकित हो गयी है। जन-जीवन को असुरक्षित समझ रही है । जब पुलिस से ही बदमाश राइफल इस क्षेत्र में छीन सकते हैं तो सामान्य नागरिकों का रहना क्षेत्र में मुश्किल ही नहीं असंभव प्रतीत होने लगा है और क्षेत्र से पुलिस अस्तित्व व प्रभाव नष्ट हो गया है। क्षेत्रीय पुलिस के ऊपर जनता विश्वास खो चुकी है जिला पुलिस से भी अभी तक उन बदमाशों को पकड़ने और राइफलों को बरामद करने के लिए कोई सक्रिय व प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर राइफलों के बरामद करने तथा बदमाश गिरोह को पकड़ने के साथ-साथ इस पूरी घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने के लिए मांग करता हूं ।]

जिला सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय की पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मित्रसेन यादव—

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय में दर्जनों जघन्य हत्या जैसे गंभीर अपराधों को पुलिस पैसे लेकर डकारती चली जा रही है । दिनांक 12 13 फरवरी, 88 को श्रीमती माधुरी मिश्रा गर्भवती महिला निवासिनी हरैना पूर प्रभुनन्दन, एक बालक निवासी ककरहिया दिनांक 10 जनवरी, 88 मघई उर्फ राम नाथ ग्राम बिगदुली दिनांक 24 दिसम्बर, 87, श्री लालता यादव निवासी रमनगरा डेहरियावां दिनांक 24 अक्टूबर, 87 और दिनांक 25-7-87 को श्री जगदेवा यादव, अरवल मठा की न केवल दिन दहाड़े हत्या की गयी है बल्कि 12 जून, 87 को श्रीमती कृष्णावती ग्राम सिकरी तथा ग्राम कांपा कोटवा के श्री शिव नरायन सिंह की पुत्रवधू और ग्राम पिपरी जमापुर के एक ठाकुर परिवार की महिला को दहेज के लालच में जघन्य हत्या की गयी है । उपरोक्त दर्जनों जघन्य हत्या जैसे गंभीर अपराधों में पुलिस की निस्कृयता से लोगों में गहरा असंतोष एवं रोष व्याप्त है । थानाध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र दुबे बल्दीराय भारी धनार्जन कर अपराधों को छिपाने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराने और सम्पूर्ण मामले की अविलम्ब निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ।]

बरेली महानगर की बिहार बस्ती में हुए अग्नि काण्ड के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह—

[महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कल दोपहर बाद बरेली महानगर के मध्य स्थित अनुसूचित वर्ग के लोगों के मोहल्ले बिहार बस्ती में भीषण अग्निकाण्ड से अनेकों झोपड़ियां जल गईं और बहुत सी आग को बढ़ने से रोकने के लिये किए गए प्रयास के समय स्वाहा हो गईं । मिहिर जाति के अग्नि पीड़ितों का सारा सामान जल कर राख हो गया । उनके पास न चूल्हा रहा न भोजन और न ही सिर छिपाने की छत । आगामी ग्रीष्म काल में खस के पर्दे आदि बनाने खश्खस सिरकी, मूंज आदि भी जल गईं जिससे वे आगे अपनी जीविका चलाने का साधन भी जल गया । अग्नि काण्ड के पीछे किसी षड़यंत्र की आशंका है । इन्हें अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं मांग करता हूं कि उन सभी लोगों को जिनके घर 22-3-88 को जले हैं व आग फैलने से रोकने के कारण ध्वस्त हुए हैं उन सभी को विशेष अनुदान दिलाया जाये, अग्नि पीड़ितों के ऊपर सभी कर्जे माफ किये जायें तथा अग्नि काण्ड के कारणों की जांच कराई जावे ।]

जिला गाजियाबाद में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह–

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में मेरा विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर अधिकांशत: कृषि प्रधान क्षेत्र है। गत सप्ताह वर्षा एवं भीषण ओलावृष्टि के कारण रबी की खड़ी फसल मुख्यत: गेहूं, तिलहन व दलहन को भयंकर नुकसान हुआ है। यह नुकसान विशेष रूप से धौलाना ब्लाक व भोजपुर ब्लाक में हुआ है। अभी सूखे की चपेट में कृषक सम्भल भी नहीं पाये थे कि ओलावृष्टि हो गयी । इस प्रकार जहां एक ओर कृषकों का भारी नुकसान हुआ है वहीं पर हजारों खेतिहर मजदूरों को भी बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। शासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार से अनुदान अथवा छूट की घोषणा नहीं की गयी है।

उक्त ओलावृष्टि के कारण सारे क्षेत्र में भारी क्षोभ व्याप्त है। क्षेत्र में किसान एवं मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं।

अत: आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ताकि क्षेत्र के लोगों की कोई भी सरकारी वसूली रोक दी जाये तथा जनता में कृषकों की हानि का मुआवजा व अनुदान आदि दिलाने की तत्काल व्यवस्था कराकर जन आक्रोश को रोका जा सके ।]

जिला उन्नाव के सातन गांव में हुए अग्नि काण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

[महोदय, हम नियम 301 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं। 95, हड़हा (उन्नाव) विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सातन, तहसील व जिला उन्नाव में कल दिनांक 22 मार्च को अचानक अग्निकाण्ड हुआ है। जिसमें लगभग 100 घर जल गये हैं। जान-माल की व्यापक हानि हुई है। जिला प्रशासन को सूचना होने के बावजूद उक्त ग्राम में राहत कार्य नहीं पहुंचाई गयी है। हजारों लोग बेघर हो गये हैं गांव में हाहाकार मचा है।

शासन के उक्त क्रूर एवं अमानवीय रवैये के कारण उस गांव तथा आस-पास के घरों में काफी असन्तोष व्याप्त है । अत: सदन के संज्ञान में लाकर उक्त ग्राम वासियों को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास पहुंचाने की हमारी मांग है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो सभी अस्वीकार कर दी गयीं ।

मद संख्या 3, 5 और 7 का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–3, 5 और 7 को आज स्थगित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत आज 26 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से सभी को मैं अस्वीकार करता हूं।

(विपक्ष के सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहने तथा श्री मुलायम सिंह यादव के सदन के फ्लोर पर बैठे रहने से सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 18 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(सदन की कार्यवाही 3.00 बजे प्रारम्भ होने पर भी श्री मुलायम सिंह यादव सदन के फ्लोर पर बैठे रहे)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 10, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की आज दिनांक 23 मई, 1988 की कार्य सूची की मद 10 की उप मदों–(1) से (29) में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति हेतु जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित धनराशियों, जिनका कुल योग 7 अरब 16 करोड़ 92 लाख 99 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायें ।

[(1) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 23,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(2) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 28,35,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(3) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 15,65,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(4) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 23,67,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(5) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,35,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(6) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 30,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(7) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 48,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(8) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,25,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(9) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 21,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नोट :–[ ]यह अंश सदन में नहीं पढ़ा गया ।

(10) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 8,64,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(11) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,83,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(12) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 37,92,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(13) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 34,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(14) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 72,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(15) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,12,37,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(16) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,19,00,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(17) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 8,15,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(18) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 69,84,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(19) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 15,62,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(20) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 12,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(21) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,64,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(22) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 6,16,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(23) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 39,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(24) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 26,68,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(25) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,21,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(26) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 5,04,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(27) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 24,89,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(28) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,53,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(29) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87– सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 20,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।]

(कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई मा0 सदस्य खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज दिनांक 23 मार्च, 1988 की कार्य सूची की मद 10 की उपमदों (1) से (29) में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति हेतु जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित धनराशियों, जिका कुल योग 7 अरब 16 करोड़ 92 लाख 99 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 4.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । तदोपरान्त 4 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन की बैठक पुनः प्रारम्भ होने पर)

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन के वेल में बैठे रहे)

श्री रवीन्द्र सिंह तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 11 . . .

(व्यवधान)

आज नियम 51 के अंतर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें पहली सूचना जो श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा की है, वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है । शेष सूचनायें अस्वीकृत की गई हैं । मद संख्या -12

(कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । . . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब क्या व्यवस्था का सवाल है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमावली देख लें, हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं । माननीय तिवारी जी और मैं दोनों खड़े हैं और व्यवस्था के प्रश्न पर कहना चाहते हैं । जिसको आप बुलवायें. . .

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आपके आसन से अव्यवस्थित हालत में बजट पास कर दिया गया, इसके लिये आपको बधाई देता हूं । आज नई-नई परम्परायें बनती जा रही हैं । श्रीमन्, आप जब वहां पर नहीं थे, उपाध्यक्ष जी विराजमान थे तो उस समय हमने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस पर उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं? आपका आसन इतना निरीह हो जायेगा जिससे सारा सदन संवैधानिक और नियम सम्बद्ध संरक्षण की आशा और अपेक्षा करता है, तो हमारा क्या होगा ? मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आपका आसन एकदम कार्यपालिका के अधीन हो जायेगा? क्या जो विधायिका की गरिमा को बनाये रखने के लिए आपके आसन पर जिम्मेदारी है उस पर बैठने वाले लोग उससे भी विरक्त हो जायेंगे? श्रीमन, आप संसदीय कार्य मंत्री का पत्र मंगाकर देख लें जो 18 तारीख को उन्होंने भेजा था । उसी पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं . . . (व्यवधान) मान्यवर, दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, इस मामले पर आप अपनी बात माननीय उपाध्यक्ष के सामने कह चुके हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, 18 तारीख को संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक चिट्ठी माननीय मुलायम सिंह जी को दी थी । उसे मैंने बाद में देखा । उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आपकी भावना से सहमत हूं और मैं इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा कि पुलिस कर्मियों को क्या दण्ड दिया जाय ? 21 तारीख को उन्होंने जो पत्र भेजा उसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री जी से उनकी कोई बात नहीं हुई । मान्यवर, 16 तारीख को आपके आसन पर कोई पत्र मिल जाय कि कोई व्यक्ति यहां पर धरना देगा जिससे सदन अव्यवस्थित होगा और सारी परम्परायें टूटेंगी । उस पर संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना कि वे मुख्य मंत्री से बात करेंगे और बाद में यह कह दिया जाय कि उनसे कोई बात नहीं हुई तो मान्यवर, इस पर आप स्वयं विचार कर लें

कि शासन इस विषय को कितनी गम्भीरता से ले रहा है जिससे ऐसा लगता है कि सारी परम्पराओं को तोड़कर अव्यवस्थित हालत में नई परम्परायें कायम की जायेंगी तो हम लोगों को किस तरह से संरक्षण मिलेगा । इस प्रश्न पर मैं आपके आसन से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसी के साथ मैं एक चीज और जोड़कर अपनी बात कहना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

(श्री नरेन्द्र देव सहित कई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़े हो गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है? व्यवस्था पर क्या व्यवस्था से सकती है?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते हैं उसमें मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी बात भी सुनूंगा ।कृपया बैठ जांय, शांत रहें । नरेन्द्र देव जी, बैठ जांय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रातः काल से लेकर अब तक जिस तरह से सदन की कार्यवाही चली है उसके ऊपर विचार करने की आप कृपा करें । माननीय तिवारी जी ने जिस पत्र का संदर्भ दिया है उसमें किसी बात का समाधान नहीं हुआ जिसके कारण माननीय मुलायम सिंह जी को आक्रोश पैदा हुआ और वे सदन के फ्लोर पर चले गये और यदि शासन की ओर से कोई प्रक्रिया अपनाई गई होती अथवा शासन की ओर से कोई समाधान कारक हल निकाला गया होता तो इस तरह का दुर्भाग्य पूर्ण एवं अभूतपूर्व दृश्य नहीं होता।लेकिन वह परिस्थितियां पैदा हो गयी । अब मैं उसके आगे की बात बताना चाहता हूं । अध्यक्ष पीठ से हम आशा करते हैं प्रतिपक्ष के नेताओं को और सदन के नेता को मिलाकर ऐसी परिस्थितियां फिर पैदा करने का विचार होता जिससे सामान्य रूप से कार्यवाही चलती । हमारा जिन बातों पर विरोध है उनका समाधान होता, लेकिन उसके बजाय ऐसा लगता है सत्तारूढ़ दल ने एक मन बना लिया है और तय कर लिया है उसका कारण है कि इस महत्वपूर्ण बजट पर प्रतिपक्ष को सरकार को नंगा करने का मौका मिलता जिसे वह नहीं देना चाहते । इसलिए शोरगुल के बीच बजट पेश कर दिया । जब माननीय सदन अव्यवस्थित है तो कार्यवाही कैसे चले? हमारी परम्परा है और अध्यक्ष पीठ से इसके पूर्व दृष्टान्त हैं कि जो भारसाधक मंत्री होता है अगर वह लखनऊ में उपस्थित है . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बात खतम करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

और जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें और उसमें जो कारण दिखाये गये हैं वह समाधान कारक हों तभी आप अनुमति देंगे । आज सामान्य प्रशासन का बजट है माननीय वीर बहादुर सिंह प्रभारी मंत्री हैं । मेरी जानकारी सही है कि वह लखनऊ में हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा भी था कि वह लखनऊ में हैं । तो फिर कौन से कारण दर्शाये और कौन सी परिस्थितियां पैदा कर दीं जिसके कारण पीठ को अनुमति देनी पड़ी और संसदीय कार्यमंत्री बजट पेश करने के लिये खड़े हुये ? उन्होंने क्या कहा हम सुन नहीं पाये और उन्होंने एक से लेकर सारी महत्व-पूर्ण मांगे पेश कर दीं । उसका प्रश्न भी उपस्थित नहीं किया गया कटौती नहीं आई और बजट पास हो गया । इस तरह से मेरा कहना है कि जो भी कार्यवाही हुई है वह अव्यवस्थित सदन में हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वह ठीक है वह किसी भी मंत्री को प्राधिकृत कर सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस तरह से सारी कार्यवाही इर्रेलिवेंट हो गयी है । मैं इस महत्वपूर्ण मामले पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कोई इर्रेलिवेंट नहीं है । आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसका कोई हल निकाला जाय तभी आगे सदन चले ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संपूर्ण सदन उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न क्षेत्रों से माननीय सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और महत्व-पूर्ण चर्चाओं में भाग लेने के सब इच्छुक हैं । सिर्फ माननीय मुलायम सिंह और माननीय नेता विरोधी दल दोनों का आपस का झगड़ा है, दो लोकदलों का झगड़ा है । इस आपसी झगड़े में पूरे प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, सारे सदन का कार्य रोक देना चाहते हैं (व्यवधान) पूरे प्रदेश की जनता का सवाल है, उनके प्रतिनिधियों का सवाल है । इन दोनों के झगड़े में कार्य नहीं रोक सकते हैं । मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आज की कार्यवाही कीजिये । नहीं तो यह हमारी कार्यवाही में, विधायी कार्य में इस प्रकार बाधा डालना होगा । (व्यवधान) यह इनका व्यक्तिगत झगड़ा है माननीय मुलायम सिंह जी का और नेता विरोधीदल श्री सत्यपाल सिंह का । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पारसनाथ जी आपको क्या कहना है ? आपको जो कहना है, कहें (व्यवधान) वर्ना आप इस प्रकार खड़े न हों ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है । हम आपका संरक्षण चाहते हैं (व्यवधान) आपने इस पर क्या व्यवस्था दी ?

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । व्यवस्था कोई नियम या संविधान के तहत होती है । (व्यवधान) नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ ।

श्री नरेन्द्र देव–

नियम के अन्तर्गत यह आता है । हमारे कार्य में बाधा हो रही है ।

(व्यवधान)

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन के वेल में बैठे रहे)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

श्री नरेन्द्र देव आपने नियमों के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है, इसलिये इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । आप बैठ जायें । कुंवर रेवती रमण जी आप बोलें ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

हमारी बात पर आप व्यवस्था दें ।

(घोर व्यवधान)

बिसवां सीतापुर में आदमखोर भेड़िए द्वारा दो बच्चों की हत्या से उत्पन्न भय एवं आतंक के संबंध में वक्तव्य†

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–12, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारने पर भी वह नहीं खड़े हुये)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 12 पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिये मैं आगे बढ़ रहा हूं ।

नोट:–† वक्तव्य पढ़ा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–13, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

वक्तव्य को पढ़ने के लिये खड़े होने पर ।

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

[उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ ने अपने दिनांक 7 नवम्बर, 1987 द्वारा एक 29 सूत्रीय मांग-पत्र भेजते हुये यह अवगत कराया कि यदि दिनांक 30 नवम्बर, 1987 तक मांग-पत्र में वर्णित समस्याओं का समाधान न किया गया तो उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी तिथि से महासंघ अपनी सीधी संगठनात्मक कार्यवाही के लिये बाध्य होगा ।

2–कर्मचारी महासंघ के अतिरिक्त जल निगम मुख्यालय कर्मचारी संघ जो कि महासंघ की ही एक घटक है तथा जिनके द्वारा भी मुख्यालय की कुछ विशिष्ट समस्याओं को छोड़कर लगभग उन्हीं समस्याओं के समाधान की बात की गयी, जिसके लिये कि महासंघ ने अनुरोध किया था, द्वारा भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया गया था ।

3–कर्मचारी संघों द्वारा की गयी मांगों में अधिकांश मांगें वे ही थीं, जिनके बारे में वार्तायें पूर्व में भी समय-समय पर की जा चुकी थी । कुछ मांगे नई थीं तथा कुछ मांगे ऐसी थीं जिन पर नीति विषयक निर्णय लिये जाने थे । कर्मचारियों की मांगों पर जल निगम स्तर पर तथा शासन में विचार किया गया तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के परिपेक्ष्य में यथा उचित कार्यवाही की गई । चूंकि संघ की मांगों पर उनके द्वारा इच्छित कार्यवाही सम्भव नहीं थी । अतः कर्मचारी महासंघ ने अन्ततः दिनांक 20 फरवरी, 1988 से हड़ताल प्रारम्भ कर दी, जो कि दिनांक 14 मार्च, 1988 तक चली ।

4–इसी बीच, कर्मचारियों की मांगों पर उदारतापूर्वक विचारोपरान्त जल निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों एवं ड्राइवरों को 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात् सेलेक्शन ग्रेड तथा जल निगम के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों को 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात् सहायक ग्रेड-2 का वेतनमान अनुमन्य किया गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

5–हड़ताल के दौरान दिनांक 11 मार्च, 1988 को सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन के साथ उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों तथा अन्य कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी । तत्पश्चात् कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य अभियन्ता (प्रथम) उत्तर प्रदेश जल निगम के साथ दिनांक 14 मार्च, 1988 को वार्ता की । वार्ताओं के फलस्वरूप हड़ताल दिनांक 14 मार्च, 1988 को समाप्त हुई तथा कर्मचारियों ने पूर्व की भांति दिनांक 15 मार्च, 1988 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।]

प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से सम्पूर्ण प्रदेश के पत्रकारों में व्याप्त उत्तेजना के बारे में वक्तव्य

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–
(वक्तव्य को पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

एक सदस्य–
उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–
ठीक है वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाये ।
(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–
[प्राप्त सूचनानुसार जनपद झांसी में श्री एम0 पी0 यादव नाम का कोई पत्रकार नहीं है। पंजाब केसरी के संवाददाता का नाम श्री मूल चन्द्र यादव है जो एक मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। श्री मूल चन्द्र यादव का लम्बा अपराधिक इतिहास है। जहां तक थाना सीपरी बाजार जिला झांसी के दरोगा श्री महावीर प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका के सिलसिले में दायर किये गये शपथपत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी तथा क्षेत्राधिकारी, झांसी के विरुद्ध लगाये गये इस आरोप का प्रश्न है कि उन्होंने श्री यादव को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जान से मार डालने या किसी अपराध में फंसाकर हाथ-पैर तोड़ डालने का दबाव श्री प्रसाद पर डाला था, के संबंध में यह कहना है कि श्री महाबीर प्रसाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रुष्ट थे और उनका कथन विश्वास योग्य नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी एवं क्षेत्राधिकारी, झांसी द्वारा श्री यादव को जान से मारने अथवा उनका हाथ-पैर तोड़ने हेतु दरोगा श्री महाबीर प्रसाद पर दबाव डालने अथवा इस हेतु उनके द्वारा कुचक्र रचने की पुष्टि नहीं हुई है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विधान सभा

2—बांदा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने श्री राम नारायण पाण्डे नामक एक व्यक्ति पर हुए हमले के संबंध में अभियुक्त को दण्ड का आदेश देते समय शासन से यह अपेक्षा की है कि तत्कालीन जिलाधिकारी एवं एक डिप्टी कलेक्टर की भूमिका की जांच कराई जाये। उपरलिखित निर्णय सम्प्रति शासन की जानकारी में आई है एवं यह शासन के विचाराधीन है। जांच होने के पूर्व उपर्युक्त अधिकारियों की भूमिका के बारे में कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। किन्तु यह ज्ञातव्य है कि श्री पाण्डे ने अपने पर हुये हमले के बारे में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया कि उनकी पत्रकारिता के कारण उन पर हमला किया गया।

3—यह सही नहीं है कि प्रदेश में पत्रकार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अथवा उनके द्वारा कोई सामूहिक आन्दोलन किया जा रहा है। शासन इस बात के लिए सचेष्ट है कि किसी पत्रकार का उनकी स्वस्थ पत्रकारिता को लेकर उत्पीड़न न हो और पत्रकार अपने को सुरक्षित महसूस करें। इस विषय में समय-समय पर शासन द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। पत्रकारों एवं जिला प्रशासन के बीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के उद्देश्य से जिला स्तर पर स्थायी समितियां गठित हैं। जिन समस्याओं का निराकरण राज्य स्तर पर हो सकता है उनके निराकरण हेतु राज्य स्तर पर स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है।]

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन के बेल में लगातार बैठे रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम कल 11 बजे (पूर्वाह्न) तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 12 मिनट पर वृहस्पतिवार 24 मार्च, 1988 के अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
23 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

नहरों का विवरण

आगरा नहर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1874 में निर्मित की गई। यह नहर शीर्ष से लगभग 6.00 मील तक दिल्ली में तथा 6.00 से 49.00 मील तक हरियाणा राज्य में स्थित है। इस नहर से हरियाणा राज्य में भी सिंचाई होती है। इस नहर का संचालन एवं नियंत्रण सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

आगरा नहर से निकलने वाली 8 नहरें (शाहपुर गुल, फतेहपुर माइनर, प्रहलादपुर माइनर, अजाबलपुर माइनर, जनौली माइनर, पलबल रजबहा, भंगुरी रजबहा एवं हस्तगंगाबाद माइनर) जिनका प्रस्तावित सी0 सी0 26294 एकड़ है, पूर्णरूप से हरियाणा में सिंचाई करती है। 3 नहरें (हथीन रजबहा, होडल रजबहा, हसनपुर रजबहा) जिनका प्रस्तावित सी0 सी0 ए0 123371 एकड़ है, अधिकांश रूप से हरियाणा में सिंचाई करती है। इन नहरों का शीर्ष हरियाणा राज्य में पड़ता है तथा इनकी अधिकांश लम्बाई भी हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश में इन नहरों द्वारा केवल 2249 एकड़ सी0 सी0 ए0 में सिंचाई होती है। 5 नहरें (बुखरारी रजबहा, नन्दगांव रजबहा, शेरगढ़ रजबहा, सहार रजबहा एवं कोसी रजबहा) जिनका शीर्ष हरियाणा में है परन्तु अधिकांश रूप से उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है। इन नहरों का कुल सी0 सी0 ए0 271435 एकड़ है जिससे हरियाणा में सी0 सी0 ए0 3339 एकड़ पड़ता है। हरियाणा राज्य इन सभी नहरों को हस्तान्तरण पर जोर देता रहा है।

उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1985 में हरियाणा राज्य को अवगत कराया गया था कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा हरियाणा क्षेत्र की नहरों में उनके शेयर के मुताबिक सदा ही पानी दिया गया है तथा विद्यमान व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। अतः इन नहरों को हरियाणा राज्य को दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का संलग्नक

आवंटित धनराशि के विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण (लाख रु0 में)

क्रम-सं0	शीर्षक	आवंटित धनराशि लाख रु0 में	व्यय की गई धनराशि लाख रु0 में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	532–कैपिटल वर्क	वर्ष 1986–87		गण्डक नहर निर्माण खण्ड–15
2	333–अनुरक्षण कार्य	7.00	7.08	गोरखपुर गण्डक ड्रेनेज मण्डल, गोरखपुर के प्रशासनिक नियन्त्रण में था तथा वर्ष 86-87 में पुर्नगठन के पूर्व गण्डक नहर प्रणाली का कार्य करता था। दिनांक 1-4-86 से 25-10-86 तक आवंटित धनराशि के विरुद्ध किए गये व्यय का विवरण तद्नुसार दर्शाया गया है।
		1.20	1.19	
	योग	8.20	8.27	
	533–सिचाई नव परिवहन जल विकास एवं बाढ़ कार्य			
	1–रामपुर मकदूमपुर बांध	..	5.13	26-10-86 से यह खण्ड पूर्वगठन के उपरान्त सिचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ गया तथा इसे बस्ती जनपद में हरैया, खलीलाबाद व बस्ती तहसीलों के बाढ़ कार्य, बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद से लेकर सौंपा गया। इन कार्यों पर वर्ष 1986-87 में दिनांक 26-10-86 से 31-3-87 तक पुर्नगटन के पश्चात् इस खण्ड द्वारा आवंटित धनराशि के विरुद्ध किये गए व्यय का विवरण तद्नुसार दर्शाया गया है।
	2–नकटाघाट से छपवा बांध	6.31	1.52	
	3–हरैया से पण्डूलघाट बांध	..	0.39	
	योग	6.31	7.04	
	333–अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य	1.59	1.59	तदैव
	289–दैवी आपदा (केन्द्रीय सहायता)	11.50	11.49	तदैव

1	2	3		5
		वर्ष 1987-88		
	शीर्षक 4711 बाढ़ कार्य सीमान्त बांध	आवंटन 12/87 तक	व्यय 11/87 तक	
1	गारा स्वफाबाद बांध	8.00	..	वर्ष 87-88 में 12/87 तक आवंटित धनराशि के विरुद्ध 11/87 तक व्यय का विवरण दर्शाया गया है।
2	रामपुर मकदमपुर बांध	8.00	2.138	
3	नकटा घाट से छपवा बांध	5.00	3.480	
4	छपवा से हरैया बांध	2.10	..	
5	हरया से पण्डूलघाट बांध	2.00	0.136	
6	ज्ञानपुर बसन्तपुर बांध	2.00	..	
	योग	27.10	5.754	
	कटाव निरोधक कार्य			
1	विक्रमाजीत घुसवा बांध के किमी0 11.100 से 13.00 तक सुरक्षा कार्य	53.00	30.506	तदैव
2	काशीपुर दुबौलिया बांध के किमी0 1.70 से 3.90 तक सुरक्षा कार्य	21.00	7.207	तदैव
3	काशीपुर दुबौलिया बांध की सुरक्षा हेतु 3 अदद डम्पनर तथा 400 मी0 लांचिग एपन व पीचिंग का कार्य	18.56	12.650	तदैव
4	मदरहा बेहराडाड़ी बांध के किमी0 4.425 से 4.900 तक सुरक्षा कार्य	18.00	19.951	तदैव
5	छपरामगर्वी कटाव निरोधक कार्य	..	2.00	तदैव
6	ग्राम किशुनपर में कटाव निरोधक कार्य	1.00	1.450	तदैव
	योग	111.56	73.764	
	महायोग	138.66	79.518	
	2711—अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य	19.00	25.677	तदैव
	2243—केन्द्रीय सहायता	17.00	17.00	तदैव

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

जनपद मुरादाबाद में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

वर्ष 1985-86

1. फतेहपुर भूर सुमाली
2. गांगीपुर
3. यकबकेरी
4. नईपुरा खादेर
5. लम्बिया
6. कहेरका
7. याकूबपुर
8. हबतपुर
9. पीपलीकला
10. जप-फरपुर
11. रसूलपुर मजरा अतराली
12. सरकारी मण्डी
13. कुआखेरा
14. मोहम्मदपुर नवदा
15. दरियापुर
16. सलामतपुर
17. दुर्गपुर
18. सेखुपुर झकरी
19. काला खेरा
20. कैलबकेरी
21. हबड़ा
22. नसीर नगला
23. धनौरई मीर
24. जलालपुर नरायण
25. मुनीम नगर
26. वडानपुर माफी
27. चौहरपुर माफी
28. कुदैनी चैक
29. कसमाबाद अतमाली
30. हासिमपुर कचिया
31. नौरंगी
32. खानपुर मजरा मनकजूरी
33. पीपली कलां
34. शक्ति खेरा
35. बुरहानपुर एतमाली
36. बुरहानपुर मुन्तकाम
37. मल्हारपुर हरदो डन्डी
38. बरखेरा चक
39. रुस्तमपुर तिगरी
40. सीजरपुर सुल्तानपुर
41. नसीदाबाद
42. मलकपुर
43. सलारपुर
44. चांद खेरी
45. महमूदपुर लाल
46. रेता माफी
47. आलमपुर
48. बहादर गंज
49. कुरी
50. हुमायूंपुर
51. पीलकपुर सेरा
52. सातों नगला
53. चमराना
54. भैंसिया
55. भतौली
56. मेहलकपुर निजामपुर
57. पीपली घनश्याम
58. दुल्हापुर पथजट
59. रमनावाला
60. सिहारी नन्दा
61. मल्लपुर जामां
62. चंगेरी
63. गुलरिया कलां
64. असालत नगर कलीजपुर
65. पल्था मिठनपुर
66. पयरन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

67. खेतापुर
68. कनैटा निकट वहजोई
69. चितनपुर
70. आलपुर मंथरा
71. भीमपुर
72. अलावलपुर
73. सकटपुर
74. केशोपुर
75. सिकन्दरपुर करछली
76. चन्दायन
77. सहरिया
78. घनैटा सोतीपुरा
79. सदीरनपुर
80. हिसामपुर
81. पल्थन
82. तुर्तीपुर इल्हा
83. हिन्डालपुर
84. मवई डोल
85. नरथेा
86. हीरापुर
87. सैदपुर इम्मा
88. मतवाली पट्टी परसराम
89. वेला
90. दहेरी जग्गू

वर्ष 1986–87

1. साहपुर कला
2. खाटा
3. रसूलपुर
4. मोहम्मदाबाद मुस्तकीम
5. कबीरपुर अथमाली
6. सिरसाकला अथमाली
7. कई मस्तकाम
8. पिपलौटी खुर्द अथमाली
9. बनाका कलां
10. सबदलपुर सुमाली
11. चकचावी
12. सेखुपुरा इम्मा
13. छोया
14. रामहट
15. कैलसा
16. करनपुर
17. जीरकी
18. फजलपुर
19. बीलना
20. रखेरा
21. बसंका खुर्द
22. पीढ खेरा
23. मंसूरपुर
24. नगला हसा
25. अब्दुल्लापुर
26. नैया खेड़ा
27. गोविन्दपुर
28. राजपुर केसरियानाला
29. सिहाली खद्दर
30. ढकिया पुरू
31. अलियाबाद
32. सलेमपुर खास
33. मधपुरी इनायतपुर
34. अहमदपुर निगार
35. कासमपुर
36. पण्डित नगला
37. टीकरी
38. गोट
39. वीरपुर फतेउल्लापुर
40. सरदार नगर
41. जाहमदारी
42. अटला
43. नरौदा
44. रफीपुर
45. मोहीउद्दीनपुर
46. लहरा कमगर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

47. गोविन्दपुर
48. शहबाजपुर सुरा नगला
49. बदनपुर बसई
50. मिठौली
51. मतवाली पटटी जग्गू
52. सलीमपुर सालार पुर उर्फ हाजीपुर
53. नरैटा मोहम्मदपुर
54. चन्दावर

वर्ष 1987-88

1. बसंका मैदानपुर
2. दरियापुर बुजुर्ग
3. बिरला अथमाली
4. घोरी अथमाली
5. बनिया पट्टि
6. मनकुआ मकसूदपुर
7. तगाली
8. नगला ताहर
9. लालूबाला मस्तकाम
10. रौंदा
11. कुंवरपुर
12. बहरोली ताहरपुर
13. नगलिया भूड
14. हारापुर उर्फ दुल्हापुर बन्दू

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—एन0 85 विधान सभा (128)—1988—813 ।